किसान संघर्ष

अक्टूबर–नवम्बर 2022

AIKS

अखिल भारतीय किसान सभा

35वां अखिल भारतीय

सम्मेलन

13 से 16 दिसम्बर, 2022

त्रिशूर, केरल

संघर्ष, सुदृढ़ीकरण और विकल्प के लिए अग्रसर

असम राज्य सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर जनसभा

तमिलनाडु राज्य सम्मेलन की शुरुआत में आयोजित रैली

पश्चिम बंगाल प्रादेशिक कृषक सभा द्वारा विशाल लामबन्दी द्वारा
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर जिले में प्रशासनिक भवन का घेराव का दृश्य

विषय सूची

संपादकीय		2
किसान आन्दोलन की प्रकृति मे आए बदलाव	– हन्नान मौल्ला	3
दिल्ली के महाधिवेशन से मजदूर–किसान एकता मजबूत करने का आह्वान	– डॉ अशोक ढ़वले	7
असुविधाजनक सत्य, झूठ और सुविधा की चुप्पी	– वीजू कृष्णन	13
भूमि अधिकार आंदोलन का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन	– पी कृष्णप्रसाद	16
वर्ण और जाति मुक्त भारत का संघी अभियान	– बादल सरोज	19
खूनी कपास	– मनोज कुमार	22
एक नई पुस्तक कॉफ़ी हमारी आजीविका है	– इंद्रजीत सिंह	24
कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला सम्मेलन	– निधीश जे विलट	27
किसान आंदोलन के भविष्य पर सेमिनार		29
राज्य सम्मलेन		
राजस्थान	– छगनलाल चौधरी	31
महाराष्ट्र	– अजित नवले	33
उत्तर प्रदेश	– मुकुट सिंह	35
हरियाणा	– सुमित सिंह	37
झारखंड	– सुरजीत सिन्हा	39
हिमाचल प्रदेश	– सत्यवान पुण्डीर	40
मध्यप्रदेश	– अखिलेश यादव	42
गुजरात	– दयाभाई गजेरा	44
कश्मीर	– गुलाम नबी मलिक	46
उत्तराखंड	– गंगाधर नौटियाल	48
बिहार	– विनोद कुमार	49
पंजाब		50
असम		50
केरल		51
तमिलनाड		51
कर्नाटक		52
अंडमान और निकोबार		52
मणिपुर		52

संपादकीय

किसान संघर्ष के इस अंक के प्रकाशन के समय अखिल भारतीय किसान सभा अपने 35 वे अखिल भारतीय सम्मलेन की और बढ़ रही है। जोकि आगामी 13 से 16 दिसम्बर 2022 को, किसान संघर्षो की धरती रहें केरल के त्रिचुर शहर में होने जा रहा है। यह इतिहासिक सम्मलेन एक ऐसे समय में हो रहा है, जब पछले सम्मेलन से इस सम्मलेन के बीच दुनिया ने एक ऐसी महामारी देखी जिससे पूरा विश्व कराह उठा। महमारी से जुड़ें लॉकडाउन के कारण किसान और मजदूर व अन्य गरीब तबको पर सब से ज्यादा मार पड़ी। इस महामारी काल को आपदा में अवसर के तौर पर देखतें हुए भाजपा सरकार द्वारा वो तमाम कानून बनाने व पास करने की कोशिशें की जो आम दिनों में जनता के विरोध के कारण वो नहीं ला सकते थे। इन्ही में कृषि कानून भी थे, जोकि भारतीय किसानी कृषि को कॉर्पोरेट कृषि में बदलने की शाजिस का हिस्सा थे। जिसके विरोध में उठे आन्दोलन में रूप में देश और दुनिया ने अभूतपूर्व किसान संघर्ष देखा, जो आजाद भारत का सब से बड़ा आन्दोलन रहा। राजधानी दिल्ली के चारो तरफ से आने वाली सडको पर किसानो ने अपने पड़ाव डाले और 380 दिनों तक बारिश, भयानक ठण्ड, अत्यंत गर्मी को झेलते हुए अपने मोर्चे पर डटे रहे। साथ ही इस दौरान 715 बहादुर किसान इस लड़ाई में शहीद भी हुए। इस आन्दोलन के दौरान देश भर के किसानो– मजदूरों की व्यापक एकता इस का प्रमुख्य सकरात्मक पक्ष था। अंतत इस आन्दोलन के दबाव में मोदी सरकार को झुकते हुए तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा और अन्य मांगों को लेकर भी सरकार को आश्वाशन देना पड़ा। इस आन्दोलन ने देश में चल रहे सभी जन–आन्दोलनों को उर्जा और हिम्मत देते हुए नई राह दिखाई।

इस आन्दोलन के बाद सरकार द्वारा अन्य मांगों पर जो वादे कियें गए थे, वो अभी तक पूरा नही किये गए है और इनके लिए संघर्ष जारी है। देश भर में कॉर्पोरेट–साम्प्रदायिकता द्वारा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को घातक चोट पहुचांना जारी है। इस मौहोल को बिगड़ने वालो को अधिनायकवादी केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। धर्म संसद के नाम पर अल्पसंख्यको के खिलाफ ज़हर उगला जा रहा है, जिसमें सत्ता में बैठी भाजपा के सांसद तक शामिल है। इस दौर पूरी दुनिया में एक नया पूंजीवादी संकट गहराने लगा है जोकि निश्चित तौर पर कामगार वर्ग के लिए नई मुसीबत लेकर आएगा। इस व्यवस्थागत संकट के कुप्रभाव किसान व मजदूर वर्ग पर सब से ज्यादा पड़ने वाले है। ऐसे में हमें इस वर्ग के हितो की रक्षा के लिए संकट को जन्म देने वाली नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध को और मजबूत करना होगा।

किसान सभा के इस 35वें सम्मलेन में हमें आने वाले समय के लिए एक मुफीद योजना बनाने का काम करना है। जो किसानों के संघर्षो को तीखा करने के साथ साथ किसानो की मुसीबतों के लिए जिम्मेदत नीतियों के विकल्प को विकसित कर पाए। हम आशा करते है की यह आगामी सम्मलेन देश के किसानो– मजदूरों के संघर्षो के एक नए अध्याय की शुरुवात करेगा।

□

किसान आन्दोलन की प्रकृति मे आए बदलाव

– हन्नान मौल्ला

पिछले दस सालों मे किसान आन्दोलन के स्वरूप मे बड़ा बदलाव आया है। शुरू के दिनों मे किसानों द्वारा सामंती, पूंजीवादी और कॉर्पोरेट शोषण के खिलाफ हजारों संघर्ष, कार्रवाही और आन्दोलन किये गए थे। देश के विभिन्न भागों में उन आंदोलनों ने शुरू में स्थानीय इलाकावार, क्षेत्रीय या प्रांतीय आकार लिया और इस तरह के संघर्षों ने किसानों के शोषण को कुछ हद तक रोक दिया था, इसने देश में कुछ प्रभाव जरुर डाला लेकिन व्यापक रूप नहीं ले सके। हालाँकि, लगातार सरकारों द्वारा नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के बाद से, किसानों की कुछ व्यापक फुसफुसाहट विकसित होने लगी थी और देश के कृषि बाजार को एकीकृत करने के प्रयास के साथ जी.ए,टी.टी. समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर अभियान देखे गए। विश्व पूंजीवादी बाजार के दबाव मे सरकार द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंध वापस ले लिए गए और कृषि उत्पादों को अमीर, उन्नत देशों से आयात किया जाने लगाए जो हमारे जैसे तीसरी दुनिया के पिछड़े देशों के बाजारों का उपयोग अपने कृषि निर्यात को बेचने के लिए करने लगे तथा घरेलू कृषि उत्पाद की जगह लेने लगे। हमारी सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए गए और हमारे किसान असमान और बेईमान प्रतिस्पर्धा के शिकार हो गए हैं, जिससे हमारी खेती धीरे–धीरे घाटे का सौदा बन गई। किसानी कृषि, कॉरपोरेटीकृत होने लगी और छोटे, मध्यम तथा यहां तक कि अमीर किसानों का एक वर्ग गरीब, भूमिहीन, बटाईदार एवं खेत मजदूर होता चला गया और आजीविका के संकट का सामना करने लगा। किसान आत्महत्याएं एवं व्यापक पलायन हर दिन का क्रम बन गया।

बीसवीं सदी के आखिरी दशक और इक्कीसवीं सदी के पहले दो दशकों में इस प्रक्रिया में तेजी दिखी, जिसके कारण कृषि संबंधी समस्याएं एक गंभीर कृषि संकट में बदल गई। इसके ऊपर, नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भारत में कृषि के कॉरपोरेटीकरण के मॉडल को स्थापित करने के लिए किसान विरोधी, खेती विरोधी, गरीब विरोधी नीतियां लेकर आई। कृषि संकट के कारण कृषि पर निर्भर किसानों जिस में महिलायें भी शामिल है, की आत्महत्याओं में कई गुणा वृद्धि हुई। अपनी फसलों के लिए सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार उन्हें न्यूनतम समर्थन नहीं मिलने के कारण, वह निजी साहूकारों के पूरी तरह से ऋणी हो गए। इसके अलावा बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज न मिलना, लगातार खेती की लागत में भारी वृद्धि, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आजीविका विस्थापन के साथ–साथ सभी बाहरी वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन सभी कारकों ने देश में कृषि पर निर्भर लोगो धातक हमला किया है।

अखिल भारतीय किसान सभा ने इन सभी मुद्दों को उठाया और इन अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है। कई अन्य संगठनों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। असंख्य विरोध प्रदर्शनों, रैलियों, गाँव/तहसील/जिला स्तर की बैठकों, जत्थों, धरनों और प्रतिनिधिमंडलों सहित अखिल भारतीय पदयात्राओं एवं दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई रैली के साथ किसानो के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसी बीच, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों पर कई हमले और भी बढ़ गए। इन हमलों ने किसानों को मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों से अवगत कराया और एक ऐसा माहौल बनाया, जिसमें एक बहुत व्यापक आंदोलन की परिकल्पना की जा सके।

संयुक्त मंचो के गठन की ओर

किसानों के खिलाफ मोदी सरकार का पहला कदम 2014 में लाया गया 'भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश' था। इसका मकसद अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों द्वारा जमीन हड़पने के सभी प्रतिबंधों को हटाना था। किसान सभा और अन्य संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद, औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को 2013 में संशोधित किया गया था ताकि किसानों को सरकार या कॉरपोरेट्स द्वारा जमीन हड़पने से कुछ सुरक्षा दी जा सके। मोदी सरकार ने इन सभी संरक्षणों को हटा दिया और कंपनियों के लिए बिना किसी बाधा के जमीन हड़पना आसान कर दिया। किसान सभा ने तब किसानों की अगुवाई करते हुए, इस नए हमले के खिलाफ अपने उन के को दिखाते हुए देश भर के 300 से अधिक जिलों में बड़ी कार्रवाइयों की साथ ही अध्यादेश की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाया। यह देखते हुए कि व्यापक संघर्षों के लिए वातावरण उपयुक्त है,

किसान सभा ने अन्य सभी किसान संगठनोंए सामाजिक संगठनों और बड़े पैमाने पर लोगों से राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध को संगठित करने का आह्वान किया और कई किसान संगठनों ने हाथ मिलाया। इस अध्यादेश के खिलाफ एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें अच्छी भागीदारी रही और पूरे भारत से लगभग सौ संगठन शामिल हुए। विभिन्न राज्यों में अपने राज्य स्तर अध्याय के गठन के साथ राष्ट्रीय स्तर का एक व्यापक मंच, 'भूमि अधिकार आंदोलन' उभरा जो अध्यादेश के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध आंदोलन बना। जब नरेंद्र मोदी ने संसद में अध्यादेश पारित करने की कोशिश की और वह असफल रहे, तो अध्यादेश तीन साल बाद अपनी स्वाभाविक मौत मर गया। यह आन्दोलन एक नए प्रकार का था, जिसमें विभिन्न मतों के लोग अन्य मतभेदों को दूर रखते हुए, मुद्दों विशेष के आधार पर एक साथ आए और संयुक्त आन्दोलन बनाने का प्रयास किया। व्यापक अभियानों और विभिन्न स्तरों पर संयुक्त कार्यक्रमों के साथ आन्दोलन पूरे देश में फैल गया। तमाम तरह की संकीर्णताओं को त्याग करए इस समझ के साथ कि सभी शामिल संगठन स्वतंत्र हैं और अपने स्वयं के कार्यक्रमों के आधार पर अपने स्वयं के स्वतंत्र संघर्षों को संगठित करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपस में करीब आकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ यथासंभव व्यापक संयुक्त संघर्ष का निर्माण करने की कोशिश की गई। साझा दुश्मन के खिलाफ मुद्दें आधारित एक संयुक्त आंदोलन के लिए एक साथ आने के लिए सब सहमत हुए।

संयुक्त किसान आंदोलन का और अधिक विकास

उपरोक्त अनुभव ने किसान संगठनों को अपने संघर्ष के आधार को और भी व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही मोदी सरकार ने किसानों के हितों पर एक और हमला किया। किसान लंबे समय से अपनी फसलों के उचित मूल्य, नुकसान की भरपाई, सस्ती लागत और भंडारण सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसान आयोग (जिसे लोकप्रिय रूप से स्वामीनाथन आयोग के रूप में जाना जाता है) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना करने के साथ–साथ किसानों की खरीद की गारंटी और एकमुश्त कर्जा माफ़ी की सिफारिश की थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी 300 से ज्यदा चुनावी रैलियों में घोषणा की थी कि वह फसल की कीमतों और कर्जमाफी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह अपने वादों को भूल गए। जब किसानों ने उन्हें याद दिलाया, तो मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित हलफनामा देते हुए यह कहा कि, गारेंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जमाफी देने में उन की सरकार असमर्थ है। उनकी किसानो के प्रति संवेदनशीलता जगजाहिर हो गई और किसानों ने इस धोखे के लिए उनकी निंदा की तथा इसके बाद किसान संगठनों ने एकजुट संघर्ष का विस्तार किया।

लगभग इसी समय, मध्य प्रदेश की भाजपा राज्य सरकार ने मंदसौर में सोयाबीन के लिए एमएसपी की मांग कर रहे किसानों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद, कई किसान संगठनों ने 20 जून 2017 को दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान के हॉल में एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजित किया। किसान सभा पहलकदमी करने वाले संगठनों में अग्रणी था। इस बैठक में 120 से ज्यादा संगठन शामिल हुए और संयुक्त रूप से दो मांगों पर देश में एक व्यापक एकजुट आंदोलन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया 1.गारंटीकृत खरीद के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी और 2.सभी किसानों के लिए एकमुश्त कर्जा माफी। आंदोलन को चलाने के लिए इस

बैठक में एक व्यापक मंच का गठन किया गया और 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति', एआईकेएससीसी नाम से एक नया संयुक्त मंच उभरा। यह जल्द ही अन्य राज्यों में भी फैल गया और लगभग 250 संगठन इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। एआईकेएससीसी ने अधिकांश राज्यों में मजबूत अभियान चला और उस के राज्य अध्याय आकार लेने लगे। इसके अलावा, इसने 5 अखिल भारतीय जत्थों और कई राज्य जत्थों का आयोजन किया। 23 दिनों में कई राज्यों को पार करते हुए, रास्ते में हजारों जनसभाओं को संबोधित किया, जिससे किसानों में बहुत उत्साह पैदा हुआ। इसने दिल्ली संसद मार्ग पर दो दिवसीय किसान संसद का भी आयोजन किया, जिसमें एमएसपी और कर्जा माफी पर दो बिलों का मसौदा प्रस्तावित किए गए, जो की जत्थों के दौरान हजारों बुद्धिजीवियों और किसानों के साथ हुई बाचीत पर आधारित था। किसान मुक्ति संसद द्वारा पास किये गए दोनों बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में निजी सदस्यों के बिल के रूप में पेश किए गए। 21 राजनीतिक दलों ने लिखित में इसका समर्थन किया लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार ने अपने किसान विरोधी रवैया दिखाते हुए, ऐसे किसी भी कानून के मसौदें को तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया।

इसके तुरंत बाद, जब भयानक कोविड–19 महामारी ने देश पर प्रहार किया, तो मोदी सरकार ने महामारी नियंत्रण और बड़े पैमाने पर तालाबंदी की आड़ में उनके खिलाफ हर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय किसानों को बर्बाद करने की एक और साजिश रची तथा इस दौरान आधी रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा तीन काले अध्यादेश और लेकर आ गई। इन अध्यादेशों का उद्देश्य किसानों की जमीनों को हड़प कर उन्हें अडानी और अंबानी को देना था, किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी से वंचित करने के लिए मंडियों को नष्ट करना, खाद्यान्न की कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए, खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वापस लेना और किसानों को उन्हीं की जमीन पर गुलाम बनाना था। एआईकेएससीसी ने इस नए षडयंत्र के खिलाफ जुझारू संघर्ष शुरू किया, तीन अध्यादेशों की प्रतियां जलाईं और देश में सैकड़ों विरोध–प्रदर्शन आयोजित किये गए। इसमें किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और अन्य ताकतों से भारी समर्थन मिला। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार का विरोध किया लेकिन देशद्रोही, किसान विरोधी बेशर्म सरकार ने सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ मतदान करने से सांसदों को रोक इन तीनों काले कानूनों को पास करा दिया। कुछ ही समय बाद एआईकेएससीसी और किसान सभा ने सड़क पर उतरकर उन काले कानूनों का विरोध करने का आह्वान किया तथा 25 सितंबर 2020 को पूरे देश में जनप्रतिरोध एक विशाल बंद में बदल दिया गया।

किसानों का तीसरा सबसे बड़ा मंच

व्यापक किसान आंदोलन के उपरोक्त अनुभवए संगठनिक संरचना और स्वरूप के लिहाज से अपने आप में अद्वितीय थे। किसान आंदोलन में संयुक्त कार्रवाई का विचार नया नहीं था। अतीत में, वामपंथी किसान संगठनों ने एक साथ काम किया था और कुछ गैर–वामपंथी संगठनों के साथ भी कुछ राज्यों संयुक्त रूप से कई मुद्दों को उठाया था, समय–समय पर कुछ एकजुटता भी संयुक्त रूप से व्यक्त की गई थी। लेकिन पिछले दो मंच अपने आकारए संरचना, विचारों, कार्यों और उपलब्धियों में अद्वितीय थे तथा संघर्ष के अगले चरण में भागीदारी के इस स्तर पर और भी सुधार हुआ। जैसा कि मोदी सरकार के तीन काले कानूनों के बारे में पहले ही उल्लेख किया गया है, इन कानूनों का किसानों के बीच बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। इन कानूनों से पूरा कृषक समुदाय प्रभावित होने वाला था, संघर्ष का संदेश पुरे देश में फैल गया। किसान सभा ने पहले दिन से ही कोविड के जोखिम के बावजूद मुद्दों को उठाते हुए, सड़कों पर उतर प्रतिरोध का आह्वान किया। एआईकेएससीसी ने भी प्रतिरोध का आह्वान किया लेकिन उससे भी आगे बढ़कर, उस के दायरे से बाहर के कई अन्य संगठन भी विभिन्न राज्यों में सड़कों पर उतर आए, खासकर पंजाब में। एक बहुत बड़े, व्यापक और मजबूत आंदोलन की संभावना दिखाई दे रही थी और कॉरपोरेटपरस्त, सांप्रदायिक व फासीवादी सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, इसलिए एआईकेएससीसी ने 27 अक्टूबर, 2020 को गुरुद्वारा रकाब गंज, दिल्ली में एक राष्ट्रीय किसान बैठक का आह्वान किया। इस बैठक को बड़े पैमाने पर सकरात्मक प्रतिक्रिया मिली और एआईकेएससीसी सदस्यों के साथ, लगभग 250 अन्य संगठन बैठक में शामिल हुए। विभिन्न नामोंश रंगों, मतों, विभिन्न झंडों, पहचानों और विचारधाराओं के संगठनों ने बैठक में भाग लिया। दिन भर के विचार–विमर्श के बाद, यह तय हुआ कि तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने का हमारा लक्ष्य एक ही था, हमारी दुश्मन एक ही थी मोदी सरकार और इसलिए हमें एक साथ लड़ना चाहिए। बाद में एक नया मंच संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) उभरा, जो आजादी के

बाद भारत में किसान संगठनों का अब तक का सबसे बड़ा मंच है। लगभग 500 संगठनों ने एकजुट होकर इन काले कानूनों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया और एआईकेएससीसी का "दिल्ली चलो" का आह्वान एसकेएम का आह्वान बन गया, जिसने 26 नवंबर 2020 को विशाल दिल्ली चलो रैली का आयोजन किया।

इतिहास रचा गया। न तो आजादी से पहले और न ही उस के बाद भारत ने कभी इतना बड़ा संयुक्त किसान संघर्ष नहीं देखा था। अपने किसान सभा के राज्यों के कार्यक्रमों और स्पष्ट दृष्टिकोण को त्यागे बिना, हमें इस विशाल जन आंदोलन को खड़ा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन पर हमला करना शुरू कर दिया थाए किसान को गंदी भाषा में गाली देना, गोदी–मीडिया का दुरुपयोग कर किसानों के खिलाफ नफरत फैलाना और तरह–तरह के शारीरिक हमले एवं साजिशें रची जा रही थी। कई बार बैठकों में बुलाने की आड़ में सरकार ने लोगों को धोखा देने की कोशिश भी कीए फिर भी कुछ नहीं हुआ और एसकेएम दिन–ब–दिन मजबूत होता गया तथा 380 दिनों तक संघर्ष जारी रहा। हमने मिलकर खराब मौसम और पुलिस दमन का सामना किया। 715 साथी शहीद हो गए लेकिन लाखों किसान डटे रहे और जीत हासिल किए बिना न झुकने का ऐलान कर दिया। 500 संगठनों के बीच एकता के अनोखे प्रदर्शन के साथ राजधानी दिल्ली के चारो ओर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर उतरे किसानों के इस प्रदर्शन के सामने मोदी सरकार को हार मानने पर मजबूर होना पड़ा तथा उन्हें देश से माफी मांगी। भारत में संयुक्त किसान आंदोलन की जीत को चिह्नित करते हुए तीन काले कानूनों को वापस लिया गया। इस आन्दोलन ने हने दिखाया अगर हम एकजुट होकर और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ें तो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है, इस ने भारत के पूरे जनवादी आंदोलन को नई उर्जा प्रदान की।

इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों के लोगों से भी व्यापक समर्थन मिला। आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मजदूर–किसान एकता थी। भारत में पहली बारए मजदूरों और किसानों ने एक दुश्मन के खिलाफ इतनी व्यापक एकता के साथ लड़े। एक ही दिन, 26 नवंबर 2020 को किसानों संगठनों द्वारा दिल्ली चलो रैली और सभी दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस आन्दोलन मे महिलाओं की संख्या अभूतपूर्व थी वह भी पूरी अवधि के लिए दिल्ली की सीमा पर रही। छात्र, युवा बुद्धिजीवी, कर्मचारी, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग एक साथ खड़े रहे। भाजपाए आरएसएस और साम्प्रदायिक ताकतों ने साम्प्रदायिक व जातिवादी अभियान चलाकर किसानों को बांटने की भरसक कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ रहे।

काले कानूनों को वापस लेने के बाद, सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को किसानों को उनकी अन्य मांगों जैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, बिजली बिल, किसानों के खिलाफ 46000 फर्जी मुकदमे वापस लेने, शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद करने पर चर्चा करने के लिए लिखित आश्वासन दिया। एस.के.एम. अजय मिश्रा टेनी को मंत्रालय से हटाने और लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के लिए हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। हालांकि एक साल के इंतजार के बाद भी सरकार अपने वादों नहीं निभाया।

एस.के.एम. ने स्थिति पर चर्चा की और उन मांगों के लिए एक और मजबूत आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया। आंदोलन का रूप बदला जा सकता है और अब हमें केवल दिल्ली–केन्द्रित आन्दोलन की जगह एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष खड़ा करना होगा।

हमें एस.के.एम. के राज्य अध्यायों का निर्माण करना होगा तथा प्रत्येक राज्य में और भी संगठन को इस में जोड़ना होगा। हमें आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर वास्तविक संघर्ष खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय मांगों के साथ–साथ किसानों के स्थानीय ज्वलंत मुद्दों को राज्य स्तर पर उठाना होगा। इस साल 26 नवंबर को एस.के.एम. संघर्ष की दूसरी वर्षगांठ को व्यापक रूप से मनाया जायेगा। सभी राज्यों की राजधानियों में विशाल किसान रैलियां आयोजित की जाएगी, जहां प्रत्येक राज्य के राज्यपालों के माध्यम से हमारी मांगों का नया मांगपत्र केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

35वां किसान सभा सम्मेलन –त्रिशूर में

उपरोक्त गौरवशाली संघर्ष की जीत के बाद किसान सभा अपना 35वां अखिल भारतीय सम्मेलन केरल में करने जा रहा है। इस संघर्ष के एक प्रमुख घटक के रूप में हमें अपनी भूमिका, संघर्ष के सबक और अपनी सीमाओं की समीक्षा करनी होगी साथ ही हर स्तर पर एकजुट संघर्ष के महत्व, हमारे अपने स्वतंत्र संघर्ष के साथ–साथ संयुक्त आंदोलनों, मजदूर–किसान एकता और हमारे बेहतर भविष्य के साथ हमारे देश के संविधान, हमारी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों को शासक वर्ग की कॉर्पोरेट–सांप्रदायिक–फासीवादी साजिशों से बचाने में हमारी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। □

दिल्ली के महाधिवेशन से भाजपा–आरएसएस सरकार की जनविरोधी नीतियों, साम्प्रदायिकता और अधिनायकवाद के खिलाफ मजदूर–किसान एकता को मजबूत करने का आह्वान

– डॉ अशोक ढ़वले

5 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय महाधिवेशन में देश भर के हजारों मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों ने भाग लिया। यह, 5 सितंबर 2018 में लाल झंडा के साथ दो लाख मजदूरों–किसानों के संसद मार्च की चौथी वर्षगांठ थी। अधिवेशन, भाजपा–आरएसएस सरकार के खिलाफ गुस्से और इसके विरुद्ध लड़ाई के उत्साह से उमड़ रहा था।

यह महाधिवेशन दो बड़े राष्ट्रव्यापी संघर्षों की पृष्ठभूमि में हुआ था। पहला, निश्चित रूप से, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में विजयी एक साल लम्बा ऐतिहासिक किसान संघर्ष था, जिसने अंततः मोदी शासन को किसान विरोधी, जन–विरोधी और कॉर्पोरेटपक्षीय तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया। दूसरा 28–29 मार्च, 2022 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय विशाल अखिल भारतीय हड़ताल थी, जिसमें करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों ने भाग लिया था।

सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियनस् (सीटू), अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) द्वारा बुलाए गए इस अधिवेशन ने सर्वसम्मति से सत्तारूढ़ भाजपा–आरएसएस सरकार द्वारा अपनाई गई मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ मजदूर–किसान एकता को मजबूत करते हुए जुझारू संयुक्त संघर्षो को तेज करने का फैसला किया। साथ ही व्यापक सांप्रदायिक प्रचार से लड़ने का भी निर्णय किया।

इस कन्वेंशन ने देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों का आह्वान किया कि वे हर संभव तरीके से एक–दूसरे के स्वतंत्र संघर्षों को समर्थन दें तथा उनके साथ एकजुटता दिखाएं और मजबूत सीधी संयुक्त कार्रवाइयों का निर्माण करें।इस संयुक्त कन्वेंशन ने वर्ष 2023 के संसद के बजट सत्र के दौरान 'मजदूर–किसान संघर्ष रैली–2' का आयोजन करने का निर्णय लिया। इसके लिए मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों की विशाल जुझारू लामबंदी की जाएगी। इस कन्वेंशन ने जोर देकर कहा कि इस मजदूर–किसान संघर्ष रैली के रूप में राष्ट्रीय राजधानी, दौलत पैदा करनेवाले इन वर्गों की स्वतंत्र भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी लामबंदी देखेगी।

इस कन्वेंशन ने सर्वसम्मति से यह भी तय पाया कि अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक व्यापक संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे ताकि मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों को,

नव–उदारवादी नीतिगत हमलों के खिलाफ आक्रामक तथा सीधे प्रतिरोध संघर्ष शुरू करने के लिए तैयार किया जा सके।

सीटू अध्यक्ष के हेमलता, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले और अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के अध्यक्ष ए विजयराघवन के तीन सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने इस कन्वेंशन की अध्यक्षता की। सीटू महासचिव तपन सेन, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला और अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के महासचिव बी वेंकट ने इस कन्वेंशन को संबोधित किया और इन तीनों संगठनों की संयुक्त घोषणा का समर्थन किया।

उनके अलावा बेफी के देबाशीष बसु, बीएसएनएलईयू के अभिमन्यू, सीसीजीईडब्ल्यू के पाराशर, एआइएसजीईएफ के श्रीकुमार, एआइआइईए के भटनागर, अखिल भारतीय किसान सभा के अमरा राम, प्रकाशन मास्टर, डी रवींद्रन, सुमित दलाल तथा सुनील अधिकारी, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन की ललिता बालन, वेंकटेश्वरन, अमिय पात्रा, बृजलाल भारती तथा विक्रम सिंह ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया। बैंक, बीमा, बीएसएनएल, केंद्र तथा राज्य सरकार कर्मचारियों की फेडरेशनों और दूसरे किसान तथा खेतमजदूर संगठनों के नेताओं ने भी, कन्वेंशन को संबोधित किया।

इस संयुक्त कन्वेंशन ने यह नोट किया कि पिछले 75 वर्षों के दौरान अपने संघर्षों तथा बलिदानों के जरिए हमने जो भी हासिल किया है और श्रम के जरिए ईंट–दर–ईंट हमने, इस देश की जनता ने जो कुछ भी निर्मित किया है, उस सब को आरएसएस द्वारा नियंत्रित मोदी के नेतृत्ववाला मौजूदा भाजपा निजाम नष्ट कर रहा है। वह स्वतंत्र भारत के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को अपने पांवों तले कुचल रहा है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों न सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजाद होने का सपना देखा था बल्कि वर्ग, जाति, सप्रंदाय, धर्म या लिंग के आधार पर होनेवाले हर तरह के दमन तथा भेदभाव से भी आजादी का सपना देखा था। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां देश की जनता, स्वतंत्रता तथा गरिमा के साथ जी सके।

कन्वेंशन ने जोर देकर कहा कि आज सिर्फ हमारे जीवन, जीवनयापन तथा कामकाजी स्थितियों की फौरी मांगों को लेकर ही संघर्ष नहीं चल रहा है, बल्कि इस सांप्रदायिक तथा तानाशाह भाजपा–आर एस एस निजाम से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष–जनतांत्रिक तौर–तरीके को बचाने के लिए भी, संघर्ष चल रहा है।

इसलिए, इस कन्वेंशन ने देश भर के मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों का आह्वान किया कि वे न्यायपूर्ण मांगों के लिए लडने़ की खातिर और भाजपा–आरएसएस के नव–उदारवादी, सांप्रदायिक तथा तानाशाही निजाम को मात देने के लिए, अनथक ढ़ंग से काम करने के लिए एकजुट होकर उठ खड़े हों।

कन्वेंशन ने सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रु0 प्रतिमाह तथा पेंशन 10,000 रु0 प्रतिमाह सुनिश्चित करने, सभी कृषि उत्पादों के लिए गारंटीशुदा खरीद के साथ सी2+ 50 फीसद कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को निरस्त करने, मनरेगा के तहत 600 रु0 दिहाड़ी पर वर्ष में 200 दिन का काम मुहैया कराने तथा शहरी क्षेत्रों तक इस योजना का विस्तार करने और गरीब तथा मध्यम दर्जे के किसानों तथा खेतमजदूरों के लिए एकमुश्त ऋण माफी जैसी, इस देश के मेहनतकश अवाम की बुनियादी मांगों को दोहराया।

इस संयुक्त कन्वेंशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद करने, एनएमपी को निरस्त करने, अग्निपथ योजना को निरस्त करने, महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसका सार्वभौमीकरण करने, सभी मजदूरों को 10,000 रु0 पेंशन देने तथा सुपर–अमीरों पर कर लगाने जैसी मांगें भी उठायीं।

देश भर में मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों तक इन मांगों को ले जाने के लिए कन्वेंशन ने तीनों संगठनों की ऊपर से नीचे तक की अपनी तमाम इकाइयों का आह्वान किया है कि वे अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक, अगले चार महीने के दौरान स्थानीय मांगों समेत उपरोक्त मांगों तथा मुद्दों पर, उन तमाम लोगों तक पंहुचने के लिए, जिन तक अभी पंहुचा नहीं गया है, राज्य तथा जिलों की संयुक्त मीटिंगों में तय पाए जाने वाले ढंग से पर्चे बांटने, पोस्टर लगाने, दीवार लेखन करने और ग्रुप मीटिंगें, जत्थे तथा जुलूस आयोजित करने के जरिए, सघन तथा व्यापक अभियान चलाएं।

इस संयुक्त कन्वेंशन ने देश के तमाम प्रगतिशील, जनतांत्रिक तथा देशभक्त लोगों का भी आह्वान किया है कि वे देश तथा देश की जनता की रक्षा करने के लिए, इस देशव्यापी अभियान तथा कार्यक्रमों को समर्थन दें तथा उनके साथ एकजुटता का इजहार करें।

मजदूर–किसान अधिकार महाधिवेशन द्वारा स्वीकृत घोषणा पत्र

मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर 5 सितंबर 2022, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित घोषणा स्वीकार की गयी।

हम भारत के मजदूर, किसान और खेत मजदूर, 5 सितंबर 2018 को आयोजित, ऐतिहासिक मजदूर किसान संघर्ष रैली की चौथी वर्षगांठ के मौके पर, सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (सीआइटीयू), ऑल इण्डिया किसान सभा (एआइकेएस) और ऑल इण्डिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन (एआइएडब्ल्यूयू) के आह्वान पर इस राष्ट्रीय कन्वेंशन में एकत्रित हुए हैं और अपनी मेहनत से हमारे देश की धन–सम्पत्ति का उत्पादन करने वाले मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, अपने एकजुट संघर्ष को जारी रखने के दृढ़ संकल्प की घोषणा करते हैं।

आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके देश की सारी मेहनतकश जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, हम अपनी पिछली पीढियों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए, संघर्ष जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो भूख, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता से मुक्त हो, और जो एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य हो तथा जिसमें हमारी सारी जनता को, हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धान्तों का पूरा लाभ मिल सके।

हम गहरी पीड़ा के साथ यह देख रहे हैं कि आरएसएस द्वारा नियंत्रित वर्तमान मोदीनीत भाजपा सरकार, पिछले 75 वर्षों के दौरान हमने जो कुछ भी, अपनी कड़ी मेहनत से एक–एक ईंट जोडक़र निर्मित किया है और जो कुछ भी हमने अपने संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से हासिल किया है, उस सभी को बर्बाद कर रही है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देखे गए इसके सपनों को रौंद रही है कि भारत को न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बल्कि वर्ग, जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर सभी तरह के उत्पीडऩ और भेदभाव से मुक्त कराते हुए, एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए, जहां उसकी जनता स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकती हो। पिछले 8 साल के शासन काल में देखने को मिला इस सरकार का असली रवैया, 'आजादी के अमृत महोत्सव' के तमाम शोर–शराबे को खोखला बना देता है।

हमारी अर्थव्यवस्था और कड़ी मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा और विनिर्माण क्षमताएं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, हमारे संवैधानिक अधिकार, संसदीय मानदंड और प्रथाएं, सभी गंभीर हमलों की जद में हैं।

अर्थव्यवस्था और जनता, कोविड–19 के आने से पहले से ही संकटग्रस्त थी। महामारी को संभालने के मोदी सरकार के तरीकों ने, दोनों के हालात और भी ज्यादा बदतर बना दिए। पिछले 8 वर्षों में एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं में वृद्धि, जो संख्या 2019 में 32,000 से 2020 में 38,000 और 2021 में 42,000 से अधिक हो गयी है, समूचे संकट की सबसे खराब अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में कुल 1,64,033 आत्महत्याओं में से, हर चौथी आत्महत्या दिहाड़ी मजदूर की थी। कृषि संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और शहरी केन्द्रों में अनिश्चित काम और कम आमदनी ही, ऐसी खतरनाक स्थितियां पैदा कर रही है।

कीमतें बढ़ रही हैं, वेतन घट रहे हैं। शुद्ध मूल्यसंवर्द्धन में मजदूरी का हिस्सा घटकर, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिए, खेती करना अनुपयोगी होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य काफी कम हो गया है। शहरी क्षेत्रों में भी कोई अच्छा रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। बेरोजगारी और नौकरियों की हानि, कई गुना दर से बढ़ती जा रही है। कामकाज के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है।

आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण कर निर्धारण और अन्य नीतियों को, मूल्यवृद्धि और सिर्फ बड़े कॉरपोरेट एवं व्यापारिक घरानों तथा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। वर्तमान कर निर्धारण व्यवस्था से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य ईंधन की कीमतों में, लगभग रोज–रोज वृद्धि की गई है, जिसका असर अन्य सभी वस्तुओं, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाओं की कीमतों पर व्यापक रूप से पड़ रहा है। अभी हाल ही में सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे सीलबन्द चावल, गेहूं, दूध और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के माध्यम से, अभूतपूर्व बोझ डाला गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें श्मशान शुल्क, अस्पताल के कमरे, लेखन सामग्री आदि भी शामिल

हैं। जनता को अपने बैंक से अपनी ही बचत की निकासी के लिए, बैंक चेक पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर, विलासिता की चीजों पर जीएसटी को कम कर दिया गया है।

सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकोनॉमी (सीएमआइई) की रिपोर्ट के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के बीच बेरोजगारी 42 फीसद है। श्रम भागीदारी की दर गिरकर अभी तक के सबसे निचले स्तर, 38.8 फीसद पर आ गई है। ग्रामीण महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। उनकी कार्य भागीदारी दर, ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर, 10 फीसद तक गिर गई है। लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए हैं, जिससे करोड़ों नौकरियों का नुकसान हुआ है। स्थायी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अनिश्चित नौकरियां बढ़ रही हैं। मोदी शासन के तहत रोजगार में कैजुअलीकरण और ठेकेदारीकरण को, कानूनी मान्यता मिल रही है।

मनरेगा के तहत जहां काम की मांग बढ़ी है, वहीं सरकार ने इसके लिए धन आवंटन को कम कर दिया है। ज्यादातर राज्यों में किए जा चुके लगभग 1498 करोड़ रुपये के कार्यों का मेहनताना, कई–कई महीनों से बकाया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1.47 करोड़ काम चाहने वालों (कुल का लगभग 20 फीसद) को काम देने से ही मना कर दिया गया है।

मोदी सरकार द्वारा पारित चार श्रम संहिताएं, आठ घंटे का काम, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी के सभी अधिकारों सहित, मजदूर वर्ग द्वारा अधिक लम्बे संघर्षों से हासिल किए गए सभी हितलाभों को छीनने के लिए ही हैं। हालांकि सरकार अभी तक लागू करने के लिए श्रम संहिताओं को अधिसूचित नहीं कर सकी है, लेकिन वह जल्द से जल्द ऐसा करने पर आमादा है।

देश में भूख के आंकड़े चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में 116 देशों में 101वें स्थान पर है। लेकिन सरकार आइसीडीएस और मिड डे मील जैसी योजनाओं पर खर्च को कम कर रही है और जनता के जिंदा रहने के बुनियादी अधिकार को ही छीन रही है।

सभी उत्पादक परिसम्पत्तियों, देश की सम्पत्तियों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्थानों, खदानों, प्रतिरक्षा उत्पादन इकाइयों, प्रमुख बंदरगाहों, दूरसंचार टावरों, तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और एयरलाइंस, बिजली, स्टील, डाक सेवाओं आदि को अंधाधुंध निजीकरण के माध्यम से, देशी–विदेशी बड़े निजी कॉरपोरेट्स को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का उद्देश्य, सार्वजनिक धन से निर्मित हमारे बुनियादी ढांचे को निजी कम्पनियों को वस्तुतः मुफ्त में ही, भारी मुनाफा बनाने के लिए सौंपना है।

इससे न सिर्फ आम जनता पर बोझ बढ़ेगा बल्कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ी जातियों और समाज के अन्य दबे–कुचले तबकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को भी छीन लिया जाएगा। अधिकांश सरकारी विभागों और प्रशासन में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी और काम की आउटसोर्सिंग के माध्यम से, पूरी शासन प्रणाली का निजीकरण करने की योजना बनाई जा रही है। 'अग्निपथ योजना' का उद्देश्य प्रतिरक्षा सेवाओं को ठेकेदारी की व्यवस्था में धकेलना और साम्प्रदायिक ताकतों के लिए एक निजी सेना को तैयार करना ही है।

साथ ही यह सरकार बड़ी इजारेदार कम्पनियों, अम्बानी, अडानी और अन्य कम्पनियों के हित में लगातार कॉरपोरेट टैक्स की दरों को घटाने, सम्पत्ति कर को समाप्त करने, शुल्कों/करों के भुगतान, ऋण चुकौती आदि पर रोक लगाने की घोषणा करके, सुविधाएं प्रदान कर रही है। अति–अमीरों ने महामारी के दौरान भी दौलत बटोरी है। हमारे देश में असमानताओं का बहुत अश्लील रूप देखने को मिल रहा है। 1 फीसद सबसे अमीरों के पास सकल घरेलू उत्पाद का 70 फीसद से अधिक है और निचले पायदान के 50 फीसद के पास, 10 फीसद से भी कम है। केन्द्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान अपने मित्र कॉरपोरेट्स के 10.72 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को, बट्टे खाते में डाल दिया है। लगातार बढ़ते वैश्विक पूंजीवादी संकट और साम्राज्यवादी युद्धों आदि की पृष्ठभूमि में, स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है।

यह कन्वेंशन हमारे देश के उन लाखों किसानों को सलाम करती है जिन्होंने कॉरपोरेट समर्थक, किसान विरोधी और जन विरोधी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार को उन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर कर दिया। यह कन्वेंशन इस ऐतिहासिक संघर्ष के साथ हमारे देश के मजदूर वर्ग द्वारा दिखाई गई एकजुटता और पूरे दिल से समर्थन की सराहना करता है।

मोदी सरकार के किसानों को दिए गए सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने, उनसे परामर्श किए बिना बिजली संशोधन विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने, मुकदमों को वापस लेने और अन्य मुद्दों पर

आश्वासनों से मुकरने की, यह कन्वेंशन कड़े शब्दों में निंदा करती है। अपने वादे के विपरीत, सरकार ने बिजली के निजीकरण के लिए बिजली संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया है, हालांकि दबाव के कारण इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा है।

कृषि कानून, श्रम संहिताएं, बिजली कानून, निजीकरण की सनक आदि सभी नवउदारवादी नीतियों का हिस्सा हैं, जिन्हें थोपने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से अमादा है। देशी–विदेशी बड़ी कॉरपोरेट और इजारेदार कम्पनियों की मुनाफाखोरी के लिए, इन नीतियों को थोपने के अपने आक्रामक प्रयास में, मोदी सरकार इन नीतियों के हर विरोध का निर्मम दमन कर रही है।

मौलिक और बुनियादी मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। संसदीय मानदंडों और प्रथाओं की अनदेखी करते हुए, कानून पारित किए जा रहे हैं। वास्तविक तथ्यों को उजागर करने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना जमानत के जेल में डाल दिया जा रहा है। असहमति को 'कुचलने' की कोशिश की जा रही है। बहुसंख्यक साम्प्रदायिक ताकतें, जनता के पहनावे, भोजन की आदतों, दोस्त और जीवन साथी के चुनाव, आदि पहलुओं को भी नियंत्रित करना चाहती हैं। इसके कारण अल्पसंख्यक कट्टरवाद में वृद्धि हो रही है। साम्प्रदायिकता के ये दोनों रंग, वर्गीय एकता को भंग करने और जनता के जीवन और सामाजिक सद्भाव पर विनाशकारी प्रभाव डालने के लिए, फैलाए जा रहे हैं।

यह कन्वेंशन हमारे देश की मेहनतकश जनता और समाज के सभी प्रगतिशील वर्गों को आज सत्ताधारी वर्गों और उनकी प्रतिनिधि भाजपा की, जो फासीवादी आरएसएस द्वारा निर्देशित है, इन चालों का शिकार होने के खिलाफ चेताते हैं।

यह कन्वेंशन उन मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों और जनता के अन्य तबकों को बधाई देती है, जिन्होंने अपने स्वतंत्र और संयुक्त मंचों से, इन विनाशकारी नवउदारवादी नीतियों का विरोध करने और लडने में, बेमिसाल साहस का प्रदर्शन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले ऐतिहासिक किसान संघर्ष, 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल और फिर संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के बैनर तले 28–29 मार्च 2022 की देशव्यापी आम हड़ताल, कोयला, बंदरगाह और गोदी कर्मियों के विभिन्न क्षेत्रीय संघर्ष, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, डाक, दूरसंचार, बिजली, परिवहन, योजनाकर्मियों और मजदूरों के अन्य तबकों के संघर्ष और मजदूरी, मूल्य, भूमि, मनरेगा कार्य, सरकारी खरीद, आदि के मुद्दों पर विभिन्न राज्यों में किसानों और खेत मजदूरों के संघर्ष नजर आते हैं। अपने अधिकारों के लिए लडने के लिए हमारी जनता का दृढ़ संकल्प है।

केवल मजदूर, किसान और खेत मजदूर ही नहीं; युवा, छात्र, महिलाएं और कई अन्य तबके आज रोजगार, भोजन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी संघर्ष देश की आजादी के लिए लडने वाले हमारे पूर्वजों के सपनों को पूरा करने के लिए और एक स्वतंत्र भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए साम्राज्यवाद विरोधी, कॉरपोरेट विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी एकजुट संघर्षों की क्षमता को दिखाते हैं।

यह कन्वेंशन इस बात पर जोर देती है कि आज का संघर्ष केवल हमारी आजीविका और रहन–सहन एवं कामकाजी हालातों में सुधार करने की तात्कालिक मांगों के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, इस साम्प्रदायिक और सत्तावादी भाजापा–आरएसएस के शासन से समाज के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को बचाने के लिए भी है। यह हमारे संविधान को तथाकथित हिंदूत्ररक्षक 'हिंदुत्ववादी' ताकतों के हमले से, बचाने के लिए है। जैसा कि सावरकर, जिन्होंने सबसे पहले 'हिंदुत्व' शब्द का इस्तेमाल किया था, ने खुद ही समझाया था–यह एक राजनीतिक गढ़ंत है और इसका धर्म से कोई लेना–देना नहीं है। ये आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी साम्प्रदायिक ताकतें ही थीं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता

संग्राम में भाग लेने से इनकार कर दिया था और मुस्लिम लीग के साथ धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के होने के सिद्धांत को उठाते हुए, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति को बढ़ावा दिया। आज का संघर्ष राष्ट्र को बचाने और जनता को इन जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों और ताकतों से बचाने का है।

इसलिए, यह कन्वेंशन देश भर के मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों को निम्नलिखित मांगों पर एकजुट संघर्ष करने का आह्वान करती है। और भाजपा–आरएसएस के नव–उदारवादी, साम्प्रदायिक और तानाशाह शासन को परास्त करने का अथक प्रयास करने का भी आह्वान करती है।

मांगें:

■ सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन रु0 26,000/– और पेंशन रु0 10,000 सुनिश्चित करो; काम का कोई ठेकेदारीकरण नहीं हो; अग्निपथ योजना रद्द करो।

■ सभी कृषि उत्पादों की कानूनी रूप से गारंटीकृत सी 2+50 प्रतिशत की दर से एमएसपी के साथ खरीद सुनिश्चित करो।

■ केन्द्र सरकार सभी गरीब एवं मध्यम दर्जे के किसानों और खेत मजदूरों को एकमुश्त ऋण माफ; 60 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन दो।

■ चार श्रम संहिताओं को समाप्त करो और विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को वापस लो।

■ नौकरी की सुरक्षा और सभी के लिए गारंटी; शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा के काम का विस्तार करो और न्यूनतम वेतन रु0 600/– प्रति दिन के साथ कार्यदिवस बढ़ाकर 200 करो और सारे लंबित वेतनों का भुगतान करो। और राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाओ।

■ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद करो; और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप लाइन (एनएमपी) को समाप्त करो।

■ महंगाई पर रोक लगाओ, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वापस लो; पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल/खाना पकाने की गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भारी कटौती करो।

■ राशन प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत और सार्वभौमिक बनाओ और 14 आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करो; सभी गैर आयकरदाता परिवारों को भोजन और आय सहायता सुनिश्चित करो।

■ वन अधिकार कानून (एफआरए) का सख्ती से कार्यान्वयन हो; वन (संरक्षण) अधिनियम और नियमों में संशोधन को वापस लें, जिसमें केन्द्र सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वनवासियों को सूचित किए बिना, जंगल की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

■ पिछड़े तबकों का दमन बंद करो और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करो।

■ सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करो; और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को वापस लो।

■ सभी नागरिकों के लिए आवास सुनिश्चित करो।

■ अति अमीरों पर टैक्स लगाओ; कॉरपोरेट करों में वृद्धि करो; और सम्पत्ति कर को लागू करो।

कार्रवाई का कार्यक्रम

☐ इन मांगों को देश भर के मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों तक ले जाने के लिए, यह कन्वेंशन तीनों संगठनों की सभी इकाइयों से, निम्नतम स्तर तक, एक गहन और व्यापक अभियान चलाने का आह्वान करता है:

☐ अक्टूबर 2022 के अंत तक अभियान की योजना बनाने के लिए तीनों संगठनों के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठकों का आयोजन;

☐ नवंबर–दिसंबर 2022 के अंत तक तीनों संगठनों के पदाधिकारियों की जिला स्तरीय संयुक्त बैठकें;

☐ जनवरी 2023 में राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन;

☐ अगले चार महीनों के दौरान स्थानीय मांगों सहित मुद्दों और उक्त मांगों पर पर्चा वितरण, पोस्टर, दीवार लेखन, सामूहिक बैठकें, जत्थे, जुलूस आदि के माध्यम से व्यापक अभियान, राज्य और जिला संयुक्त बैठकों में योजना के अनुसार जिन तक नहीं पहुंचे उन तक पहुंचने का लक्ष्य बनाना;

☐ फरवरी 2023 में जिला/स्थानीय स्तर के कन्वेंशन का आयोजन;

☐ इन जत्थों द्वारा इस कन्वेंशन के संदेश को देश के कोने–कोने तक पहुंचाना;

☐ 2023 में संसद के बजट सत्र के दौरान व्यापक 'मजदूर किसान संघर्ष रैली–2' का आयोजन।

यह सम्मेलन हमारे देश के सभी प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और देशभक्त लोगों का, देश बचाओ और जनता को बचाओ के इस देशव्यापी अभियान एवं कार्यक्रमों को अपना समर्थन और एकजुटता देने के लिए भी आह्वान करता है। ☐

बदहाली से बढ़ती आत्महत्याएं: असुविधाजनक सत्य, झूठ और सुविधा की चुप्पी

– वीजू कृष्णन

नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वर्ष 2014 में उस कृषि संकट को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था, जो कांग्रेस के नेतृत्ववाली तत्कालीन यूपीए–दो सरकार के दौरान व्याप्त था। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा की खातिर वोट मांगने के लिए नरेंद्र मोदी ने आकर्षक वादे किए थे और उनके पैकेज में उन तमाम ग्रामीण मतदाताओं को फुसलानेवाले बड़े–बड़े वादे शामिल थे जिनमें किसानों से लेकर खेतमजदूर, बंटाईदार तथा गरीब सभी शामिल थे, और होते भी क्यों नहीं?

यह वादा किया गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना दिया जाएगा। सस्ते सब्सीडीयुक्त इनपुट्स दिए जाएंगे। कम ब्याज दरों पर ऋण दिए जाएंगे। फसल हानि के लिए बीमा होगा, हर खेत को पानी मिलेगा और खेतमजदूरों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर और ऊंची मजदूरी होगी। और जाहिर है कि सभी के अच्छे दिन आ जाएंगे।

गहराता कृषि संकट

बहरहाल, पिछले आठ वर्षों में टूटे हुए वादों की लड़ी ही देखने में आयी है और भाजपा की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए शून्य अंक देना भी उसके साथ नरमी ही होगी। खेती की लागत के बढ़ते चले जाने से और उपज की लागत बढ़ते चले जाने से, कृषि आय घट गयी है या फिर अनुकूल ढ़ंग से नहीं बढ़ी है। सब्सीडीयुक्त इनपुट्स तथा कम ब्याज दरों पर ऋण देने के वादे उसी तरह धराशायी हो गए, जैसे कि फसल हानि के लिए बीमे के दावे धराशायी हो गए हैं।

वर्ष 2019 के 'कृषि परिवारों का आकलन और ग्रामीण परिवारों की भूमि तथा पशुधन मिल्कियत' संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें चक्र, जिसे 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने प्रकाशित किया है, के अनुसार एक दिन में खेती से प्रति व्यक्ति औसत आय मात्र 27 रु0 या फिर औसतन सिर्फ 816.5 रु0 प्रति महीना है (शुद्ध आय में रिसीटलैस खर्च शामिल होते हैं)। विभिन्न फसलों की खेती से एक परिवार औसतन 3,798 रु0, पशुधन से 1582 रु0, व्यापार से, 641 रु0, मजदूरी या वेतन से 4,063 रु0 और जमीन को ठेके पर देने से 134 रु0 ही कमाता है।

कृषि से होनेवाली आय, एक कृषिगत परिवार की आय के एक तिहाई से थोड़ी ज्यादा होती है। साफ है कि खेती से बहुत कम सरप्लस बचता है। ऐसे में किसी दीर्घावधि निवेश की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र के सीमांतीकरण ने पहले ऐसे आयाम अख्तियार नहीं किए थे। फसल उत्पादन से आय के हिस्से में ऐसी गिरावट अभूतपूर्व है।

वर्ष 2013 में किए गए पूर्ववर्ती सर्वे के परिणामों की तुलना में वास्तविक अर्थों में कृषि आय घटी है। भाजपा सरकार का दावा है कि वर्ष 2013 में हुए पिछले सर्वे के बाद के छः वर्षों में कृषिगत परिवार की औसत आय 6,442 रु0 से बढकर वर्ष 2019 में 10,218 रु0 हो गयी।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में एक किसान फसलों की खेती से 3,081 रु0 या वर्ष 2012, जो कि आधार वर्ष है, की कीमतों पर 2,770 रु0 कमाता था। वर्ष 2012 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2019 में फसलों की खेती से किसानों की प्रति माह 3,798 रु0 की आय, वास्तव में पहले के 2,645 रु0 के बराबर होगी, अर्थात किसानों की वास्तविक आय में 5 फीसद की गिरावट ही आयी है।

कर्ज की दलदल में

सच्चाई यह है कि ये आंकड़े भी महामारी तथा लॉकडाउन से पहले हुए सर्वे पर आधारित हैं। मनमाने ढ़ंग से लॉकडाउन को लागू करने के चलते फसल की कटाई से लेकर मार्केटिंग का जो संकट पैदा हुआ, उसके चलते किसान जनता के तमाम तबकों को भारी आय हानि हुयी। किसान और खेतमजदूर नोटबंदी के समय से ही भारी नुकसान उठा रहे हैं और महामारी के दौर में यह समस्या और बदतर हो गयी। खेती की बढ़ती लागत और घटती आय ने, किसानों को ऋणग्रस्तता में ही धकेला है।

ताजा सर्वे के अनुसार खेती किसानी करनेवाले 50 फीसद परिवार ऋणग्रस्त हैं और कृषि से जुड़े हरेक परिवार पर 74,121 रु0 का कर्ज बकाया है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और बदहाली महामारी के दौर में बढ़ गयी है। करोड़ों मजदूरों की नौकरियां खत्म हो गयीं और खाद्य सुरक्षा के लिए ऐसा खतरा पैदा हुआ कि लाखों–लाख लोग, भारी भूख तथा कुपोषण के शिकार हो गए।

साफ है कि ''सबका साथ–सबका विकास'' के पाखंड के पीछे अनेक ऐसे असुविधाजनक सत्य छुपे हुए हैं, जिन्हें यह तानाशाही निजाम अपने झूठों और सुविधाजनक चुप्पी से ढ़ांप देना चाहता है, फिर चाहे कार्पोरेट मीडिया राइजिंग इंडिया को लेकर कितने ही जोर–शोर से अभियान चला रहा हो। किसानों की आत्महत्याएं बेरोक–टोक जारी हैं। एनसीआरबी के अनुदार आंकड़े खुद यह दिखाते हैं कि पिछले आठ वर्षों में करीब एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े आंखें खोल देनेवाले हैं।

किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याएं

राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 1995 से लेकर 2014 तक के दो दशकों में करीब 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की थी। वर्ष 2014 से 2022 तक के इन आठ वर्षों में, किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा एक लाख को पार ही कर गया होगा क्योंकि वर्ष 2021 तक यह संख्या 89,184 तक पंहुच चुकी थी। इन आंकड़ों में वे हजारों बंटाईदार, बिना पट्टे खेती करनेवाले आदिवासी तथा दलित, महिला किसान, वन भूमि पर खेती करनेवाले और भूमिहीन खेतमजदूर शामिल नहीं हैं, जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, क्योंकि राज्य सरकारें इन्हें किसान आत्महत्याएं मानने को ही तैयार नहीं हैं।

गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुयी किसानों की आत्महत्याएं भी इसमें शामिल नहीं हैं, जो या तो अपने राज्यों में ऐसे किसी फिनोमिना के होने से ही इंकार करते हैं या फिर किसानों की आत्महत्याओं को कम करके दिखाते–बताते हैं, जबकि तथ्य इससे ठीक उलट हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब के छः जिलों में हुए सर्वे से पता चला कि वर्ष 2000 से 2018 तक 16,594 किसानों ने आत्महत्या की अर्थात हर वर्ष करीब 900 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि पूरे राज्य के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों का, औसत प्रति वर्ष करीब 200 का ही है।

एक आरटीआइ जांच से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में वर्ष 2021 में 122 किसानों ने आत्महत्या की। विडंबना यह है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, जहां यह रिपोर्ट किया जाता है कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है।

अर्थव्यवस्था के सकल संकट का एक नया पहलू यह है

कि दिहाड़ीदार मजदूरों में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2014 से 2021 के बीच 2,35,799 दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। किसानों और खेतमजदूरों की आत्महत्याओं को मिलाकर वर्ष 2014 से 2021 तक आत्महत्याओं का कुल आंकड़ा करीब 3,25,000 तक पंहुचता है। यह भी जबर्दस्त कृषि संकट और सकल आर्थिक संकट का ही प्रतिबिंबन है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए जारी किया गया सावधि श्रम शक्ति सर्वे डाटा आंखें खोल देनेवाला है। भारत में कृषि पर निर्भर आबादी (खेतमजदूर और खेतिहर) का जो हिस्सा वर्ष 2017–18 में 42.5 फीसद होता था, वह वर्ष 2019–20 में बढक़र 45.6 फीसद हो गया। महामारी की अवधि के दौरान इस प्रवृत्ति का और बढऩा तय था।

रोजगार कहां हैं?

नोटबंदी ने शहरी क्षेत्रों से गांवों की ओर उल्टी पलायन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो इस बढ़ोतरी में दिखाई दे रहा है। पिछले कई वर्षों से कृषि पर आधारित आबादी में कमी आ रही थी, लेकिन यह प्रवृत्ति दिखा रही है कि यह ट्रेंड पलट गया है, जो अर्थव्यवस्था में सकल संकट, गैर–कृषि रोजगार के घटते अवसरों, कंपनियों में हो रही छंटनी तथा अनेक कंपनियों और खासतौर से एमएसएमई क्षेत्र की अनेक कंपनियों के बंद हो जाने का ही संकेत देता है।

बहरहाल, महामारी के बाद भी ऐसे किसी उपयुक्त रोजगार के कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कृषि पर निर्भर आबादी को समायोजित कर सके क्योंकि गैर–कृषि क्षेत्रों में लगे मजदूरों को भी शहरी केंद्रों से भी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी, निकाल बाहर कर दिया गया है। यह परिदृश्य भी यही दिखाता है कि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा तबका, नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उनकी आय में गिरावट आयी है और बेरोजगारी, भूख तथा कुपोषण बढ़ा है।

आवंटन में कटौती के जरिए और महामारी के दिनों में भी काम के दिनों में बढ़ोतरी न करके मनरेगा को व्यवस्थित ढ़ंग से खत्म किया गया है, जिसके चलते खेतमजदूरों को खतरनाक स्थितियों में धकेल दिया गया है।

जीवनयापन के लिए असंगठित क्षेत्र में काम की तलाश में शहरी केंद्रों में पंहुचनेवाले प्रवासी मजदूरों को एक खतरनाक, असुरक्षित स्थिति में धकेला जा रहा है, जिसमें वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों के अधिकारों का नकार, काम का पैसा न मिलना या कम पैसा मिलना और कमरतोड़ महंगाई आदि, सबका परिणाम यह हुआ है कि दिहाड़ीदार मजदूरों की आत्महत्याएं बढ़ गयी हैं। किसान जनता का ऐतिहासिक एकजुट संघर्ष, जो विजयी रहा, उस संघर्ष के मजदूर वर्ग के लिए भी और किसान जनता के लिए भी कई सबक हैं।

एक ऐसी अनिश्चित स्थिति में जब आज का किसान कल का प्रवासी मजदूर बनता जा रहा हो और जिसे राज्य ने भगवान भरोसे छोड़ दिया हो और जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा कार्पोरेट मुनाफा बटोरे जाने की दौड़ में जिसका ज्यादा से ज्यादा शोषण हो रहा हो, उस स्थिति में हमारे लिए सबक यही है कि मजदूरों और किसानों की एक सुदृढ़ एकता का निर्माण किया जाए और कार्पोरेट कंपनियों तथा साथ ही साथ भाजपा सरकार के खिलाफ भी निरंतर संघर्ष छेड़े जाएं।

यह उठ खड़े होने का वक्त है और शासक वर्गों की झूठों को बेनकाब करने और उनकी सुविधाजनक चुप्पी को तार–तार कर देने का वक्त है। आइए, पुरजोर आवाज में यह दावा करें कि 'आत्महत्याएं नहीं, एकजुट होंगे और लड़ेंगे' और एकजुट संघर्षों के जरिए एक ऐसे विकल्प की पटकथा लिखेंगे, जहां मजदूरों और किसानों के अधिकारों की गारंटी होगी। □

भूमि अधिकार आंदोलन का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन
"घर, खेती की ज़मीन का अधिकार–हमारा मानव अधिकार"
अधिकारों और मांगों के पूरा होने तक स्थानीय संघर्षों को तेज करने का संकल्प

– पी कृष्णप्रसाद

भूमि अधिकार आंदोलन के चौथे अखिल भारतीय सम्मलेन में जमीन, पानी और जंगल के अधिकार के लिए स्थानीय संघर्षों को जीत ले जाने और देश भर में मजदूर–किसान एकता को, कॉर्पोरेट ताकतों द्वारा नव उदारवादी हमले के खिलाफ जन–प्रतिरोध की रीढ़ बनाने का आह्वान किया गया। 26–27 सितंबर 2022 को भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में संपन्न हुआ। इस सम्मलेन में सरकार और कॉरपोरेट्स द्वारा भूमि वह जंगलों को हथियाने के खिलाफ लडने का संकल्प लिया गया। 20 राज्यों के 70 संगठनों के 200 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, मेहनतकशों के हाथों में देश के संसाधनों की रक्षा के लिए एक साथ मिल कर लडने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब आदि राज्यों से कार्यकर्ताओं ने भागेदारी की।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, हन्नान मौल्ला ने कहा, ''इस देश के आदिवासियों, किसानों, दलितों और मजदूरों के अधिकारों पर लगातार चौतरफा हमला हो रहा है। एसकेएम के नेतृत्व में किसान संगठनों द्वारा लड़े गए लंबे संघर्ष के बाद, सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भूमि, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों को बचाने के लिए हमारी ऐसी ही एकता की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में बीएए इसके लिए अपने संघर्ष को ओर तेज करेगा।''

सम्मेलन ने पूरे देश में स्थानीय लोगों से जमीनें जबरन हड़पने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों के खिलाफ एक गहन अभियान और संघर्ष का आह्वान किया; जल, जंगल, जमीन और खनिज जैसे सार्वजनिक संसाधन, जो सदियों से जनता के पास रहे हैं, को उन से छीनने का प्रयास किये जा रहे है।

भूमि अधिकार आंदोलन अपने गठन के समय से ही ऐसे सभी स्थानीय संघर्षों और प्रतिरोधों के साथ एकजुटता दिखता रहा है। इन सभी संघर्षों को एक साथ लाने के लिए प्रयास किये गए हैं। 2015 में बीएए के गठन के समय उसने एक विजयी संघर्ष का नेतृत्व किया, जिससे मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को किसान विरोधी और कॉर्पोरेट–समर्थक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से यह हमेशा स्थानीय समुदायों, आदिवासियों, दलितों, मछुआरों और शहरी गरीबों के संसाधनों की राज्य प्रायोजित लूट के खिलाफ रहा है।

एक राष्ट्रीय मंच के रूप में बीएए इस लूट के खिलाफ संगठित प्रतिरोध के साथ खड़ा रहा है और उसने

हमेशा पहचान और आजीविका के रूप में भूमि अधिकारों की वकालत की है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों की गारंटी देता है। यह आंदोलन न सिर्फ संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि देश में प्रचलित ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह असमानता के खिलाफ समानता को स्थापित करने की लड़ाई और मेहनतकश लोगों व वंचित समुदायों के साथ मिलकर इसे हासिल करने की दिशा में, शांतिपूर्ण तथा जनतांत्रिक जन आंदोलनों की भी पुरजोर वकालत करता है।

भूमि अधिकार आंदोलन के इस चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों में सरकार और कॉरपोरेट्स द्वारा भूमि की लूट के खिलाफ लड़ रहे जन–आंदोलनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हन्नान मौल्ला, मेधा पाटकर, उल्का महाजन, प्रफुल्ल सामंत्रे, दयामणि बारला, डॉ सुनीलम, डॉ अशोक ढवले, अरविंद अंजुम, माधुरी, रोमा मलिक, सत्यवान, वीजू कृष्णन और अन्य लोग, भूमि एवं वन अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज करने के लिए एक साथ आए।

सम्मेलन में हुयी चर्चा के अनुसार मोदी राज में समुदायों और पर्यावरण की कीमत पर कानूनों, संशोधनों और रियायतों का उपयोग करके भूमि, जंगल और सार्वजनिक संपत्ति कॉरपोरेट्स को सौंपे जा रहे हैं। जहां केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्यों को खुली छूट दी गई है वहीं दूसरी ओर निजी प्रबंधन और वनीकरण की आड़ में कॉर्पोरेट्स के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्यावरण कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और स्वायत्त जिला परिषदों के अधिकारों को कम किया जा रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं द्वारा साझा किया गया। भूमि बैंकों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और चरागाहों, जल निकायों, सामुदायिक भूमि आदि से समुदाय को बेदखल कर दिया है। कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी ने न केवल जमीन और जंगलों पर कब्जा कर लिया है बल्कि पूरी दुनिया में जलवायु को भी प्रभावित कर रही है।

सम्मेलन ने कहा कि निहित स्वार्थों के कड़े विरोध के बावजूद, वामपंथ की मदद से वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। इसने वन भूमि और आदिवासियों से संबंधित सभी पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब भी भाजपा शासन द्वारा इस पर हमला किया जा रहा है। इस

हमले को खारिज करना होगा ।

सम्मेलन का समापन करते हुए, डॉ अशोक ढवले ने कहा, ''तेलंगाना संघर्ष भारत के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे उग्र भूमि संघर्ष था। वह सामंतवाद के खिलाफ था। सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए कॉर्पोरेट भूमि हड़प और आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज किया जा रहा है। मनुवादी कॉरपोरेट सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को कई गुना मजबूत किये जाने की जरूरत है।''

सम्मेलन ने कई प्रस्ताव पारित किये जिनमें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियमों में किए गए परिवर्तनों को आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक समुदायों की गरिमा और आजीविका के खिलाफ तथा इसे भारत की संसद द्वारा पारित एक प्रगतिशील ऐतिहासिक कानून ''वन अधिकार अधिनियम, 2006 की भावना के साथ खिलवाड़ के रूप में देखना, अडानी द्वारा कोयले पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए मध्य भारत के फेफड़े कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य, जैसे समृद्ध जंगलों के विनाश का कड़ा विरोध तथा देश में जनतांत्रिक आंदोलनों और कार्यकर्ताओं पर दमन की कड़ी निंदा शामिल हैं।

सांगठनिक कसावट के अलावा भूमि अधिकार आंदोलन ने आगामी दिनों के संघर्षों के लिए मांगपत्र भी तैयार किया।

मांग पत्र

■ भूमि का कॉर्पोरेट अधिग्रहण बंद करो, सभी गैरकानूनी विस्थापन और बेदखली को रोको तथा किसानों के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करो।

■ एलएआरआर 2013 को सख्ती से लागू करें। गैरकानूनी विस्थापन और बेदखली के खिलाफ किसान प्रतिरोध पर खुला दमन बंद करो।

■ कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए रूपांतरण करने से बचाने के लिए धाराओं को सख्ती से लागू करें और भूमि के वैध तथा उचित अधिग्रहण पर उचित मुआवजे के लिए भूमि कानूनों में शर्तों का पालन करो।

■ एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाए।

■ वन संरक्षण नियम 2022 को वापस लों । जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2022 को वापस लों।

■ तटीय भूमि पर मछुआरा सामुदायिक अधिकारों की पहचाना और से दर्ज किया जाए ।

■ मनरेगा का व्यापक कार्यान्वयन किया जाए व इसे कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी तथा सभी संबद्ध क्षेत्रों से जोड़ जाए और सभी ग्रामीण कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 600 / रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए ।

■ किसानों को उनके पशु धन के आदान–प्रदान करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में पशु व्यापार तथा बाजार को वैध बनाया जाए।

■ राज्य सरकारों को एक खंड शामिल करने का निर्देश – राज्य सरकार किसानों को बाजार मूल्य का भुगतान करते हुए मवेशियों की खरीद करे और उन्हें गौशालाओं में रखें जहां उचित चारा व पानी सुनिश्चित किया जाए।

■ गोरक्षा के नाम पर विशेष रूप से मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हिंसा तथा मॉब लिंचिंग करने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

■ केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारे राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित, सभी फसलों के लिए सरकरी खरीद केंद्रों पर उत्पादन लागत की डेढ़ गुना कीमत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटीकृत खरीद सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएं और बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि–प्रसंस्करण औद्योगिक और विपणन नेटवर्क से युक्त फसलवार किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए।

■ सभी राज्यों में 600 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करें और श्रमिक वर्ग के उच्च मजदूरीके लिए मोलभाव, यूनियन बनाने के अधिकार और हड़ताल के अधिकार को नकारने वाली 4 श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए।

■ संस्थागत और निजी सहित, सभी किसान परिवारों को समाहित करने वाली व्यपक कर्ज़ा माफी योजना लाई जाए और किसान आत्महत्याओं पर रोकने के लिए युद्ध स्तर पर सख्त उपाय कियें जाए।

■ सभी खेत मजदूरों और 2 हेक्टेयर भूमि तक के छोटे व सीमांत किसानों के लिए, 60 वर्ष की आयु के बाद 5000 रुपये की सार्वभौमिक मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाए।

■ कृषि के निगमीकरण के तहत संविदा खेती(बवदजतंबज तिउपदह) बंद करो। कृषि उत्पादन के कॉर्पोरेट अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगया जाए। आधुनिक फसल–वार कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों और बाजार नेटवर्क के साथ जुड़कर छोटे उत्पादन को बड़े पैमाने पर उत्पादन में स्थानांतरित करने के लिए सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए।

■ मुक्त व्यापार समझौतों को वापस किया जाए और किसानों को बीज, उर्वरक, बिजली, सिंचाई तथा इनपुट उद्योगों पर सब्सिडी बहाल की जाए।

■ जीएसटी को वापस किया जाए और भारत के संविधान के चरित्र को नष्ट करने वाले धन के केंद्रीकरण को रोका जाए, जो भारतीय संघ तथा किसान व कृषि के लिए हानिकारक है।

■ बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जाए और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए।

■ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को तत्काल रोकने का उपाय लिया जाए और पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रण मुक्त किया जाए।

■ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एनएफएसए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। अनाज के वर्तमान प्रावधान को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित न किया जाए।

■ भूमि सुधारों के उद्देश्यों और कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए, अपंजीकृत पद्देदार किसानो की रक्षा की जाए तथा इस प्रक्रिया का पारदर्शी क्रियान्वयन हो।

■ स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण बंद करो।

■ एनएमपी पर रोक लगाओ – राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जिसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों को कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपना है पर रोक लगाई जाए। □

वर्ण और जाति मुक्त भारत का संघी अभियानः नौ सौ चूहे खाइ बिल्ली हज को चली

– बादल सरोज

यह समय, एक जोरदार समय है। यह समय आजमाई और मुफीद समझी जाने वाली लोकोक्तियों, कहावतों और मुहावरों के पुराने पड़ जाने का समय है। जैसे विसंगतियों और एकदम उलट बर्ताब के लिए सामान्य रूप से प्रचलित कहावतों, मुहावरों में 'शैतान के मुंह से कुरआन की आयतें' या 'रावण का साधुवेश में आना' या 'मुंह में राम बगल में छुरी' का उपयोग किया जाता रहा है। मगर इन दिनों लगातार ऐसी रोचक उलटबांसियां हो रही हैं कि साफ नजर आते अंतर्विरोध को उजागर करने के लिए ये मुहावरे अपर्याप्त से लगने लगे हैं। नए रूपक गढने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसा ही एक घटनाविकास इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुयी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में लिया गया संकल्प है।

इस बैठक में आरएसएस द्वारा अपने शताब्दी वर्ष में ''सामाजिक समरसता और जाति–वर्ण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य हासिल करने के लिए, कई तरह के अभियान शुरू करने'' का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसमें भी समरसता को जोड़ा गया है जिसका मतलब विभेदों के साथ निबाह के सिवा और कछ नहीं होता। बहरहाल, उसने तय किया है कि इसके लिए वह ''जाति–वर्ण मुक्त हिंदू समाज की स्थापना के लिए, धर्मगुरुओं और समाज के प्रबुद्ध लोगों के जरिए अपने अभियान को धार देगा।'' आरएसएस प्रवक्ता के अनुसार ''सामाजिक समरसता और जाति–वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अभियान कई स्तर पर चलेगा। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में स्वयंसेवक सभी वर्गों (पढ़ें ; जाति समूहों) की पूजास्थलों तक पहुंच, एक ही जगह सभी वर्गों का अंतिम संस्कार और एक ही जलस्रोत से सभी वर्गों के पानी पीने के लिए अभियान में तेजी लाएगा। इसके साथ ही सभी गांवों में शाखा लगाने की गुंजाइश भी तलाशी जाएगी, जिनमें युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।''

प्रयागराज की बैठक में जिस ''वर्ण–जाति मुक्त भारत'' का अभियान चलाना तय किया गया है, आरएसएस के अब तक के किये–धरे व्यवहार और लिखे–कहे विचार, दोनों से ही एकदम 180 डिग्री उलट और उसकी अब तक की सारी धारणाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। पहले उनके आचरण और बर्ताब के ही दो–तीन उदाहरण देख लें। मध्यप्रदेश में सत्ता से हटाई गयी तब पूर्व हो चुकी मुख्यमंत्री उमा भारती ने जब बगावत की थी, तब तबके आरएसएस प्रमुख के सी सुदर्शन ने टिप्पणी करते हुए उनके महिला होने और उनकी जाति की ओर साफ़ इशारा करते हुए इसे ''अपेक्षित और स्वाभाविक'' बतया था। उनका आशय साफ़ था कि चूंकि वे एक जाति विशेष में जन्मी हैं और उस पर अतिरिक्त यह कि वे महिला हैं, इसलिए उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है।

देश भर के अनेक मंदिर ऐसे हैं जिनके बाहर शूद्रों का प्रवेश वर्जित होने की तख्तियां टंगी हुयी हैं। अकेले इसी वर्ष में दो दर्जन से अधिक ऐसे मामले राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा के विषय बने हैं, जिनमें किसी दलित के मंदिर में घुसने या प्रतिमा को छू देने भर से पिटाई यहां तक कि कुछ मामलों में मौत तक का सामना करना पड़ा है। इनके बारे में पहले काफी लिखा जा चुका है। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश के अधिकांश मंदिरों, हिंदी भाषी इलाकों के तकरीबन सभी मंदिरों पर, आरएसएस का कब्जा हो चुका है। जिन शंकराचार्यों को आरएसएस और भाजपा ने अपनी पालकी

का कहार बनाया हुआ है, उनमें से अनेक सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं, देते रहते हैं कि शूद्रों का मंदिरों में प्रवेश 'हिन्दू धर्म सम्मत' नहीं है और इसकी अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है।

पिछले कुछ वर्षों से जिन प्रवचनकर्ताओं की बाढ़ सी आयी हुयी है, जिनके लिए संसाधन और भीड़ जुटाने के लिए भाजपा की सरकारें बाकायदा लिखा–पढ़ी में आदेश जारी कर आंगनबाड़ी कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रही हैं; जो प्रवचनकर्ता धार्मिक की बजाय सीधे–सीधे राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रवचन दे रहे हैं, अपने प्रवचनों में नाम लेकर मोदी और आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं; वे साफ़–साफ़ शब्दों में जाति श्रेणीक्रम की महत्ता और दलितों की निकृष्टता की बात कहते हैं और इसे धर्मसम्मत साबित करने में जुटे रहते हैं। मामला सिर्फ गांव, कस्बों की रिआया भर का नहीं है। यह सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपतियों के मंदिर की सीढियों से ही पूजा कर लौट आने और कार्यभार ग्रहण करने से पहले पुरोहितों द्वारा उनके शुद्धीकरण की सार्वजनिक घटनाओं तक जा पहुंचा है। उत्तरप्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा कार्यभार लेने के साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास को गंगाजल से ''ओम पवित्रम–पवित्राय'' किये जाने की कारगुजारी पूरी दुनिया ने देखी है।

आरएसएस और भाजाप ने कभी इन सब पर आपत्ति नहीं उठाई, उलटे किन्तु–परन्तु करके या तो इन सबकी अनदेखी की या इन्ही के कुछ लोगों ने इसे उचित और सही ठहराया। योगी राज में हाथरस की गैंग रेप पीड़िता की मृत देह को जलाने के समय हुयी वीभत्सता से लेकर, सारे भाजपा शासित प्रदेशों में लगातार बढ़ती दलित आदिवासी उत्पीडऩ की वारदातें और शासन प्रशासन का उनके प्रति व्यवहार, इसी असली व्यवहार की कलुषित सच्चाई उजागर करता है। हाल में दशहरे के दिन दिल्ली में हुआ वाकया ताजा–ताजा है, जब बौद्घ धर्म में सामूहिक धर्मांतरण के ऐतिहासिक आयोजन में आंबेडकर द्वारा ली गयी 22 प्रतिज्ञाएं दुहराने के ''अपराध'' के लिए, भाजपा समेत समूचे संघ परिवार के भारी हंगामे ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की अपनी सरकार के इकलौते दलित मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस आख्यान का असर अब न्यायपालिका के कई फैसलों और टिप्पणियों में भी दिखाई देने लगा है।

इसके पहले संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रामाणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए मुस्लिम और दलित शिक्षकों के विरोध में यह कुनबा कोहराम मचाकर उन्हें हटवा चुका है। जब प्रयागराज से जाति और वर्णमुक्त समाज की दुहाई दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त बनारस के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अथर्व वेद पढ़ाने हेतु प्रोफेसर पद पर नियुक्त किये गए डॉ0 सतेंद्र यादव को लेकर, इसी विचार गिरोह की ''अहीर होकर वेद पढ़ाओगे'' की टिप्पणी आ रही थी!

जाति और वर्ण, संघ की विचारधारा और जिस तरह का 'हिन्दू राष्ट्र' वे बनाना चाहते हैं, उसका सबसे बुनियादी आधार और सार तत्व है। हिंदू राष्टङ्क का पूरा दुःस्वप्न ही उस कथित गौरवशाली अतीत की बहाली पर टिका है, जो खुद वर्णाश्रम पर टिका हुआ है और जिसने भारत के बौद्धिक, सृजनात्मक, सामाजिक, आर्थिक विकास को ठप्प करके रख दिया था। विनायक दामोदर सावरकर से लेकर डॉ0 केशव बलिराम हेडगेवार से माधव सदाशिव गोलवलकर होते हुए आज तक के उनके सारे सैद्धांतिक सूत्रीकरण, जिस नींव पर टिके हुए हैं वह सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध हुए आंदोलनों के हासिल के निषेध और मनुस्मृति की पूर्णरूपेण बहाली के जरिये, अतीत की महानता वाले समाज की पुनर्स्थापना की ही समझदारी है। आरएसएस ने इस सबसे कभी इंकार नहीं किया –कभी इस सब का खंडन नहीं किया।

उनका लक्ष्य हिन्दू पद–पादशाही की स्थापना है, जिसका एकमात्र मॉडल पुणे और उसके आस–पास कुछ वर्ष रही पेशवाशाही है। यह वही हिन्दू पद पादशाही है, जिसमें शूद्रों और पिछड़ों को गले में कटोरा और कमर में झाड़ू बांध कर 'हटो बचो' चिल्लाते हुए निकलना पड़ता था, ताकि उनकी परछाईं भी पडऩे से कोई द्विज अशुद्ध और अपवित्र न हो जाये। यह वही पेशवाशाही थी जिसके खिलाफ 1818 में भीमा–कोरेगांव हुआ थाकृवही भीमा–कोरेगांव जिसकी 200वीं सालगिरह मनाने के अपराध में आज भी बाबा साहब आंबेडकर के पौत्र–दामाद आनन्द तेलतुम्बड़े सहित दर्जन भर से अधिक बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट बिना जमानत जेलों में सड़ रहे हैं। क्या इसी व्यवहार और विचार के आधार पर आरएसएस जाति और वर्णमुक्त समाज की स्थापना करने जा रहा है?

आरएसएस के एकमात्र 'गुरुजी' एम एस गोलवलकर के ग्रन्थ के ग्रन्थ, वर्ण व्यवस्था की महानता और निर्विकल्पता से भरे हुए हैं। इसकी हिमायत में वे कहते हैं कि 'ईरान, मिस्र, यूरोप तथा चीन के सभी राष्ट्रों को मुसलमानों ने जीत कर अपने में मिला लिया, क्योंकि उनके यहां वर्ण व्यवस्था नहीं

थी। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर तथा उत्तर–पश्चिम के सीमान्त प्रदेश और पूर्वी बंगाल में लोग मुसलमान हो गए क्योंकि इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कमजोर बना दिया था।' क्या आरएसएस अपने गुरुजी की इस बुनियादी प्रस्थापना का धिक्कार करने के लिए तैयार है?

दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए किये जाने वाले विशेष प्रावधानों का भी आरएसएस हमेशा से विरोधी रहा है। इनके बारे में उनकी हिकारत इस कदर रही कि गोलवलकर ने इन तबकों को 'मांस का टुकड़ा फेंकने पर इक– होने वाले कौए' तक बता दिया था। उनको बराबरी का मताधिकार देने की निंदा की। वे यहीं तक नहीं रुके उन्होंने इसका दार्शनिक और सैद्घांतिक सूत्रीकरण तक किया। असमानता और उंच–नीच को सनातन और प्राकृतिक बताते हुए उन्होंने लिखा है कि 'हमारे दर्शन के अनुसार ब्रह्माण्ड का उदय ही सत्व, रजस और तमस के तीन गुणों के बीच संतुलन बिगडने़ के कारण हुआ है और इन तीनों में यदि बिलकुल सही संतुलन ''गुणसाम्य'' स्थापित हो जाए तो ब्रह्माण्ड फिर शून्य में विलीन हो जाएगा। इसलिए, असमानता प्रकृति का अविभाज्य अंग है। इसीलिये ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस अन्तर्निहित असमानता को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है, वह विफल होने के लिए बाध्य है।' (एम एस गोलवलकर, 'बंच ऑफ़ थॉट्स', 1960, पृष्ठ 31)। इसी पृष्ठ पर इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि 'जनता के द्वारा, ''जनता के लिए'' की अवधारणा का अर्थ है राजनीतिक प्रशासन में सबकी समान भागीदारी का होना। यह काफी हद तक एक भ्रम मात्र है।' हाल ही में सरसंघचालक, मोहन भागवत ने जब गोलमोल अंदाज में यह कहा था कि 'मुमकिन है कि वर्ण व्यवस्था पहले समाज के लिए लाभकारी रही हो मगर अब नहीं है' तब भी वह असली सवाल से बचकर निकलने की ही कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या वे गोलवालकर के इस दार्शनिक सैद्घांतिक सूत्रीकरण को ठुकराने के लिए, इसे गलत गलत बताते हुए संघ को इससे अलहदा करने के लिए तैयार हैं? नहीं।

प्रयागराज में इसी वर्ण और जाति व्यवस्था से मुक्त भारत की स्थापना का मुगालता देने वाले आरएसएस ने क्या इन सब वैचारिक धारणाओं से पल्ला झाड़ लिया है। बिलकुल नहीं। वे समानता की कायमी करके ब्रह्माण्ड के शून्य हो जाने का जोखिम नहीं लेने जा रहे हैं। उनका अभियान वर्ण और जाति का माहात्म्य समझाने, उसे हिन्दू धर्म की महानता प्रतिपादित करने और अवर्णो तथा कथित निम्न वर्णों को उनके छोटे–छोटे देवता और भगवान थमा कर, उनके अनुरूप जीवन व्यवहार का सबक सिखाने के लिए है।

यह नारा सिर्फ कार्यनीतिक है – टैक्टिकल है। आरएसएस हिन्दुओं के लिए कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करने जा रहा –यह असमानता और ऊंच–नीच को कॉमन सिविल कोड बताने की मुहिम शुरू कर रहा है। यह सत्ता और समाज पर सम्पूर्ण वर्चस्व कायम करने के रास्ते पर पडने़ वाली वैतरणी को पार करने के लिए नाव की तरह इस्तेमाल की जाने वाली उल्लू की लकड़ी है।

कहते हैं कि जंगली चूहा सोते हुए मनुष्य को एक साथ नहीं कुतरता – एक बार कुतरता है, फिर फूंक मारकर राहत देता है, फिर कुतरता है और इस तरह जिसे कुतरा जाता है उसे पता भी नहीं चलता। प्रयागराज से हुआ आह्वङ्गान ऐसी ही फूंक है – मगर यह फूंक सोते हुए मनुष्य पर ही काम आ सकती है, जागते इंसान पर नहीं। इस झांसे और भ्रमजाल की फूंक का भी यही इलाज है; जागते हुए इंसानों के जाग्रत समाज का निर्माण। □

खूनी कपास

– मनोज कुमार

भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती हजारों वर्षो से की जा रही है। इस के शुरुवाती शाक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता के वक्त से मिलते है। उपनिवेशिक काल में ब्रितानिया कपडा उद्योगों के लिए कपास और उस से जुडी नील की खेती तथा किसानो के शोषण की बहुत सी कहानियाँ इतिहास की किताबो में दर्ज है। आजादी के बाद के समय में भी सफ़ेद कपास किसानों के लाल खून से रंगी ही नज़र आती है, कपास उगने वाले मुख्य इलाको में किसानों की दर्दभरी दस्ताने भरी पड़ी है। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या वाले क्षेत्र महाराष्ट्र के विधर्वा और मराठवाड़ा में कपास प्रमुख नक़दी फसल है। सरकारों के बड़े–बड़े दावों के बावजूद ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, जिसने 2022 में दुनिया के कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत उत्पादन किया था। देश भर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 6 करोड़ से ज्यादा लोग उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार के ज़रिए इस पर आश्रित है। कपास जिसे नकदी फसल माना जाता है और जिसका बाजार भाव भी लागतार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा रहता है, यह देख कर ऊपर से सब ठीक दृ ठाक लगता है, पर दूसरी तरफ लगातार कर्जे में डूबे किसान है जो आत्महत्या तक को मजबूर है। कीटों का आक्रमण, बे–मौसम या अत्यधिक बारिश व अन्य कारणों से फसल का ख़राब होना आम बात है। जिस कारण किसानो को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इस नुकसान की भरपाई की लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मुआवजे या तो दिए ही नहीं जाते और अगर किसान आन्दोलनों के दबावों में घोषनाएं की भी गई तो, किसानो को मुआवजे वितरण के लिए भी संघर्ष करने पड़े है। जो मुआवजे मिले भी तो वह असल नुकसान से बहुत कम है।

कई साल पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास जिसे हम बी टी कपास कहते है के उतपादन के लिए किसानों को यह कह कर प्रोत्साहित किया गया कि यह किसानो की फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बचाएगी पर। आब जब देश की कुल कपास उपज का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बी टी कपास का है, इसके नतीजे भी हमारे सामने है। कपास की फसल में कीटों से नुकसान में कुछ आंशिक सुधार के अलावा कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर से महंगे बीज और कीटनाशकों के कारण किसानों की लागत में भी भारी वृद्धी हुई है। गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी व अन्य कीटों के हमलो से फसल के उत्पादन के कमी के कारण होने वाले नुकसान का किसानो को प्रतिवर्ष सामना करना पड़ रहा है।

जहां एक और दावा किया जाता है कि, कपास की फसल में एमएसपी से अधिक बाजार भाव की वजह से किसानो को अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन वही दूसरी ओर हक़ीकत यह है कि इनपुट कीमतों की वृद्धि ने लागत को इतना बढ़ा दिया है कि अगर हम किसान परिवार की मेहनत के मूल्य को कपास फसल की बिक्री से मिले दाम से घटा दे तो, हम पाएगे की मुनाफे की जगह असल में बाकी फसलो की तरह, किसान इस फसल में भी घाटे में है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) के आंकड़ो के अनुसार प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कृषि उपज में गिरावट आई है, सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में पछले पांच वर्षो में पैदावार में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई है, साथ ही दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस अवधी में उत्पादकता में 11.4 प्रतिशत की कमी आई है। गुजरात के 2016–17 में जहा उत्पादकता 6.1 क्विंटल प्रति हेक्टेर थी, वह 2021–22 में 5.8 क्विंटल प्रति हेक्टेर रह गई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 2016–17 में उत्पादकता

3.5 क्विंटल प्रति हेक्टेर थी वह अब 2021–22 में 3.1 क्विंटल प्रति हेक्टेर रह गई है। मध्य प्रदेश में भी हमें इसी तरीके की गिरावट नजर आती है। 2016–17 में यहाँ उत्पादकता 5.6 क्विंटल प्रति हेक्टेर थी जो 2021–22 में 4. 1 क्विंटल प्रति हेक्टेर रह गई है। यानि सब से अधिक 27 प्रतिशत की गिरावट यहीं दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के विश्लेषण के अनुसार भारतीय खेतों की औसत उत्पादकता उन की उत्पादन अक्षमता से बहुत ही कम है। अगत हम राज्य वार देखें तो तमिलनाडु में उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेर 24.3 क्विंटल है जबकी वास्तविक औषत उत्पादन प्रति हेक्टेर 3.7 क्विंटल के लगभग है। गुजरात में खेतों की उत्पादन क्षमता 17.8 क्विंटल प्रति हेक्टेर है, जबकि असल औसत उत्पादन महज 5.4 क्विंटल प्रति हेक्टेर है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के खेतों की औसत उत्पादकता 3.8 क्विंटल प्रति हेक्टेर है जबकि उत्पादन क्षमता 17.1 क्विंटल प्रति हेक्टेर, हरियाणा में इस समय औसत उत्पादकता 4.42 क्विंटल प्रति हेक्टेर है वही उत्पादन क्षमता 24.1 क्विंटल प्रति हेक्टेर की है। यह आंकडे साफ दिखाते है कि, उत्पादन क्षमता और औसत मौजूदा उत्पादन में भारी अंतर है जो कि संभावनाओ को तो दिखता है, साथ ही किसानों की दुर्दशा को भी दर्शाता है।

अगर हम विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में कपास की उत्पादकता से भारत की उतपादकता की तुलना करे तो पाएंगे कि, यह बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया में जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2177 किलोग्राम, इजराइल में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1960 किलोग्राम, चीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1961 किलोग्राम है, जबकि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पांदकता सिर्फ 454 किलोग्राम है। पूरे विश्व की औसत उत्पादकता 779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यह साफ दिखता है कि भारतीय खेतों की कपास उत्पादकता बड़े उत्पादक देशो से तो कई गुना कम है ही, साथ में यह पूरे विश्व की औसत उत्पादकता से भी काफी नीचे है। जो यह स्पष्ट दिखता है कि भारतीय कपास उत्पादक किसान कई तरह की समस्याओ से जुंझ रहें है और उनकी उपज का बड़ा हिस्सा ख़राब होता है। यह हमारी उत्पादन को बढ़ाने की नीतियों और प्रबंधन पर सवाल तो खड़े करता ही है साथ ही कपास उगने वाले किसानो को होने वाले मुनाफे के दावे की पोल भी खोलता है।

बीज बाज़ार पर एकाधिकार रखने वाली दिग्गज कंपनी मोनसेंटो वर्ष 2002–03 में अपना बी.टी. बीज लाई थी। तब यह दावा किया गया था कि इससे उत्पादकता में भरी वृद्धि होगी और किसानो का मुनाफा बढ़ेगा, जिस पर विश्वास करते हुए किसानो ने इन महंगे आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजो को ख़रीदा। पर एक दशक के अन्दर ही इस के असर सामने आगए, विभिन्न कीटों ने भी अपने आप को परिवर्तित किया और यह पहले से भी घातक बन गए। जिस कारण किसानो को कीटनाशकों और दवाइयों की संख्या बढ़ानी पड़ी, जिसने महज बीज और कीटनाशकों के लगत मूल्य को कई गुना बढ़ा दिया।

पिछले कई सालो से हम गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का आतंक देख रहे है, जो किसानो की फसल को पूरी तरह तबाह कर रहे है। आज के दिन गुलाबी सुंडी कपास किसानो के लिए एक दुस्वप्न बन चूकी है। इस के साथ ही अधिक वर्षा या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृर्तिक आपदायें भी यदा–कदा फसल को नुकसान पहुँचाती रहती है। पर इस भारी नुकसान के लिए मुआवजे के नाम पर किसानो को कुछ नहीं मिल रहा है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तो अब किसानो के लिए नासूर ही बन चुकी है, जिस के तहत कम्पनियों द्वारा विभिन्न अड़चने लगा कर किसानो को मुआवजे मना कर दिया जाता है। यह योजना किसानो का तो कोई भला कर नहीं रही, अगर किसी का भला कर रही है तो वो है बीमा कम्पनियां। सरकार द्वारा भी कोई अन्य मुआवजा नहीं दिया जा रहा, किसानो ने लड़ कर कुछ जगह मुआवजे हासिल किये है और कुछ जगह ऐसी लड़ाईया अभी भी जारी है।

देश में आत्महत्या करने पर मजबूर किसानो में से 80 प्रतिशत से ज्यादा कपास उत्पादक क्षेत्र से है। जो कि कपास उत्पादकों के असली सच को उजागर करता है । हर वर्ष किसानो को कीटो के हमले और प्राकृतिक आपदा के कारन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए उन्हें कोई उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। इस फसल सत्र में भी पहले गुलाबी सुंडी के आक्रमण से फसल बर्बाद हुई, फिर अधिक वर्षा के कारण कपास काली पड़ गई जिस कारण किसान एक बार फिर मुसीबत में है। किसान पछले वर्षो के नुकसान के मुआवजो के लिए संघर्ष और इंतजार भी कर रहा है। भारत के दुनिया में प्रमुख कपास उत्पादक होने के बावजूद उत्पादन बढ़ाने की अभी अपार संभावनाए है। बस जरुरत है तो ईमानदारी से कम्पनियों की जगह किसानो के पक्ष की नीतियां लागु करने की, जो उत्पादकता और किसानो के मुनाफे को बढ़ा सके तथा किसानो के लिए निराशा की जगह, उन के चेहरें पर मुस्कान ला सके। □

कॉफ़ी बनाम कोआपोरेटिव माडल पर एक नई पुस्तक

कॉफ़ी हमारी आजीविका है

– इंद्रजीत सिंह

मजदूरों–किसानों के खुरदरे हाथों से गुजरते हुए, लाजवाब महक लिए जब कॉफी कोमल होठों को छूकर जब एक खास किस्म का स्वाद प्रदान करती है, चुस्की लेने वाले के जहन में ज्यादा से ज्यादा नेस्केफे, लिप्टन, नेस्ले इत्यादि कंपनियों के विज्ञापनों की टीवी पर देखी तस्वीर उभर सकती है। ये ऐसे विज्ञापन हैं, जिनमें हमें किसी उच्च मध्यम वर्गीय दम्पति को इसलिए आनंदित देखते हैं क्योंकि उनके हाथों मे एक खास ब्रांड की कॉफी का कप होता है। बागानों से चलकर कॉफी टेबल तक के इस सफर में कौन हैं जो सदियों से कॉफी का उत्पादन करते हुए भी न्यूनतम स्तर के गरिमापूर्ण जीवन से भी वंचित हैं और वे कौन हैं जो इंस्टैंट कॉफी के व्यापार से माला–माल हो रहे हैं। इन दो मुखालिफ तबकों की सिर्फ यही नियति होना लाजमी है या इसकी जगह किसी वैकल्पिक तस्वीर की कल्पना भी की जा सकती है? इस सवाल के भीतर कई और सवाल हैं जिनके जवाब प्रस्तुत करने के लिए, पी सुदरैया मेमोरियल ट्रस्ट प्रकाशन ने हाल ही में एक पुस्तक (अंग्रेजी में) प्रकाशित की हैः 'कॉफी इज आवर लाइवलीहुड'(कॉफी हमारी आजीविका है)।

यह कॉफी के उत्पादन, विनिर्माण और मार्किटिंग की प्रक्रियाओं के, उत्पादन और अर्थतंत्र से संबंधित गंभीर लेखों का संकलन है। परंतु इसकी एक खासियत यह भी है कि अन्य तमाम फसलों व कृषि उत्पादों के संदर्भ में भी, इस पुस्तक की सामग्री उतनी ही प्रासंगिक है।

अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा फसल आधारित लामबंदी की कार्यनीति अपनाए जाने के बाद जिस प्रकार डेयरी क्षेत्र, सेब, कपास, गन्ना आदि किसानों के संघ बनाए जाने की शुरूआत की गई है, उसी दिशा में कॉफी किसानों और मजदूरों को अलग से संगठित करने की पहल हुई है।

यह पुस्तक भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कॉफी उत्पादन में भारत दुनिया में 7वें और निर्यात में छठे स्थान पर है। 4.66 लाख हैक्टेयर में फैले कॉफी बागान में, 3.92 लाख परिवार काम करते हैं और 2021–22 में कुल 58 लाख बैग कॉफी का उत्पादन हुआ था। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कॉफी के 99 प्रतिशत काश्तकार छोटे किसान हैं, जो 75 प्रतिशत कॉफी क्षेत्र पर काश्त करते हैं और 70 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।

कॉफी का उत्पादन भारत के मुख्यतः तीन प्रदेशों में ही होता है– कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। केरल में कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत होता है, जो कि अकेले वायानाड जिले में ही सीमित है।

भारत में कॉफी की उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक है जिसका उल्लेख पुस्तक में भी है। 16वीं सदी के सूफी संत बाबा बुडन, यमन गए थे जहां कॉफी होती थी। परंतु वहां से कॉफी की हरी बीन (बीज) बाहर ले जाने पर कड़ी पाबंदी थी। लेकिन, भुनी हुई कॉफी बीन पर ऐसी रोक नहीं थी क्योंकि वह उगाई नहीं जा सकती है। कहते हैं कि बाबा बुडन सात बीज अपनी दाढ़ी मे छुपाकर भारत लाए थे। उन्होंने चिकमंगलूर (कर्नाटक) की पहाड़ी पर इन्हें उगा दिया। इसी से दक्षिण के इलाकों में कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ बताया जाता है। वैसे बाबा बुडन का नाम कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से सुनने को मिला था। कर्नाटक के चिकमगलूर में बाबा बुडन गिरी का मशहूर मुकाम एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते आए हैं। विश्व हिन्दू परिषद और उससे जुड़े संगठनों ने, इस पर विवाद छेडक़र दंगे करवाने की कोशिशें पिछले दशकों में कई बार की हैं। इसी संदर्भ में का0 सुरजीत ने लिखा था कि बाबा बुडन धर्मनिरपेक्षता के बहुत बड़े प्रतीक थे, जिनका फलसफा मजहब की कट्टरता के खिलाफ एक सशक्त संदेश देता है।

बहरहाल, भारत की कॉफी का ताल्लुक अरब से तो अवश्य ही है क्योंकि दो तरह की कॉफी भारत में होती है, जिनमें एक अरेबिका तथा दूसरी रोबस्टा के नाम से जानी जाती हैं।

पुस्तक का पहला चैप्टर (लेख) पी कृष्ण प्रसाद का है जिसमें उन्होंने कॉफी उत्पादन करने वाले किसानों और कॉफी मजदूरों की दशा की विस्तृत पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हुए, केरल के वायानाड में उनके संगठन बनने की प्रारंभिक अवस्थाओं बारे बताया है। कॉफी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन में 1942 में

कॉफी बोर्ड एक्ट बनाया था ताकि कच्चा माल प्रयार्प्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और इंग्लैंड की कम्पनियां उसे पीस कर, पक्का माल बनाकर भारी मुनाफे कमा सकें। लेकिन आजादी के पश्चात कॉफी बोर्ड की नौकरशाही और उसकी उदासीनता से असंतुष्ट किसानों को प्राइवेट एजेसियों ने प्रलोभन दिए और वे उनके जाल में फंसने लगे, जिसके संबंध में किसान सभा और शीर्ष वाम नेताओं ने उन्हें आगाह भी किया था।

इस लेख में बताया गया है कि किस प्रकार 1999 के बाद नवउदारीकरण के दौर में हरी बीन कॉफी के रेट 60 रु प्रति किलो से निजी कम्पनियां ने 90–120 रु0 कर दिए और इस तरह किसानों को लालच दिया गया। परंतु मात्र दो साल में ही ये रेट 24 रु0 प्रति किलो तक गिर गए। 90 रु0 प्रति किलो के हिसाब से 2.5 किलो हरी बीन से 1 किलो इंस्टैंट कॉफी बन रही थी, जिसकी कीमत 450 रु0 से 900 रु0 होती थी। परंतु अब 15 साल बाद 24 रु0 प्रति किलो के के रेट से, 1400–3000 रु0 प्रति किलो का पक्का माल बन रहा है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और देशी इजारेदारों ने, किसानों–मजदूरों को कर्ज के फंदे में धकेल दिया और बड़ी संख्या में वायनाड में आत्महत्याएं हुई।

2006–2011 के दौरान वाम–जनतांत्रिक मोर्चा सरकार ने कर्जा मुक्ति बोर्ड बनाकर 41,411 परिवारों को राहत प्रदान की थी, तब कहीं जाकर आत्महत्याएं रुकी थीं। इस संदर्भ में विकल्प के तौर पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सहकारिता स्थापित करने के रास्ते पर चलकर, ब्रह्मगिरी विकास समिति बनने के बाद के अनुभवों को इस लेख में केंद्रीय तौर पर रखा गया है।

कोआपरेटिव के इस वैकल्पिक माडल की अगले अध्याय में निधीश जे विल्लट द्वारा विस्तार से व्याख्या की गई है। वह प्रभावशाली तथ्यों व तर्कों के साथ बताते हैं कि कारपोरेटों के बड़ी पूंजी वाले कंशोर्सियम के मुकाबले, तमाम छोटे–छोटे किसान और मजदूर संघ अपने उत्पादन साधनों को मिलाकर, विशाल पैमाने पर सामूहिक उत्पादन करने के लिए नई तकनीक और मार्केटिंग की आधुनिक प्रणालियों को अपनाते हुए, अपने विशाल समूह के बल से कार्पोरेट का मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। इस संबंध में निधीश ने मार्क्स की 'पूंजी' (दास कैपिटल) के तीसरे खंड से उद्धरण देते हुए, कोआपरेटिव पद्धति की समकालीन प्रासंगिकता और वैधता को विश्वसनीय ढ़ंग से प्रस्तुत किया है। वित्तीय पूंजी की सरपरस्ती में इजारेदार पूंजी का समूह बड़ी आक्रामकता के साथ किसानों को निचोड़ रहा है। सस्ते दामों पर कच्चे माल

के रूप में फसलों की लूट कर, तैयार माल को मनमाने दामों में बेचकर उनका असीमित मुनाफा बटोरना, जनता और कारपोरेटों के बीच के प्रमुख अंतर्विरोध के तौर पर सामने आ गया है।

इस शोषण के विरुद्ध किसानों की सहकारिता पर आधारित सामूहिक उत्पादन प्रणाली, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की जनवादी क्रांति के चरण में, एक कारगर रणनीति के तौर पर अपनाए जाने की क्षमता रखती है। स्थानीय स्तर पर सरकारी प्राथमिकता के साथ कच्चे से उच्च गुणवत्ता का पक्का उत्पाद तैयार करने में मूल्य–संवर्द्धन क्यों नहीं हो सकता है, जिसका उपभोग करना आम आदमी के बूते में भी हो।

उल्लेखनीय है कि कॉफी का उत्पादन करने वाले तो विकासशील देश हैं, परंतु इसकी खपत सबसे ज्यादा विकसित साम्राज्यवादी देशों में होती है। महामुनाफा भी साम्राज्यवादी पूंजी बटोर रही है। 'स्टार बक्स' कॉफी कंपनी के मालिक हार्वर्ड शुल्ज की संपत्ति, 2022 में 27 हजार करोड़ रु थी। 84 देशों में इस कंपनी के 34630 स्टोर थे। पिछले वर्ष कंपनी की राजस्व प्राप्ति 2.31 लाख करोड़ थी। दैनिक भास्कर अखबार (9 सितंबर 2022) उनकी तारीफ में लिखता है कि वे अपने कर्मचारियों को पार्टनर कहते हैं। लेकिन कॉफी उत्पादक किसानों की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। जाहिर है कि उनके छप्परफाड़ मुनाफे में से हिस्सा पाने वालों किसानों व मजदूरों का कहीं नाम तक नहीं है। इस लिहाज से कोऑपरेटिव का चरित्र अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद विरोधी भी है।

इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की संसदीय समिति की 2022 की 102वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिसमें चाय व कॉफी बागान के लिए छोटे किसानों की कोऑपरेटिव उत्पादन प्रणाली की सिफारिश की गई थी।

उन्होंने खुद अपने अध्ययन के आधार पर बताया था कि 2021–22 में 4 एकड़ के किसान की वायनाड में मासिक आय मात्र 3375 रु0 थी। यही स्थिति अन्य छोटे किसानों की थी।

वायदा व्यापार जैसी कुख्यात सट्टाबाजारी और अन्य प्रकार की हेरा–फेरी के तरीकों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और देशी इजारेदार पूंजी के खिलाड़ी कैसे कॉफी मूल्यों और तमाम कृषि उत्पादों के मूल्यों को उपर–नीचे करने की ताकत रखते हैं, इसका भी किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है।

यहां सेब का उदाहरण प्रासंगिक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक किसानों से 60 रु0 प्रति किलो के हिसाब से खरीदकर सेब दिल्ली में आज 491रु0 प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा है। एक और ताजा उदाहरण यह है कि बासमती चावल की 1507 किस्म का मंडी में रेट इसी सितंबर महीने के पहले हफ्ते में 3700 रु प्रति क्विंटल था। परंतु मात्र एक सप्ताह बाद मंडियों में फसल की आवक बढ़ते ही रेट 600 रु0 घटकर 3100रु0 प्रति क्विंटल पर आ गया। उल्लेखनीय है कि बासमती धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है। कमोवेश यही स्थिति अन्य सभी कृषि या डेयरी उत्पादों की बनी हुई है।

आज भारत में अडानी और अंबानी, इजारेदार पूंजी के शिखर पर हैं और साम्प्रदायिक भाजपा/आरएसएस की वर्तमान सत्ता शर्मनाक ढंग से इन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है। आज इन इजारेदार कारपोरेटों के फलने–फूलने का रहस्य और कुछ नहीं बल्कि 90 प्रतिशत उत्पादक और उपभोक्ता की भूमिका में देश के मेहनतकशों के श्रम और उत्पादन की नंगी लूट ही है, जिसे मोदी शासन सुनिश्चित कर रहा है। इनके पास जो पूंजी संग्रह हुआ है, वह बैंकों में जमा जनता का धन है। और सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय संपदा को जो इनके हवाले किया गया है, वह भी जनता की है। यह दरबारी पूंजीवाद का अश्लीलतम् रूप है।

पुस्तक में पी कृष्ण प्रसाद व निधीश के आलेखों समेत कुल 11 अलेख हैं। इनमें डा0 अश्विनी कुमार बीजे, बी शिवकुमार स्वामी, डा0 आइ आर. दुर्गाप्रसाद, धर्मेश, डेवी चेरीमुला, नमीता मधुमार (लक्ष्मी एस, जयकुमार सी), पी9 सुरेश, जुबुनू के आर के शोध आधारित पर्चे हैं। इन पर्चों को एक साथ जोडक़र देखें तो यह कॉफी के उत्पादन, विपणन और मार्किटिंग के प्रश्नों पर, एक समग्र संकलन बनता है।

देश के सभी महानगरों में चल रही प्रतिष्ठित इंडियन कॉफी हाउस श्रृंखला, हजारों कर्मचारियों पर टिका एक मजबूत संगठन है, जिसके चलते सरकार अभी तक इन प्रतिष्ठानों को बेच नहीं पाई है। आप नोट कर सकते हैं कि इंडियन कॉफी हाऊस के काउंटरों पर का0 ए के गोपालन की तस्वीर लाजिमी तौर पर मिलेगी। उल्लेखनीय है कि का0 गोपालन कॉफी उत्पादक किसानों के संगठन की शुरूआत करने वालों में तो थे ही, साथ में कॉफी हाउस कर्मचारी यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। दिल्ली के कनाट प्लेस में बाबा खड्ग सिंह मार्ग पर स्थिति मोहनसिंह प्लेस (जो जींस की पैंट तुरंत तैयार करने के लिए भी जाना जाता है) की ऊपरी मंजिल पर स्थित इंडियन कॉफी हाऊस की खुली टैरेस दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों, नामचीन लेखकों, बुद्धिजीवियों और खास तरह के राजनीतिक लोगों की दशकों से सांयकाल को लगने वाली स्थाई कॉफी महफिल के रूप में, एक चर्चित सामुदायिक केंद्र है।

60 साल से चल रहे इस कोआपरेटिव प्रतिष्ठान को मैक्डोनाल्ड फास्ट फूड को देने की कोशिशें हुई थीं। यहां कॉफी पर जमा होने वाले बुद्धिजीवी समुदाय ने भी इसका सशक्त प्रतिरोध किया था। इसे उत्पादन करने वाले किसान–मजदूरों, कॉफी हाऊस कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की, एकजुटता के एक उदाहरण की तरह देखा जाना चाहिए।

पुस्तक के अंत मे कॉफी फार्मर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया की भावी कार्य योजना और मांगपत्र के अलावा डा0 वीजू कृष्णन का एक संक्षिप्त परंतु महत्वपूर्ण लेख है। 120 पृष्ठों की यह पुस्तक, कॉफी के मामले में जनपक्षीय विकल्प के सारगर्भित उद्बोधन की प्रस्तुति है

दरअसल, कॉफी उत्पादन की मौजूदा प्रणाली जब तक चलती रहेगी, न केवल किसान–मजदूर कारपोरेटों के शोषण के शिकार बने रहेंगे बल्कि कॉफी का उपभोग भी संभ्रांत और कुलीन वर्ग तक ही सीमित रहेगा। तब क्यों न कॉफी को आम आदमी के उपभोग के दायरे में लाने का लक्ष्य लेकर उगाने से उपभोग तक को, जनपक्षीय प्रणाली की ओर नियोजित किया जाए।

यह पुस्तक उन सभी किसानों को समर्पित है जो नवउदारीकरण की नीतियों की मार झेलते हुए शहीद हो गए। यह सुनिश्चित करना सबका कर्तव्य है कि इन विनाशकारी नीतियों के विकल्प के लिए शक्तिशाली जनांदोलन खड़े करें, ताकि शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। □

कॉरपोरेट्स के खिलाफ सहकारिता;
कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला सम्मेलन

– निधीश जे विलट

26–27 अक्टूबर, 2022 को केरल में वायनाड जिले के वेल्लामुंडा में आयोजित कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफएफआई) के अखिल भारतीय स्थापना सम्मेलन से भारतीय किसानों की फसल–वार संगठन बनाने के प्रक्रिया में एक नया अध्याय जुड़ा। सीएफएफआई, अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कॉफी किसानों का एक संगठन है। सम्मेलन ने 11–12 जून 2022 को कर्नाटक के विराजपेट में किसान सभा और पी सुंदरय्या मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कॉफी किसानों की विस्तारित अखिल भारतीय बैठक में बनी राजनीतिक सहमति को दोहराया कि अन्तराष्ट्रीय वित्त पूंजी दृ एकाधिकार पूंजी संयुक्त रूप से प्राथमिक कॉफी उत्पादकों का प्रमुख दुश्मन है और इससे लड़ने के लिए किसानों को मजदूर–किसान उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों का राष्ट्रीय संघ बनाना होगा।

2010 में गुंटूर में किसान सभा के 32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में फसल विशिष्ट मुद्दों और वर्ग विशेष के मुद्दों को उठाने का फैसला किया गया। गुंटूर सम्मेलन के बाद फसलवार गतिविधियों को कुड्डालोर में आयोजित 33वें सम्मेलन में अधिक स्पष्टता मिली, जहां "किसान सहकारिता और कृषि में उत्पादन संबंधों का पुनर्गठन" विषय पर एक कमीशन पेपर अपनाया गया था। इस कमीशन पेपर और इस पर चर्चाओं ने किसानों– मजदूरों के स्वामित्व एवं प्रबंधन में "फसलवार आधुनिक, व्यापक कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों व विपणन नेटवर्क की स्थापना के आधार पर कृषि के आधुनिकीकरण" के महत्व को इंगित किया। आगे हिसार में किसान सभा के 34वां सम्मेलन में यह सिद्धांत दिया गया कि "किसानों को सामूहिक ताकत हासिल करने और छोटे उत्पादन का आधुनिकीकरण कर क्यूसे बड़े उत्पादन में तब्दील करने की कुशलता पूर्ण रीति से आगे बढ़ने के लिए फसलवार जुटाना महत्वपूर्ण है, जिसके बिना छोटे उत्पादक कॉर्पोरेट शोषण और परिणामी दरिद्रता से नहीं बच सकते।"

कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफएफआई) के पहले सम्मलेन में, भारत में चारों कॉफी उत्पादक राज्यों से 139 प्रतिनिधियों (कर्नाटक–20, केरल–83, तमिलनाडु–29, आंध्र प्रदेश–3, एआईकेएस राष्ट्रीय और राज्य केंद्र–4) ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में कॉफी बागान मजदूर भी थे। सम्मलेन में डी रवींद्रन अध्यक्ष मंडल, पी कृष्णप्रसाद संचालक मंडल, नवीन कुमार प्रस्ताव समिति और पी के सुरेश कार्यवृत्त समिति के सयोजक रहे। सीएफएफआई आयोजन समिति के संयोजक पी कृष्णप्रसाद ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट कॉफी के प्राथमिक उत्पादकों के सामने आने वाले संकट पर एक व्यापक दस्तावेज थी। इसमें वैकल्पिक नीतियों के बारे में भी बात की गई है जो कॉफी किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेगी। रिपोर्ट ने केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एलडीएफ

सरकार के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की गई, जिसमें किसानों के समूह द्वारा मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान की गई है।

समूह चर्चा के लिए प्रतिनिधियों को उनके राज्यों के आधार पर चार समूहों में विभाजित किया गया और इसके बाद सार्वजनिक चर्चा हुई। कीमतें में उतार–चढ़ाव, मानव–वन्यजीव संघर्ष, उत्पादन की बढ़ती लागत, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट द्वारा बनाई गई अनिश्चितता, कॉर्पोरेट शोषण के विकल्प के रूप में सहकारिता चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु थे।

रिपोर्ट पर चर्चा के बाद "स्मार्ट कॉफी प्रोजेक्ट, कार्बन न्यूट्रल वायनाड और सामाजिक सहकारी ग्राम योजना" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस में कॉफी उद्योग पर विशेषज्ञता रखने वाले सेवानिवृत्त आईएएस बालगोपालन पीवी उन्नीकृष्णन, प्रो. अरविंद, डॉ. जॉर्ज डेनियल, जुबुनु केआर ने पेपर प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय संगोष्ठी ने कॉफी किसानों की उचित प्राप्ति के साथ–साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए किसानों को सामूहिक रूप से एकत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को इंगित किया गया।

सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत तीन प्रस्तावों के साथ हुई। निधीश जे विलट द्वारा प्रस्तावित उत्पादक सहकारी समितियों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर प्रस्ताव रखा गया, डॉ आई आर दुर्गा प्रसाद ने मानव–वन्यजीव संघर्ष पर प्रस्ताव रखा और ए.योहानन द्वारा उत्पादन की बढ़ती लागत पर प्रस्ताव रखा। सम्मेलन में सभी प्रस्तावों को बहुमत से पारित किया गया।

सम्मेलन ने औपचारिक रूप से आयोजन समिति द्वारा तैयार किए गए मांगों पत्र को भी मंजूरी दी। इसके बाद पी. कृष्णप्रसाद द्वारा रिपोर्ट चर्चा का जवाब दिया गया और रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सम्मलेन में अगले 6 माह के भीतर उपनियम और ध्वज को औपचारिक रूप से अंतिम रूप देने का भी निर्णय लिया गया।

25 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारी समिति का चुनाव किया गया। सम्मलेन में पी कृष्णप्रसाद को महासचिव, पी के अब्दुल लथेफ को अध्यक्ष और पी के सुरेश को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। नई समिति ने 5 दिसंबर, 2022 को सभी 15 कॉफी उत्पादक जिलों में आंदोलन आयोजित करने और संबंधित जिला कलेक्टरों को मांगों पत्र सौपने का निर्णय लिया। भारतीय कॉफी अधिनियम में संशोधन, ऋण माफी, लाभकारी मूल्य, उत्पादकों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और सुविधा देना, मानव–वन्यजीव संघर्ष को हल करना, भूमि संबंधी सभी मुद्दों को हल करना और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को अस्वीकार करना सीएफएफआई द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें हैं।

सम्मलेन के अंत में हुई रैली का नेतृत्व नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वार किया गया। रैली के बाद जनसभा हुई जिस का उद्घाटन केरल के पूर्व बिजली मंत्री एमएम मणि ने किया। □

किसान आंदोलन के भविष्य पर सेमिनार

पी सुंदरैया मेमोरियल ट्रस्ट तथा लेफ्ट वर्ड बुक्स के संयुक्त तत्वावधान में 22 अगस्त 2022 को 'भारत में किसानों के आंदोलन का भविष्य' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के साथ ही साथ, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले द्वारा लिखित पुस्तक 'व्हेन फार्मर्स स्टूड अपः हाऊ द हिस्टोरिक किसान स्ट्रगल इन इंडिया अनफोल्ड' (जब किसान उठ खड़े हुएः भारत में ऐतिहासिक किसान संघर्ष कैसे उभरा) पर एक चर्चा भी आयोजित की गयी थी।

हरियाणा तथा पंजाब के किसान नेताओं और वर्गीय तथा जनसंगठनों के एक्टिविस्टों और दिल्ली की प्रगतिशील हस्तियों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन नयी दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन (गांधी शांति प्रतिष्ठान) में किया गया था। इस अवसर पर पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेताओं राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, सीटू महासचिव तपन सेन तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के महासचिव बी वेंकट ने, सेमिनार को संबोधित किया। एसकेएम नेता तथा अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव, हन्नान मौल्ला ने इस सेमिनार की अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की प्रो0 अर्चना प्रसाद ने पुस्तक का परिचय दिया। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक, अशोक ढवले ने भी श्रोताओं को संबोधित किया।

अखिल भारतीय किसान सभा के सहसचिव वीजू कृष्णन ने स्वागत भाषण दिया और अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। किसान आंदोलन के 715 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ। जन–आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हुए जन नाट्य मंच ने इस मौके पर क्रांतिकारी गीत पेश किए।

जैसा कि इस पुस्तक में विश्लेषण किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व की यह एकमत राय थी कि एक वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद, काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपनी लड़ाई तो जीत ली है। फिर भी, आनेवाले दिनों में किसानों की कार्पोरेट लूट, जिसे भाजपा द्वारा पोषित किया जा रहा है, के खिलाफ युद्ध जोर–शोर से जारी रखा जाएगा।

एसकेएम के नेताओं एक स्वर से कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनवाने की खातिर भाजपा निजाम के खिलाफ अपने युद्ध को और मजबूत बनाना होगा क्योंकि मोदी निजाम ने एमएसपी कानून बनाने का अपना वह वादा पूरा करने से इंकार कर दिया है, जो वादा किसान संगठनों से उसने किया था।

सेमिनार में किसानों के संघर्ष पर रौशनी डालते हुए एसकेएम नेता दर्शनपाल ने कहा कि किसान संघर्ष की जीत ने इस विश्वास की हवा निकाल दी कि मोदी निजाम से जीता नहीं जा सकता है। उनका कहना था कि यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब फासीवादी शक्तियां एक बहुत ही व्यवस्थित ढ़ंग से, अपने साम्राज्यवादपरस्त तथा कार्पोरेटपरस्त एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी थीं।

सेमिनार को संबोधित करते हुए वरिष्ठ एसकेएम नेता राकेश टिकैत ने उन कार्पोरेटपरस्त आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की, जिन्हें भाजपा सरकार आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने खासतौर से बिहार के केस का जिक्र किया, जहां एपीएमसीओं को 16 वर्ष पहले बंद किया जा चुका है। उनका कहना था कि इन मंडियों के खत्म होने से, बिहार के किसान कर्ज के जाल में फंस गए हैं और भूमिहीन हो गए हैं और इस व्यवस्था ने निजी खिलाडियों की अपनी तिजोरियां भरने में मदद की है।

टिकैत का कहना था कि मोदी निजाम इसी विफल परियोजना को उन दूसरे राज्यों में भी लागू करने की कोशिश कर रहा है, जहां एपीएमसी समुचित ढ़ंग से काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों तथा आम जनता की कीमत पर अडानी तथा अंबानी जैसे बड़े कार्पोरेट घरानों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है।

वर्ष भर चले और विजयी रहे किसान आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा की भूमिका की सराहना करते हुए एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी सफल आंदोलन के लिए एक प्रतिबद्ध विचारधारा, अनुशासन, सोच, दृढ़ता तथा शक्ति की जरूरत होती है और अखिल भारतीय किसान सभा ने इस संघर्ष के दौरान इन सभी का शानदार प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2017 में एआइकेएससीसी के गठन के बाद से और बाद में एसकेएम के गठन के बाद से, अखिल भारतीय किसान सभा ने शानदार भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि एसकेएम, एमएसपी कानून तथा दूसरी मांगों के लिए और भाजपा निजाम को मात देने के लिए, किसान संघर्ष को और मजबूत बनाएगा।

सेमिनार में अपने संबोधन में सीटू महासचिव, तपन सेन ने नव–उदारवाद के हमले से लडने़ के लिए मजदूर–किसान एकता की जरूरत को दोहराया। उन्होंने बताया कि कैसे नव–उदारवादी नीतियों के तीन दशकों ने उत्पादक वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जबकि घरेलू तथा विदेशी इजारेदारियां लाभान्वित हुयी हैं।

उन्होंने कहा कि बेशक कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन मोदी निजाम बिजली संशोधन विधेयक 2022 और श्रम संहिताओं जैसे अनेक किसानविरोधी तथा मजदूरविरोधी कानूनों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद मोदी निजाम, भारत को अडानियों तथा अंबानियों और अन्य देसी तथा विदेशी कार्पोरेट घरानों के हाथों बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि इसका जी–जान से विरोध किया जाएगा।

अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के महासचिव बी वेंकट ने किसान आंदोलन को और जुझारू बनाने में खेतमजदूरों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष के दौरान मुख्यतः पंजाब के दलित खेतमजदूर, अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े।

किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला ने इस अवसर पर बोलते हुए बताया कि कैसे अखिल भारतीय किसान सभा ने, ब्रिटिश राज के दौरान उपनिवेशवादविरोधी संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी।

उन्होंने कहा कि पहले के किसान संघर्ष, साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के खिलाफ थे। उन संघर्षों के कुछ पहलू अभी पाए जाते हैं, लेकिन अब मुख्य संघर्ष देसी तथा विदेशी कार्पोरेट घरानों तथा उनकी सरकारों के खिलाफ है। हाल के किसान संघर्ष की जीत का अभिनंदन करते हुए उन्होंने आगाह किया कि आगे सांप्रदायिकता, तानाशाही तथा नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि किसान, किसानविरोधी मोदी निजाम के खिलाफ आखिर तक लडने़ के लिए प्रतिबद्ध हैं।

'व्हेन फार्मर्स स्टूड अप' पुस्तक के बारे में बोलते हुए प्रो0 अर्चना प्रसाद ने कहा कि इस पुस्तक में ऐतिहासिक किसान संघर्ष को, कार्पोरेट घरानों और साम्राज्यवादी फतवों के खिलाफ भी, एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में विश्लेषित किया गया है।

किसानों की एकता को तोडने़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए तौर–तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हुए और यह बताते हुए कि कैसे इन तौर–तरीकों से पार पाया गया, उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के जरिए जो जबर्दस्त एकता कायम की गयी, वह शानदार थी। उन्होंने इस संघर्ष की जीत सुनिश्चित करने में दसियों हजार महिला किसानों द्वारा अदा की गयी लोकाख्यानिक भूमिका को भी रेखांकित किया।

'व्हेन फॉर्मर्स स्टूड अप' पुस्तक के लेखक अशोक ढवले ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष ने भाजपा सरकार के दमन तथा इस आंदोलन को बदमान करने की उसकी साजिश के खिलाफ, प्रतिकूल मौसमी हालात और यहां तक कि कोविड–19 महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि किसान इस पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष संघर्ष में, साल भर तक मैदान में डटे रहे। एसकेएम के नेतृत्व में चले इस एकजुट संघर्ष को हमेशा मजदूर वर्ग, खेतमजदूरों, महिला, छात्रों तथा युवाओं का पूरा समर्थन हासिल रहा। इसीलिए, यह ऐसा जनसंघर्ष बना जो बेशक केंद्रित तो दिल्ली के बॉर्डरों पर था, लेकिन वास्तव में पूरे देश में फैला हुआ था।

उनका कहना था कि इस संघर्ष में महिलाओं तथा युवाओं की भूमिका उदाहरणीय रही। इन्हीं सब कारणों से इसने कार्पोरेट तानाशाही–सांप्रदायिकता की, भाजपा–आर एस एस के नेतृत्ववाली सरकार पर जीत हासिल की।

अशोक ढवले का कहना था कि किसानों के फौरी मुद्दों की लड़ाई को मजबूत बनाते हुए, देश के किसान तथा मजदूर सांप्रदायिकता के खिलाफ तथा सामाजिक न्याय के लिए और बदहाल सामाजिक–आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से 2024 में, मोदी के नेतृत्ववाले भाजपा–आरएसएस निजाम को मात देंगे। □

राजस्थान 28वां राज्य सम्मेलन

– छगनलाल चौधरी

अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान का राज्य सम्मेलन 1से 3 अक्टूबर 2022 तक, कामरेड भवानी शंकर बरोड मंच, कामरेड कन्हैया लाल जैन हाल, कामरेड सही राम नायक नगर, श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में संपन्न हुआ। सम्मेलन से पूर्व आमसभा हुई जिसको किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले, राष्ट्रीय महामंत्री हन्नान मौल्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी, राज्य अध्यक्ष पेमाराम, राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य श्योपत राम मेघवाल, किसान सभा श्रीगंगानगर के जिला अध्यक्ष कालूराम थोरी, किसान सभा के जिला महामंत्री गुरचरन सिंह मोड़, बीकानेर के जिला अध्यक्ष विधायक गिरधारी लाल महीया और स्वागत समिति के अध्यक्ष हेतराम बेनीवाल ने संबोधित किया।

सम्मेलन के मौके पर झंडारोहण 1 अक्टूबर को राज्य अध्यक्ष पेमाराम द्वारा किया गया। शोक प्रस्ताव राज्य के संयुक्त मंत्री हरफूल सिंह बाजिया ने रखा और स्वागत भाषण, श्योपत राम ने दिया। सम्मेलन का उद्घाटन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले ने दिया। बिरादराना संदेश जनवादी नौजवान सभा के राज्य महामंत्री जगजीत सिंह जग्गी, जनवादी महिला समिति की राज्य महामंत्री सीमा जैन, खेत मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष रामरतन बगडिया़, सीटू के राज्य महामंत्री बीएस राणा, एसएफआइ के राज्य अध्यक्ष सुभाष जाखड़ द्वारा दिये गये। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने भी सम्मेलन को शुभकामना संदेश भेजा था।

इसके बाद प्रारम्भ हुए सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र के अध्यक्ष मंडल में पेमाराम, दुलीचंद बोरदा, राम चंदरी, गुरचरण सिंह मोड, प्रभु लाल भगोरा चुने गए। संचालन मंडल में संगठन के सचिव मंडल के सभी सदस्य चुने गए। प्रस्ताव कमेटी में सागर खाचरिया, संजय माधव, नारायण राम डूडी और मिनट्स कमेटी में निर्मल कुमार प्रजापत, संदीप मील तथा जांच–पड़ताल समिति में रामप्रसाद जांगिड़, मोतीलाल शर्मा व उमराव सिंह चुने गए।

प्रतिनिधि सत्र में राज्य अध्यक्ष पेमाराम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्य की राजनीतिक– सामाजिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा की। राज्य के महामंत्री, छगनलाल चौधरी ने पिछले 6 वर्षों की 32 पृष्ठ की मुद्रित रिपोर्ट में देश और दुनिया की परिस्थितियों को रखा। इसमें देश के आंदोलनों में और विशेष तौर से देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में, शाहजहांपुर बार्डर पर धरने में, किसान सभा की शानदार भूमिका को रेखांकित करते हुए, राज्य में किसानों की कर्ज माफी, बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापिस कराने, फसल बीमा क्लेम व नहरी पानी के लिए संघर्षों में मिली सफलताओं और आदिवासियों के संघर्षों पर प्रकाश डाला।

सांगठनिक रिपोर्ट में 18 जिला सम्मेलनों की चुनी हुई कमेटियों, 80 तहसील कमेटियों और 1361 ग्राम इकाइयों की स्थिति का ब्यौरा रखा गया। राज्य के 11 पदाधिकारियों और सभी 47 राज्य कमेटी सदस्यों की मीटिंगों में उपस्थिति को रेखांकित करने के साथ ही, रिपोर्ट में संगठन की कमजोरियों को भी चिन्हित किया गया।

रिपोर्ट में संगठन को मजबूत बनाने के लिए भविष्य की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई, जिसमें किसान सभा की सदस्यता में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत की पालना, राज्य में फसल आधारित, क्षेत्रीय, विभागीय मुद्दों को चिन्हित कर संगठन व आंदोलन को बढ़ाने को प्रमुखता दी गई है। इसी के साथ राज्य, जिला व तहसील स्तर पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापक किसान एकता कायम करते हुए किसान सभा की स्वतंत्र गतिविधियों के साथ संयुक्त किसान आंदोलनों को आगे बढ़ाना एवं किसान–मजदूर–खेत मजदूर की व्यापक एकता निर्मित करने सहित संगठन में गरीब किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और नौजवानों को प्राथमिकता देकर शामिल करने और संगठन में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्य के कोषाध्यक्ष ने आय व्यय का विवरण रखा।

2 अक्टूबर को महामंत्री की रिपोर्ट पर हुई आलोचनात्मक बहस में, जो 300 मिनट चली, 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में एमएसपी कानून बनाने, लंपी बीमारी से मृत गोवंश के मालिकों को प्रति पशु एक लाख रुपए का मुआवजा देने, नहरी पानी की व्यवस्था के लिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ के विरोध में, कृषि बीमा क्लेम देने की मांग, बढ़ती महंगाई के खिलाफ व बेरोजगारी के खिलाफ, कृषि कुओं के लिए तुरंत कनेक्शन देने के लिए और निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किए गए।

दिनांक 3 अक्टूबर को रिपोर्ट पर बहस का जवाब राज्य कमेटी की तरफ से राज्य महामंत्री ने दिया। महामंत्री की रिपोर्ट, विरोध के एक मत के मुकाबले प्रचंड बहुमत से स्वीकृत हो गयी। कोषाध्यक्ष का आय–व्यय का ब्यौरा सर्वसम्मति से पारित हो गया।

अध्यक्ष मंडल द्वारा नई राज्य कमेटी के लिए 51 सदस्यों की संख्या का प्रस्ताव रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्य महामंत्री ने 50 नामों की नई राज्य कमेटी के लिए प्रस्ताव रखा तथा एक स्थान खाली रखा गया, जिसको भी सर्वसम्मति से सम्मेलन ने पास कर दिया। नवनिर्वाचित राज्य कमेटी में 32 सदस्य पुरानी राज्य कमेटी के हैं, जबकि 18 नए सदस्यों को चुना गया है। नए चुने गए सदस्यों में 10 नौजवान पुरुष व 2 नौजवान महिलाएं हैं और 3 आदिवासी हैं।

नई राज्य कमेटी की पहली बैठक, किसान सभा के केंद्रीय महामंत्री हन्नान मौल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पेमाराम, अध्यक्ष; छगनलाल चौधरी, महामंत्री; दुलीचंद बोरदा, प्रभुलाल भगोरा, मंगलसिंह, नारायण राम डूडी, उपाध्यक्ष; सागर खाचरिया, हरफूल सिंह, बलवान पूनिया व संजय माधव, संयुक्त मंत्री चुने गये। प्रथम राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार, पदाधिकारियों के चुनाव की घोषणा राज्य सम्मेलन में ही कर दी गई। राज्य सम्मेलन ने किसान सभा के अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए, 36 प्रतिनिधियों का भी सर्वसम्मति से चुनाव किया।

सम्मेलन में अपने संबोधन में, किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने राजस्थान में संगठन को और आंदोलनों को, और ज्यादा ताकत से बढ़ाने का आह्वान किया।

सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय महामंत्री हन्नान मौल्ला ने किया, जिन्होंने ''हर गांव में किसान सभा'' और ''हर किसान, किसान सभा में'' का लक्ष्य पूरा करने का आह्वड्डन किया।

सम्मेलन में राज्यभर से 357 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महाराष्ट्र 23वां राज्य सम्मेलन

– अजित नवले

अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) का 23वां महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2022 तक अकोले, जिला अहमदनगर में आयोजित किया गया। पिछला 22वां राज्य सम्मेलन छह साल पहले, मई 2016 में पालघर जिले के तलासरी में आयोजित किया गया था। इन छह वर्षों में बड़े पैमाने पर और एकजुट संघर्ष देखने में आए हैं, जैसे कि जून 2017 में किसानों की 11–दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल, मार्च 2018 में महाराष्ट्र एआइकेएस के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक अभूतपूर्व किसान लॉन्ग मार्च, और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में 26 नवंबर, 2020 से 11 दिसंबर, 2021 तक दिल्ली के बार्डरों पर और पूरे देश में चला साल भर लंबा, ऐतिहासिक विजयी संघर्ष।

सम्मेलन की शुरूआत हजारों किसानों और मजदूरों की एक विशाल रैली के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। किसान, भारी बेमौसम बारिश के कारण अपनी फसलों को हुए भारी नुकसान और धान की कटाई का मौसम जोरों पर होने के बावजूद आए थे। 1945 के बाद से राज्य में एआइकेएस के इतिहास में यह पहली बार था कि अकोले में राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था।

किसान सभा के सैकड़ों लाल झंडों से भरी अकोले रैली एक बड़ी और उत्साहवर्द्धक जनसभा में समाप्त हुई, जिसकी अध्यक्षता एआइकेएस के प्रदेश अध्यक्ष किसन गुज्जर ने की और एआइकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले, राष्ट्रीय वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद, राज्य महासचिव अजीत नवले, राज्य उपाध्यक्ष उदय नारकर, सीटू के राज्य सचिव व विधायक विनोद निकोले और एआइडीडब्ल्यूए के राज्य महासचिव प्राची हतीवलेकर ने सभा को संबोधित किया। किसान सभा के जिला नेताओं सदाशिव साबले, नामदेव भांगरे और एकनाथ मेंगल ने सभा का संचालन किया।

सम्मेलन स्थल का नाम स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ एआइकेएस राज्य उपाध्यक्ष, नानासाहेब पोकाले (जिला बीड) के नाम पर रखा गया था। हॉल का नाम एक अन्य वरिष्ठ एआइकेएस नेता यादवराव नवले (जिला अहमदनगर) के नाम पर रखा गया था। और मंच का नाम एआइकेएस के दो राज्य उपाध्यक्षों बरक्या मंगत एवं रतन बुढार (जिला ठाणे–पालघर) के नाम पर रखा गया था। प्रतिनिधि सत्र की शुरूआत वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयन शर्मा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शोक प्रस्ताव व सभापति व अन्य समितियों के चुनाव के बाद, सम्मेलन का उद्घाटन अशोक ढवले ने किया।

सभी प्रतिनिधियों को 122 पन्नों की एक मुद्रित रिपोर्ट मुहैया करायी गई थी जिसे अग्रिम रूप से जिलों में सर्कुलेट कर दिया गया था। राजनीतिक, कृषि और कार्य रिपोर्ट डॉ0 अजीत नवले ने, और संगठनात्मक रिपोर्ट किसन गुज्जर ने पेश की। खातों को राज्य कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख ने पेश किया। रात्रि में रिपोर्ट पर जिलेवार समूह चर्चा हुई।

इस अवधि में महाराष्ट्र में एआइकेएस ने कई प्रभावी संघर्ष चलाए। उनमें 1 से 11 जून, 2017 तक 11 दिवसीय किसान हड़ताल और 6 से 12 मार्च, 2018 तक किसान लॉन्ग मार्च शामिल थे। इन दोनों बड़े संघर्षों ने महाराष्ट्र के किसानों को राज्य की लगातार दो सरकारों से 40,000 करोड़ रुपये का ऋण माफी पैकेज, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का आंशिक कार्यान्वयन और ग्रामीण गरीबों के लिए पेंशन में वृद्धि हासिल करने में सफलता दिलायी।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के साल भर चले संघर्ष में, जिसने मोदी सरकार को तीन कृषि कानूनों को

निरस्त करने के लिए मजबूर किया, महाराष्ट्र में कई प्रभावशाली कार्रवाइयां हुईं। इनमें 21 से 25 दिसंबर, 2020 तक नासिक से शाहजहांपुर तक पांच दिवसीय 1,000 किसानों का एआइकेएस वाहन मार्च; 23–25 जनवरी, 2021 को नासिक से मुंबई तक 15,000 किसानों का वाहन मार्च; इस मार्च का मुंबई में 40,000 किसानों की संयुक्त किसान–मजदूर महापंचायत में समापन; लखीमपुर–खीरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य में एक महीने तक चलने वाली शहीद कलश यात्रा, जिसका समापन 28 नवंबर, 2021 को मुंबई में 30,000 किसान–मजदूर महापंचायत के रूप में हुआ, जिसे एसकेएम के कई राष्ट्रीय नेताओं ने संबोधित किया; और इस संघर्ष के दौरान तीन भारत बंद और एसकेएम के आह्वानों के समर्थन में कई अन्य कार्रवाइयां शामिल थीं।

महाराष्ट्र में एआइकेएस की सदस्यता, जो 2017–18 में 2,01,220 थी, 2021–22 में बढक़र 3,09,544 हो गई है। यह पहली बार है कि सदस्यता ने तीन लाख का आंकड़ा पार किया है, जो 24 जिलों में फैली हुई है। लेकिन, रिपोर्ट ने आंदोलन और संगठन में कई कमजोरियों को भी इंगित किया गया है, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, और उस दिशा में ठोस कार्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

सम्मेलन के सत्र की शुरूआत 1 नवंबर को एआइकेएस–सीकेसी सदस्य आर रामकुमार द्वारा मौजूदा कृषि संकट के विभिन्न पहलुओं पर 10 सूत्री प्रस्तुति के साथ हुई। रिपोर्ट पर पूरे दिन चर्चा हुई, जिसमें 23 जिलों के 257 प्रतिनिधियों में से 49 ने हिस्सा लिया और रिपोर्ट को, अपने अनुभवों, सुझावों और आलोचनाओं से समृद्ध किया।

डी एल कराड (सीटू), बलिराम भुम्बे (एआइएडब्ल्यूयू), प्राची हातिव्लेकर (एआइडीडब्ल्यूए), सुदाम ठाकरे (डीवाइएफआइ) और रोहिदास जाधव (एसएफआइ) ने सम्मेलन का स्वागत किया।

राज्य सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बेमौसम बारिश के कारण फसलों के व्यापक विनाश के लिए मुआवजे के ज्वलंत मुद्दे, एसकेएम द्वारा तय किए गए अन्य प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और किसानों के स्थानीय मुद्दों पर, राज्य के कई जिला और तहसील केंद्रों पर, 23 से 25 नवंबर तक तीन दिनों के लिए बड़े पैमाने पर धरना–सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। इनका समापन 26 नवंबर को, ऐतिहासिक दिल्ली किसान संघर्ष की शुरूआत और अखिल भारतीय मजदूर वर्ग की हड़ताल की दूसरी वर्षगांठ पर, राज्य के कई केंद्रों में हजारों लोगों की विशाल राज्यव्यापी रैलियों के साथ होगा। 5 अप्रैल, 2023 को सीटू–एआइकेएस–एआइएडब्ल्यूयू की दिल्ली में संसद पर होने वाली संयुक्त रैली की पूरी तैयारी करने का भी निर्णय लिया गया।

प्रमुख संगठनात्मक फैसलों में इस साल की सदस्यता को 31 दिसंबर से पहले पूरा करना; शेष सम्मेलनों को सभी स्तरों पर तत्काल पूरा करना; और एआइकेएस राज्य पत्रिका किसान संघर्ष के विशेष अंक के लिए अधिकतम विज्ञापन प्राप्त करना, शामिल हैं।

2 नवम्बर को अजीत नवाले द्वारा चर्चा के उत्तर के बाद, जिसमें उन्होंने संघर्ष के उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुभव के साथ ही सांगठनिक मजबूती और विस्तार के कार्यक्रम भी रखे; रिपोर्ट और खातों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उमेश देशमुख ने ज्वलंत मुद्दों पर विभिन्न प्रस्ताव रखे। कैलास बलसाने ने परिचय पत्र रिपोर्ट रखी।

एक उत्साहवद्र्धक कार्यक्रम में किसान सभा नेतृत्व ने नासिक, ठाणे–पालघर, अहमदनगर, नंदुरबार और पुणे जिलों के नवनिर्वाचित सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों का, जिनमें से कई महिलाएं हैं, गर्मजोशी से स्वागत किया।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक नई 71 सदस्यीय राज्य परिषद का चुनाव किया, जिसने सर्वसम्मति से अपने पदाधिकारियों का चुनाव किया। उमेश देशमुख को नया प्रदेश अध्यक्ष, अजीत नवले को राज्य महासचिव और संजय ठाकुर को नया राज्य कोषाध्यक्ष चुना गया। तीनों अपने चालीसोत्तर मध्य में या पचासोत्तर शुरुआती वर्षों में हैं। सभी की पृष्ठभूमि एसएफआइ की है और उनमें से दो एसएफआइ के राज्य सचिव रहे थे।

अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 35 प्रतिनिधि और 2 पर्यवेक्षक भी चुने गए। किसन गुज्जर, उमेश देशमुख और अजीत नवले के संक्षिप्त संबोधन के बाद सम्मेलन को प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व–विधायक जेपी गावित और उदय नारकर ने संबोधित किया। समापन भाषण एआइकेएस के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद ने दिया। एआइकेएस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील मालुसरे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और नेतृत्व ने सभी वालंटियरों का अभिनंदन किया। स्वागत समिति ने हर तरह से शानदार काम किया था।राज्य सम्मेलन में 33,000 रुपये से अधिक का प्रगतिशील साहित्य बेचा गया। इसके अलावा सभी जिला सम्मेलनों में 32,000 रुपये से अधिक का साहित्य बेचा गया था।

अखिल भारतीय किसान सभा का महाराष्ट्र का अकोले राज्य सम्मेलन, बीजेपी–आरएसएस को अलग–थलग करने और हराने एवं एआइकेएस को मजबूत करने के अपने मुख्य राजनीतिक कार्य को पूरा करने के लिए बड़े संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ, संपन्न हुआ। □

उत्तर प्रदेश 39वां राज्य सम्मेलन

– मुकुट सिंह

उत्तर प्रदेश किसान सभा का 39वां राज्य सम्मेलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन की कामयाबी और उसमें शानदार भूमिका निबाहने के उत्साह से अर्जित ऊर्जा के साथ, अंगुलियों की बुनाई के जादू के लिए पहचाने जाने वाले कालीन और गलीचों के दुनिया भर में निर्यात के लिए प्रसिद्घ जनपद, भदोही में 2 से 4 अक्टूबर तक संपन्न हुआ। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन के परिसर को उप्र के किसानों के वरिष्ठ नेता दीनानाथ सिंह यादव की स्मृति को समर्पित किया गया था।

सम्मेलन की शुरूआत जोशीले खुले सत्र के साथ हुयी जिसके मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, डॉ0 अशोक ढवले थे। अपने संबोधन में डॉ0 ढवले ने मौजूदा मोदी सरकार को अब तक की सबसे अधिक किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि किसानों को उनकी उपज का लागत से डेढ़ गुना दाम देने; सस्ता और पर्याप्त खाद देने; उनका कर्जा माफ करने के लिए तो इस सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अडानी–अम्बानी को मालामाल करने के लिए, देश को लूटा और लुटाया जा रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और ठीक उसी के बीच मोदी के चहेते पूंजीपति, दुनिया में कमाई का विश्व रिकॉर्ड कायम कायम कर रहे हैं।

देश की मेहनतकश जनता की मुश्किलों का उल्लेख करते हुए डॉ ढवले ने कहा कि बेरोजगारी की बढ़त और इंसान की जिंदगी की सारी जरूरतों के निजीकरण ने, देश की जनता का जीवन दूभर कर दिया है। कारपोरेट और हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिकता का गठजोड़, यहीं तक नहीं रुक रहा वह देश की जनता के बीच विग्रह और फूट पैदा कर रहा है। दिल्ली में बैठे मोदी और लखनऊ में बैठे योगी मिलकर, देश को बेच भी रहे हैं जनता को बांट भी रहे हैं। इन सबके खिलाफ जारी किसानों की साझी लड़ाई, तेरह महीने चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन और उसकी कामयाबी का जिक्र करते हुए डॉ0 ढवले ने कहा कि यह किसानों की संघर्ष के लिए बनी एकजुटता ही थी, जिसने मोदी सरकार को अपने कोले क़ानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस आंदोलन में गाज़ीपुर और पलवल बॉर्डर पर, उत्तरप्रदेश किसान सभा द्वारा निबाही गयी सराहनीय भूमिका का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कारपोरेटपरस्त सरकार इसके बाद भी तिकड़में करना जारी रखे हुए हैं। इन तिकड़मों के प्रति सजग संयुक्त किसान मोर्चे ने, देश के किसानों को एक बार फिर सडक़ों पर उतारने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जनता के संघर्षों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में किसानसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मजबूत बनाना आवश्यक है।

अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद तथा संयुक्त सचिव बादल सरोज के अलावा किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, डा0 हीरालाल यादव, दूसरी किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष, इम्तियाज बेग, बाबूराम यादव, चंद्रपाल सिंह, इंद्रदेव पाल आदि ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता, राज्य किसान सभा अध्यक्ष भारत सिंह और उपाध्यक्ष डा0 हीरालाल यादव के अध्यक्षमंडल ने की। आम सभा का संचालन, किसान सभा के प्रदेश महामंत्री, मुकुट सिंह ने किया। स्थानीय सपा विधायक जाहिद बेग, सीटू प्रदेश अध्यक्ष रवि मिश्रा, खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार, जनौस के प्रदेश मंत्री

गुलाब यादव, जमस की उपाध्यक्ष लाल मणि, किसान सभा के साधूशरण तथा वरिष्ठड्ड वकील, सोमनाथ यादव भी मंचासीन रहे।

किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष, भगत सिंह के झंडा फहराने तथा अतिथियों व प्रतिनिधियों द्वारा शहीद वेदी पर फूल चढ़ाकर शहीदों को याद किए जाने के साथ प्रतिनिधि सत्र शुरू हुआ। सत्र की अध्यक्षता भारत सिंह, डा0 हीरालाल तथा चंद्रपाल सिंह के अध्यक्षमंडल ने की।

तीन दिन तक चले सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन, अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में पिछले सम्मेलन के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्हें और आगे ले जाने की जरूरत पर जोर दिया। संघर्षों को सदस्यता और सदस्यता को गांव से लेकर ऊपर तक की कमेटियों में बांधने का महत्व बताते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि किसान सभा का लक्ष्य हर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा में का है। इसे हासिल करके ही इस प्रदेश की राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। स्थानीय सवालों को लेकर आंदोलन, स्वतंत्र कार्यवाहियों के साथ संयुक्त पहलकदमियों को एक दूसरे की पूरक बताते हुए उन्होंने कहा कि किसान सभा, रोजमर्रा की खेती–किसानी की समस्याओं को लड़ते हुए, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसके जरिये मेहनतकशों की वैकल्पिक नीतियों पर आधारित राजनीतिक विकल्प उभरता है।

प्रदेश के राजनीतिक तथा आम हालात और पिछले सम्मेलन के बाद के घटनाविकास और कामकाज की रिपोर्ट महामंत्री मुकुट सिंह ने रखी। इस सूचनाप्रद तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में उप्र में राजनीतिक चुनौतियां, कृषि संकट व किसानों के ज्वलंत सवाल, कार्रवाइयों की समीक्षा, संयुक्त किसान आंदोलन में उप्र किसान सभा की भूमिका, गाजीपुर व पलवल बॉर्डर, किसान पंचायतें, प्रकाशन, उप्र में संयुक्त किसान मोर्चा, कार्यकर्ता, प्रशिक्षण, संगठन को सक्रिय तथा उसका विस्तार करना, कमजोरियां, कार्यकर्ता निर्माण, फंड सहित आगे के काम, आदि विभिन्न पहलुओं पर अलग–अलग अध्यायों में विस्तृत समीक्षा की गयी थी।

रिपोर्ट पर हुयी चर्चा में 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में आये सुझावों को समाहित करते हुए महामंत्री मुकुट सिंह ने जवाब दिया। जिसके बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हो गयी।

प्रतिनिधि सत्र को अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने भी संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा स्थितियों की विशेषता रेखांकित की और कहा कि हालात अगर नए हैं तो कार्यशैली और तरीके भी नए करने होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि यह सिर्फ कारपोरेट की सरकार नहीं है उसका हिंदुत्ववादी साम्प्रदायिकता से गठबंधन है। इसलिए, जानबूझकर लोगों की भावनाएं दूषित करने उन्हें बांटने की साजिशों के साथ धर्म, जाति के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कुटिल योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि हुक्मरानों की लूट के खिलाफ जनता न जाग सके, एकजुट न हो पाए। इसके विरुद्ध सजग अभियान, महिलाओं तथा युवाओं की भागीदारी बढ़ाने आदि के बारे में भी उन्होंने बताया।

सम्मेलन के आखिरी सत्र में नयी समितियों का निर्वाचन भी पूर्ण सर्वसम्मति के साथ हुआ। सम्मेलन ने 75 सदस्यीय राज्य परिषद चुनी। जिसने बाद में 35 सदस्यी राज्य कार्यकारिणी तथा 13 सदस्यीय पदाधिकारी मंडल को चुना। इसके अध्यक्ष भारत सिंह; महामंत्री मुकुट सिंह; डीपी सिंह, डा0 हीरालाल यादव, इंद्रदेव पाल, मो0 इद्रीस उपाध्यक्ष; बाबूराम जाटव, कोषाध्यक्ष और चंद्रपाल सिंह, साधूशरण, दिगंबर सिंह, संतोष शाक्य व मायाराम वर्मा उपाध्यक्ष चुने गए। दिसंबर में त्रिशूर में होने वाले अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 30 प्रतिनिधि भी निर्वाचित किये गए।

इसी सत्र में जगबीर सिंह भाटी ने हिसाब–किताब जांच कमेटी की रिपोर्ट और प्रवीण सिंह ने पेश की। सम्मेलन में लखीमपुर किसान हत्याकांड, एमएसपी की गारंटी, आवारा पशुओं से फसल की बर्बादी तथा लम्पी रोग की रोकथाम, बिजली विधेयक की वापसी और राज्य की बिगड़ती कानून व व्यवस्था, अपराधों में वृद्घि तथा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए।

सम्मेलन का समापन भाषण अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ0 अशोक ढवले ने दिया। उन्होंने एक सफल सम्मेलन तथा उसमें हुए विचार–विमर्श के लिए बधाई दी और भरोसा जताया कि इसके बाद उत्तरप्रदेश में किसान आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देश भर में चल रहे आंदोलनों और किसानों की बढ़ती जाग्रति और एकता के कई उदाहरण देते हुए, उन्होंने उत्तरप्रदेश में किसानों के अलग–अलग क्षेत्रवार मुद्दों के चिन्हांकन तथा उनके आधार पर आंदोलनों के विकास पर जोर दिया।

डॉ ढवले ने संगठन में कसावट लाने के संबंध में महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों के अनुभवों को भी रखा और उनके आधार पर यूपी में किसान सभा संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने का सुझाव दिया। □

हरियाणा 14वां राज्य सम्मेलन

– सुमित सिंह

खेती और रोजगार बचाओ– आंदोलन को आगे बढ़ाओ के नारे के साथ अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा का 14वां राज्य सम्मेलन 29–30 सितंबर को महम में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मौके पर किसान सभा हरियाणा ने 34वें राष्ट्रीय सम्मेलन के नारे हर गांव में किसान सभा– किसान सभा में हर किसानज्ज् के नारे को दोहराते हुए, किसान आंदोलन के बाद से प्रदेश भर में संगठन के फैले व्यापक प्रभाव को संगठित करने व स्थानीय स्तर पर लंबे व जुझारू संघर्षों का निर्माण करने का निर्णय लेते हुए, आगामी आंदोलनों के लिए संगठन को तैयार करने का संकल्प लिया

सम्मेलन की शुरूआत, किसान नेता कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को समर्पित खुले अधिवेशन से हुई, जिसे एक सेमिनार के तौर पर आयोजित किया गया। सेमिनार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ० विकास रावल व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ० अशोक ढवले ने संबोधित किया।

खुला सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने कहा की पिछले तीन दशकों से पूरे देश के अंदर असमानता बढ़ी है। हरियाणा में भी पिछले दो दशकों में भूमिहीन परिवारों में 10 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। सीमांत और मंझोले किसानों को भूमिहीन के साथ जोड़ दें तो, इन 88.6 प्रतिशत परिवारों के हिस्से में मात्र 35.7 प्रतिशत भूमि आती है, जो कि एक बड़ी विषमता है। गरीब किसानों में भूमि हीनता बढ़ती जा रही है। मात्र 0.7 प्रतिशत लोगों के पास कुल भूमि का 26 फीसद हिस्सा है। आर्थिक असमानता बढ़ी है , जोत छोटी होती जा रही है और उस छोटी जोत से घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। हरियाणा में आज के दिन शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो केवल खेती पर निर्भर हो। गैर–खेती के साधनों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्व बढ़ा है। ऐसी प्राइवेट नौकरियों की तरफ किसान परिवारों का रुझान बढ़ा है, जिनमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उदाहरणस्वरूप ओला/ उबर जैसी कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर किसान परिवारों व गरीब भूमिहीनों के बच्चे काम करते हैं। नव–उदारीकरण के चलते सरकारी नौकरियों में कमी आई है।

पिछले तीन दशकों में उदारीकरण की नीतियों का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके प्राइवेट कंपनियों को बीज, खाद, दवाई पैदा करने का ठेका दिया है। आज के दिन कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च का कोई पैसा नहीं आता है, सब कुछ प्राइवेट कंपनियां पैदा कर रही हैं और किसानों को उन्हीं के दामों पर खरीदना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियां ज्यादा खाद का उत्पादन करती हैं, सरकारी कंपनियों को दी जाने वाली सभी सब्सिडीओं से, सरकार ने हाथ खींच लिए हैं।

सेमिनार के समापन के मौके पर किसान आंदोलन में शहादत देने वाले रोहतक के 18 शहीद किसानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल तक स्वास्थ्य कैंप लगाने वाली, जनस्वास्थ्य अभियान की डॉक्टर्स की टीम व अन्य नागरिकों को भी सम्मानित किया गया।

सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र का आयोजन किसान आंदोलन में शहादत देने 715 शहीदों को समर्पित शहीद किसान नगर में, किसान सभा हरियाणा के पूर्व कोषाध्यक्ष दिवंगत धर्मवीर कंवारी हाल में, रोहतक किसान सभा के नेता दिवंगत कॉमरेड प्रेम सिवाच मंच पर किया गया।

राज्य अध्यक्ष फूल सिंह श्योकंद ने किसान सभा के झंडे को फहरा कर विधिवत प्रतिनिधि सत्र की शुरूआत की।शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मास्टर बलबीर सिंह , डिंपल , शमशेर नंबरदार, जगतार सिंह, फूल सिंह ने संयुक्त तौर पर की। सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन योगेंद्र व सुमित सिंह ने किया।

प्रतिनिधि सत्र की शुरूआत में जन–संगठनों व वर्गीय –संगठन के नेताओं ने बधाई संदेश दिए। इस सिलसिले में सीआइटीयू की राज्य अध्यक्ष सुरेखा, उपप्रधान सुरेंद्र मलिक, खेत मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव रामकुमार बहबलपुरिया, नौजवान सभा के अध्यक्ष नरेश दनोदा, एसएफआइ से अर्जुन, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य ऑडिटर संदीप सांगवान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान जरनैल सांगवान, जनवादी महिला समिति राज्य महासचिव उषा सरोहा ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

पिछले ढाई साल के अरसे के बीच घटे राजनीतिक घटनाक्रम, देश व प्रदेश की स्थिति के साथ प्रदेश के मौजूदा कृषि संकट की रिपोर्ट रखते हुए, राज्य उपप्रधान इंद्रजीत सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में भूमि की मिल्कियत की स्थिति और बदलते वर्गीय संबंधों पर चर्चा करते हुए, भूमिहीनों की बढ़ती आबादी की तरफ ध्यान आकर्षित किया। लगातार कृषि योग्य भूमि का केंद्रीयकरण हो रहा है, ठेके पर खेती करने वाले किसानों की समस्याएं, अन्य किसानों से सांझी होते हुए भी भिन्न हैं, जिन्हे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। छोटे किसानों के भारी बहुमत को बदहाली से कैसे उबारा जाए,यह सरकारों की कोई प्राथमिकता ही नहीं है। वे तो चाहते है कि, छोटे किसान बर्बाद होकर, जमीन बेचने को मजबूर हो जाएं। इसलिए , ठेके/हिस्से पर खेती करने वाले छोटे किसानों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए, मांगों को चिन्हित कर के आंदोलन निर्माण किया जाना जरूरी है।

राज्य सचिव सुमित ने सांगठनिक रिपोर्ट रखते हुए किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के साथियों द्वारा निभाई गयी ऐतिहासिक भूमिका की तरफ ध्यान आकर्षित किया। किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा होने के चलते लगभग सभी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर,पलवल बॉर्डर, जुरेहड़ा बॉर्डर, गुरुग्राम मोर्चा, ढांसा बॉर्डर और साथ ही प्रदेश के दर्जनों टोल प्लाजों पर, हम नेतृत्वकारी भूमिका में रहे। शुरूवाती दिनों में खेड़ा/शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हरियाणा साथियों ने हाजरी बढ़ाई।

रिपोर्ट में जींद जिले के साथियों के द्वारा किसान आंदोलनकारियों के लिए साल भर तक चलाए गए लंगर के योगदान को भी दर्ज किया गया ।पिछले अर्से की सांगठनिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही रिपोर्ट में आगामी सांगठनिक कार्यभार भी तय किए गए, जिनमें सदस्यता को दो गुना से ज्यादा करने , प्राथमिक कमेटियों का गठन करने व सक्रिय करने, इकाई रजिस्ट्रेशन करवाने, कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास के लिए उन्हें शिक्षित करने, युवा व महिला किसान कार्यकर्ताओं को संगठन से जोडने, फसल–वार संगठनों की कमेटियों का जिला स्तर पर गठन करने व सक्रिय करने के मुख्य कार्यभार हाथ में लिए जाने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही जिला व राज्य स्तर पर एमएसपी की गारंटी,कर्जा मुक्ति, हरियाणा भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून , प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसलों का मुआवजा, बीमा कंपनियों की लूट , छोटे व काश्तकार किसानों की मांगें, लम्पी बीमारी से मृत पशुओं का मुआवजा, आदि सवालों पर जुहारू संघर्षों का निर्माण का काम प्राथमिकता पर रखा गया।

रिपोर्ट पर हुई बहस में कुल 35 साथियों ने शिरकत की।रिपोर्ट पर बहस का जवाब राज्य कमेटी की तरफ से सचिव सुमित सिंह ने दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से रिपोर्ट पारित की गई। इसके बाद परिचय पत्र कमेटी की तरफ से दिनेश सिवाच ने परिचय पत्र रिपोर्ट रखी। सम्मेलन में कुल 234 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 महिला साथी शामिल रहीं।

अध्यक्ष मंडल की तरफ से 35 सदस्यीय नई राज्य कमेटी का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। नई राज्य कमेटी ने मास्टर बलबीर सिंह को राज्य अध्यक्ष, सुमित सिंह को महासचिव, डिंपल को कोषाध्यक्ष , इंद्रजीत सिंह ,प्रीत सिंह ,जगरोशन, शमशेर नंबरदार को राज्य उपप्रधान, मनोज, दिनेश सिवाच, योगेंद्र को सहसचिव, महिपाल को सचिवमंडल सदस्य चुना। 6 साथियों को विशेष आमंत्रित सदस्य रखा गया है।

सम्मेलन का समापन करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय वित्त–सचिव कृष्ण प्रसाद ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वर्गीय मुद्दों पर संयुक्त आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। समापन के मौके पर नवनियुक्त राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह ने, शानदार आयोजन करने के लिए रोहतक जिला कमेटी तथा सभी कार्यकर्ताओं धन्यवाद किया और संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी आह्वङ्कानों को मजबूती से लागू करने की घोषणा की।

□

झारखंड 7वां राज्य सम्मेलन

– सुरजीत सिन्हा

अखिल भारतीय किसान सभा का सातवां झारखंड राज्य सम्मेलन गत 5–6 नवंबर को रांची जिले के सिल्ली में संपन्न हुआ, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की सीमा से मात्र पांच किलोमीटर दूर है। सम्मेलन स्थल का नाम अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व राज्य अध्यक्ष और तीन बार के पूर्व विधायक, राजेंद्रसिंह मुंडा के नाम पर रखा गया था। मंच का नाम ज्योतिन सोरेन और विश्वदेव सिंह मुंडा के नाम पर रखा गया था।

सम्मेलन स्थल को वर्ष 1855 में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए ऐतिहासिक संथाल हूल विद्रोह के नेताओं शहीद सिद्धू तथा कान्हू मुर्मू, लोकख्यात साम्राज्यवाद विरोधी शहीदों बिरसा मुंडा (9 जून,1900 को शहीद) तथा भगत सिंह (23 मार्च 1931) और अखिल भारतीय किसान सभा के शहीदों की तस्वीरों से सजाया गया था।

5 नवंबर को एक विशाल रैली तथा आम सभा के साथ यह सम्मेलन शुरू हुआ। इस रैली तथा आम सभा में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया था, जिनमें अनेक महिला किसान भी शामिल थीं। आम सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुफल महतो ने की और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले, वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद, राज्य सचिव सुरजीत सिन्हा और राज्य सहसचिव एहतशान अहमद ने संबोधित किया।

आम सभा को संबोधित करनेवाले सभी वक्ताओं ने मोदी के नेतृत्ववाले भाजपा–आरएसएस निजाम पर कार्पोरेट घरानों के लिए आदिवासियों की जमीन लूटने, वनाधिकार कानून को लागू करने से इंकार करने, वर्ष 1980 के वन संरक्षण कानून में आदिवासीविरोधी संशोधन करने, किसानों की फसलों के लाभकारी समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी करने से इंकार करने, किसानों की ऋण माफी करने से इंकार करने और सूखे का मुआवजा देने से इंकार करने के लिए, तीखा हमला बोला।

वाक्ताओं ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, आगामी 15 नवंबर को पूरे झारखंड राज्य में ध्वजारोहण करने का आह्वान किया। यह आगामी 13 से 16 दिसंबर तक केरल के त्रिशूर में होनेवाले किसान सभा के अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में, अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये आह्वान का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों की तमाम ज्वलंत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की मांगों को लेकर आगामी 26 नवंबर को रांची के राजभवन पर एसकेएम का एक विशाल संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करने और अगले वर्ष अप्रैल महीने में दिल्ली में होने जा रही सीटू–अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन की विशाल संयुक्त रैली के लिए, सघन तैयारियां करने का भी आह्वान किया।

सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र में राज्य के 15 जिलों के 237 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 21 महिलाएं शामिल थीं। अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठतम राज्य उपाध्यक्ष, रामदेव सिंह द्वारा झंडा फहराए जाने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। डा0 अशोक ढवले ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुरजीत सिन्हा ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर रात में जिलावार ग्रुपों में चर्चा हुयी।

6 नवंबर को रिपोर्ट पर पूर्णाधिवेशन में हुयी चर्चा में 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संघर्ष के अपने अनुभवों से इसे और समृद्ध बनाया। बहस का जवाब दिए जाने के बाद, रिपोर्ट और आय–व्यय का ब्यौरा सर्वसम्मति से पारित हुए।

प्रेमचंद पातर ने क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 237 प्रतिनिधियों में से 113 आदिवासी थे, 74 पिछड़ा वर्गों से थे और 13 दलित थे। 46 प्रतिनिधि ऐसे थे, जिन्हें जेल जीवन का अनुभव था और 41 प्रतिनिधियों को भूमिगत जीवन का अनुभव था।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया। बाद में इस राज्य कमेटी ने 13 पदाधिकारियों का चुनाव किया जिनमें सुफल महतो अध्यक्ष, सुरजीत सिन्हा सचिव और वीरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन ने किसान सभा के अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 13 प्रतिनिधियों और 2 वैकल्पिक प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया।

पी कृष्णाप्रसाद के समापन भाषण के बाद, अखिल भारतीय किसान सभा को झारखंड में सुदृढ़ करने और उसका कई गुना विस्तार करने के उत्साहपूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। □

हिमाचल प्रदेश 16वां राज्य सम्मेलन

– सत्यवान पुण्डीर

हिमाचल किसान सभा का 16वां दो दिवसीय राज्य सम्मेलन 27 जुलाई 2022 को सोलन में ध्वजारोहण तथा आन्दोलन एवं संघर्षों के दौरान बिछुड़े साथियों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ।

''कृषि में आज केवल समस्या नहीं बल्कि गहरा संकट है। इस संकट के चलते अब तक 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि में लागत मूल्य तीन से चार गुना बढ़ गया है लेकिन उस अनुपात में फसल का दाम नहीं मिल रहा है''। इस बात 8 बार पश्चिम बंगाल से सांसद रहे, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हन्नान मौल्ला ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान सभा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करती आ रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ''अग्निवीर'' जैसी योजना लाकर, सेना को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। हन्नान मौल्ला ने कहा कि किसानों के सामने आज बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन उनके समक्ष सबसे बड़ा संकट कर्ज़ और फसल का उचित दाम न मिलना है। इसलिए, किसान सभा को दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना होगा।

हन्नान मौल्ला ने यह भी कहा कि आज के निज़ाम में बिना संघर्ष किए कोई भी मांग हासिल नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने और तोडने़ की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन, किसानों की एकता के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। उसे किसान विरोधी कानून वापिस लेने पड़े। मगर सरकार अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे को पूरा करने में आनाकानी कर रही है, जिसके लिए किसानों को संघर्ष तेज करना होगा।

सम्मेलन के पहले ही दिन, किसान सभा के राज्य महासचिव डॉ0 ओंकार शाद ने सम्मेलन में चर्चा के लिए मुख्य रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रतिभागियों ने चर्चा करते हुए किसान सभा के समक्ष मौजूद चुनौतियों और संगठन की कमज़ोरियों व मज़बूतियों की विस्तृत चर्चा की।

दूसरे दिन सम्मेलन में प्रदेश के 6 प्रमुख मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किये जिसमें 1) सेब की खेती पर संकट, 2) दूध के दाम एवं पशुपालन, 3) सब्ज़ी उत्पादन से जुड़े मुद्दे, 4) मनरेगा, 5) सार्वजनिक सेवाओं की मज़बूती तथा 6) भूमि अधिग्रहण प्रभावितों के मुद्दे, पर प्रस्ताव शामिल थे।

हिमाचल किसान सभा तथा सेब उत्पादक संघ के पूर्व राज्य महासचिव तथा ठियोग के विधायक, राकेश सिंघा ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की रीढ़ सेब की अर्थव्यवस्था पर, आज संकट मंडरा रहा है। सिंघा ने बताया कि आज किसान–बागवान 1987 एवं 1990 की तर्ज

पर लामबंद होने शुरू हुए हैं, क्योंकि सरकार ने कार्टन, ट्रे, खाद, कीटनाशकों की कीमतों में भारी वृद्धि करने के बाद, ऊपर से जीएसटी बढ़ा दिया है। ऐसे में किसानों के पास संघर्ष के इलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों ने 5 अगस्त को 'संयुक्त किसान मंच' के बैनर तले प्रदेश सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन करने का फैसला किया था, सिंघा ने उसे सफल बनाने की अपील की।

राज्य सम्मेलन को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सह–सचिव एवं हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रभारी डॉ0 विजू कृष्णन ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने देश के स्तर पर कृषि संकट के बढ़ते खतरों से प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन देशव्यापी नीतियों का स्थानीय स्तर पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता से चिन्हित करते हुए संघर्ष विकसित करने होंगे। डॉ0 विजू कृष्णन ने केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के वादे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल कोरे नारों से, किसानों की स्थिति नहीं बदलने वाली। सरकार किसानों को गुमराह करती है और बड़े उद्योगपतियों को लाभ देती है। इन नीतियों को हमारे आम किसानों को समझना होगा और एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। डॉ0 विजू ने फसल आधारित संगठनों को सक्रिय करने व व्यापक आंदोलन विकसित करने का भी आह्वान किया।

राज्य कमेटी की बैठक के निणर्यानुसार, किसान सभा राज्य महासचिव डॉ0 ओंकार शाद ने सम्मेलन में 37 सदस्यीय नई कमेटी का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया और 34 सदस्सीय कमेटी का चुनाव किया गया, जबकि 3 स्थान बाद में महिला नेताओं को शामिल करने के लिए रिक्त रखे गए हैं। नवनिर्वाचित कमेटी की पहली बैठक सम्मेलन के दौरान ही हुई और 11 सदस्यों का सचिवमण्डल चुना गया। राज्याध्यक्ष की ज़िम्मेदारी पुनः डॉ0 कुलदीप सिंह तंवर को सौंपी गयी जबकि होतम सोंखला को राज्य महासचिव बनाया गया। राज्य वित्त सचिव पुनः सत्यवान पुण्डीर बनाए गए और उपाध्यक्ष की ज़िम्मेवारी कुशाल भारद्वाज, नारायण चौहान, पूर्ण ठाकुर व सतपाल को तथा राज्य सह–सचिव की जिम्मेदारी देवकीनंद, गीता राम, प्यारेलाल वर्मा एवं राजेन्द्र ठाकुर को ज़िम्मेदारी दी गयी। जिला कमेटियों के अध्यक्ष एवं सचिवों को तथा फसल आधारित संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिवों को राज्य कमेटी में शामिल किया गया। इसके अलावा डॉ0 ओम प्रकाश तथा डॉ राजेंद्र चौहान को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया।

इसके अलावा सम्मेलन ने अखिल भारतीय किसान सभा के केरल के कन्नूर में होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन के लिए प्रदेश से 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल का भी चुनाव किया।सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए हन्नान मौल्ला ने अखिल भारतीय किसान सभा तथा संयुक्त किसान मोर्चा के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा हिमाचल इकाई से देश के साथ चलकर प्रदेश में व्यापक किसान आंदोलन विकसित करने की अपील की।

नवनिर्वाचित राज्य महासचिव तथा राज्याध्यक्ष ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला कमेटी सोलन, बिरादराना जनवादी संगठनों तथा मदद करने वाले सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। साथ ही आगामी समय में प्रदेश में किसान आन्दोलन को व्यापकता से विकसित करने तथा संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने विश्वा जताया कि आने वाले समय में सदस्यता बढ़ाते हुए सभी जिलों में संगठन का विस्तार किया जाएगा और प्रदेश में फसल आधारित संगठनों को प्राथमिकता देते हुए तथा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर, स्थानीय संघर्षों को विकसित किया जाएगा। □

मध्यप्रदेश 12वां राज्य सम्मेलन

– अखिलेश यादव

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध मध्यप्रदेश किसान सभा का 12वां राज्य सम्मेलन, किसान आंदोलन के शहीदों और संघर्षों की भूमि, ग्वालियर के रायरू गांव में 23 से 25 सितंबर तक सम्पन्न हुआ।

प्रदेश भर से चुनकर आये 198 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन ने मौजूदा हालात, चुनौतियों और संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण किया और आने वाले दिनों में छेड़े जाने वाले आंदोलनों और संघर्षों की योजना बनाई।

कोरोना की वजह से 2 वर्ष देरी से हुए इस सम्मलेन के पूरे आयोजन में हाल में हुए देशव्यापी किसान आंदोलन और मप्र किसान सभा की अगुआई तथा भागीदारी में प्रदेश में हुए विभिन्न आंदोलनों तथा संघर्षों की गर्माहट साफ़–साफ़ दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश भर में तेजी के साथ संघर्षों के विस्तार और उन्हें संगठन में बांधने की बेचैनी थी। और नया कुछ करने के जोश के साथ सब कुछ बदलने का संकल्प और विश्वास भी था।सम्मेलन को मार्गदर्शन देने अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व–अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व–विधायक अमराराम दो दिन रहे। वर्तमान अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ0 अशोक ढवले ने समापन संबोधन दिया।

सम्मेलन द्वारा चुने गए नए नेतृत्व में 46 वर्षीय युवा अखिलेश यादव, महासचिव निर्वाचित हुए हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की औसत उम्र 50 वर्ष थी, जो इस बीच हुए किसान आंदोलनों के प्रभाव और उसे संगठन में बांधने की कोशिशों की परिचायक थी। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन की शुरूआत रायरू में खुले सत्र के साथ हुयी। किसान नेता और राजस्थान के पूर्व विधायक अमराराम इसके मुख्य वक्ता रहे। उन्हीं ने इस सम्मेलन का उदघाटन किया।

अमराराम ने इस मौके पर कहा कि देश के मौजूदा हालात में किसानों के सामने अब संघर्ष का ही रास्ता बचा है। तेरह महीने चले किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अमरा राम ने कहा कि मोदी सरकार अपने वायदे से मुकर गयी है। यही नहीं, आज एक बार फिर देश को आजादी से पहले के दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर चीज का बीमा होता है, तो किसान की फसल का बीमा क्यों नहीं होता? किसान नेता ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर पिछले 8 सालों से गुपचुप घोटाला हो रहा है। हर साल में 2 बार घोटाला हो रहा है। हकीकत यह है कि फसल बीमा की प्रीमियम राशि भी केंद्र और राज्य सरकारें कृषि बजट से भरती हैं। इस तरह किसानों को दोहरा नुकसान होता है। किसानों के घाटे की भरपाई नहीं होती और कृषि बजट बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियों की तिजोरियों में जमा हो जाता है।

उन्होंने कहा कि कृषि बीमा, कर्जा माफी और किसान पेंशन को अब किसान आंदोलन में नयी मांगों के रूप में जोड़ा गया है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आये किसान प्रतिनिधियों का आव्हान करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष अमरा राम ने कहा कि किसानों को स्थानीय मुद्दों पर भी जुझारू संघर्ष करने होंगे। उन्होंने राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी की तेरह दिन चली लड़ाई का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब आरएसएस – भाजपा जोड़ी, जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रही है, हम संघर्ष के जरिये ही अपने अधिकारों को हासिल कर सकते

हैं। उनका कहना था कि संघर्ष के जरिए ही हम देश की मेहनतकश जनता की एकता का निर्माण कर सकेंगे, जो देश की एकता की असली गारंटी है।

अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व–अध्यक्ष अमरा राम ने दिल्ली के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण मोर्चे, पलवल बॉर्डर को शुरू करने तथा आखिर तक चलाने में, मध्यप्रदेश किसान सभा के साथियों की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना भी की।

उनसे पहले इस खुले अधिवेशन में मप्र किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष, जसविंदर सिंह बोले। उन्होंने प्रदेश के किसानों की दुर्दशा के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चंबल के जिले बाढ़ और अतिवृष्टि की चपेट में थे, तो दूसरी तरफ अपने राजनीतिक आका को रिझाने के लिए, भाजपा की केंद्र तथा राज्य सरकारें उसके जन्मदिन पर भव्य तमाशा कर रही थीं। प्रदेश के किसानों की, उपज के कम दाम और नकली खाद व बीज और बिजली के बढ़े–चढ़े बिलों के जरिए, जारी लूट की भी उन्होंने भत्र्सना की।

मप्र किसान सभा के निवर्तमान अध्यक्ष रामनारायण कुररिया की अध्यक्षता में हुए इस खुले अधिवेशन में, स्वागताध्यक्ष पी पी शर्मा, पार्षद ने स्वागत भाषण दिया। इस खुले सत्र में ही 12वें राज्य सम्मेलन का झंडा अध्यक्ष रामनारायण कुररिया ने फहराया। जन नाट्य मंच की टुकड़ी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अमराराम ने अगले दिन प्रतिनिधि सत्र को भी संबोधित किया और अनेक प्रेरणादायी अनुभव रखे।

तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ0 अशोक ढवले ने किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह देश के किसान ही हैं जिन्होंने दो दो बार ; पहले 30 अगस्त 2015 को भूमि अधिग्रहण कानून वापस कराके और उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को तीन कृषि कानून वापस करवा कर, मोदी और शाह की कारपोरेटपरस्त सरकार को निर्णायक रूप से हराया है। देश की जनता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली उसकी नीतियों को भी यही किसान, अपने मजदूर और मेहनतकश भाई–बहनों के साथ मिलकर पराजित करेंगे –उनकी कुत्सित और फूट डालने वाली राजनीति को हरायेंगे।

किसान नेता अशोक ढवले ने याद दिलाया कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलाने के लिए हमें किसानों और खेत मजदूरों के बीच फिर से पहुंचना होगा। किसानों की दशा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मुश्किलें बढ़ी हैं, तो मुकाबले भी बढ़े हैं। मोदी सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हुए देश की एकता को तोडऩे का काम कर रही है। ऐसे में किसान आंदोलन का दायित्व है कि वह किसानों के बीच जातीय और धार्मिक एकता को बनाए तथा बढ़ाए। इसी एकता के भरोसे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने किसान आंदोलन को जिंदा रखा था।

सम्मेलन को बहुत सफल और उत्साहपूर्ण बताते हुए डॉ0 अशोक ढवले ने सदस्यता और संगठन को और विस्तार देने के लिए तुरंत जुट जाने का आह्वङ्गान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनके ऊपर जारी चौतरफा हमलों के विरुद्ध जाग्रत, एकजुट और संगठित किया जाना जरूरी है।

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित कर, संयुक्त किसान मोर्चे के कदमों का समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चे ने लखीमपुर–खीरी के हत्यारों को सजा, टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी और सारी मांगों पर किये वायदों पर अमल की मांगों को लेकर, 26 नवम्बर को देश भर में प्रदर्शन तथा राजभवनों के घेराव का आव्हान किया। सम्मेलन में कुल मिलाकर 12 प्रस्ताव भी पारित किये गए। सम्मेलन में महासचिव रिपोर्ट, दो भागों में अशोक तिवारी तथा बादल सरोज ने रखी, जिस पर दो दिन तक चली चर्चा में 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिपोर्ट सर्वानुमति से मंजूर की गयी।

सम्मेलन के अंत मे 41 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया गया जिसमें बादल सरोज अध्यक्ष, अशोक तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष, अखिलेश यादव महासचिव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जैन सहित 13 सदस्यीय पदाधिकारीमंडल चुना गया। इनमें रामनारायण कुररिया, गयाराम सिंह धाकड़, अरुण चौहान, लालता प्रसाद, प्रेमनारायण माहौर उपाध्यक्ष और कांतिलाल निनामा, विजय पटेल, जगदीश पटेल, शिवराम सिंह संयुक्त सचिव, शामिल हैं।जसविंदर सिंह, जितेंद्र आर्य, सुभाष शर्मा, बुद्दसेनसिंह गोंड, रामबाबू जाटव को, पदाधिकारी मण्डल का स्थायी आमंत्रित बनाया गया है ।

किसान सभा के मप्र राज्य सम्मेलन को सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, जनवादी महिला समिति की नेत्री प्रीति सिंह, एसएफआइ के प्रदेश महासचिव अजय तिवारी तथा डीवायएफआइ के राज्य महासचिव, भूपेंद्र सिंह गुर्जर ने शुभकामनाएं दीं। □

गुजरात 15वां राज्य सम्मेलन

– दयाभाई गजेरा

अखिल भारतीय किसान सभा का 15वां राज्य सम्मेलन देश की आजादी के बाद से गुजरात में प्रगतिशील और क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमि रहे, राजकोट जिले के उपलेटा शहर में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को बड़े उत्साह और संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

दो दिवसीस अधिवेशन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने व किसान सभा के राज्य प्रमुख दयाभाई गजेरा द्वारा ध्वजारोहणके साथ शुरू हुआ। सम्मलेन के मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अशोक ढवले तथा सम्मलेन में आए सभी प्रतिनिधियों व मेहमानों ने शहीद स्मारक पर फूल अर्पित कर, शहीदों को क्रांतिकारी सलामी दी।

कॉमरेड सिंगजीभाई कटारा नगर, उपलेटा में सम्मलेन की शुरूआत में ही, किसान सभा राज्य प्रमुख डायाभाई गजेरा ने शोक प्रस्ताव पेश किया और दो मिनिट का मौन रखकर सम्मेलन ने पिछले सम्मेलन के बाद गुजर गए साथियों तथा जनतांत्रिक आंदोलन की प्रमुख हस्तियों को श्रद्घांजलि अर्पित की। समेलन के उदघाटन सत्र के आरंभ में, स्वागत समिति के चेयरमैन विनुभाई घेरवडा ने उपस्थित अतिथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अशोक ढवले, सीटू राज्य महासचिव अरुण मेहता, एसएफआइ के नितीशकुमार व जनवादी महिला समिति की राजकोट जिला प्रमुख पमीबहन डेर और सम्मलेन में आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने राजकोट जिले की प्रगतिशील और कांतिकारी भूमि पर, सन् 1958 में बेटरमेन्ट लेवी के विरुद्ध हुए किसान आंदोलन की शीर्ष नेता, कॉमरेड निरूबेन पटेल को याद किया और इस भूमिपर हुए अनेक किसान और मजदूर आंदोलनों के नेताओं को याद किया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, विस्तार से इसकी चर्चा की कि आज देश की खेती कैसे गहरे संकट में है, किसान बेहाल हैं। ऐसे समय में जब केन्द्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी तीन कृषि कानून लाई, तो ये कानून रद्द कराने के लिए चलाए गए आंदोलन में लाखों किसानों ने दिल्ली के पांचों बॉर्डरों पर डेरा डाल दिया। इस आंदोलन में हर जाति, धर्म और भाषा के किसान शामिल थे। विविधता में एकता का प्रतीक यह आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डरों पर एक साल से ज्यादा चला। किसानों के मजबूत आंदोलन के कारण केन्द्र सरकार को मजबूर होकर ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। पर किसानों की पैदावार के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज एफआइआर हटाने की मांग को लेकर, आज भी आंदोलन जारी है।

आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है। इसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी के आठ साल के शासन काल में एक लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह चिंता का विषय है। इस सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण खेती घाटे का धंधा बन गई है। विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ गयी है।

छोटे उद्योगकार, युवाओं और खेत मजदूरों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और केन्द्र सरकार, अपने चहेते उद्योगपतियों और चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा दिलाने में लगी हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष ने, आज के समय में खेती को बचाने और भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों से लडने के लिए, मजबूत किसान संगठन खड़ा करने और किसानों को किसान सभा में जोडने के लिए अभियान चलाने पर, जोर दिया।

उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि भाजपा सरकार चुनावों में जीत हासिल करने के लिए, देश की जनता की एकता को तोडने के लिये, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस साम्प्रदायिक जहर का मुकाबला करने के लिए किसान, मजदूर, महिला, युवा, सभी को मजबूती से संगठित होना पड़ेगा।

सीटू के गुजरात राज्य सचिव अरुण महेता ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसानों की हालत बदतर है और मजदूर–कामगारों की रोजी–रोटी लुट रही है। ऐसे हालात में एक तरफ तो प्रधानमंत्री चुनावी अभियान के पीछे देश के करोड़ों रुपयों की बरबादी कर रहे हैं और दूसरी ओर गरीब आम जनता को राहत देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। कोरोना काल में भाजपा सरकार की भयानक लापरवाही के कारण गुजरात में हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी, रेम्डेसीवर इन्जेक्शन व जरूरी दवाओं की कमी से मरे हैं। गुजरात सरकार की ये लापरवाही माफी के लायक नहीं है। किसानों और मजदूरों के अनेक संघर्षों व लड़ाईयों के बाद हासिल अधिकारों को भाजपा सरकार समाप्त कर रही है। ऐसे समय में किसान–मजदूरों की मजबूत एकता के हथियार से इन्हें रोकने का समय आ गया है।

इसी मौके पर उपलेटा में एक मार्ग का नाम, उपलेटा के जानेमाने मजदूर और साम्यवादी बुजुर्ग नेता कॉमरेड दलपतभाई निरंजनी के नाम से रखा गया। उपलेटा नगरपालिका के अध्यक्ष और किसान सभा के राष्टङ्गीय अध्यक्ष, डॉ0 अशोक धावले ने इस मार्ग का उद्घाटन किया और उपलेटा चौक पर एक जनसभा को भी संबोधित किया।

सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र में गुजरात किसान सभा के राज्य सचिव पुरुषोत्तम परमार ने राजनीतिक और संगठनिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर हुई चर्चा में 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसान सभा राज्य सचिव सचिव ने रिपोर्ट पर हुई चर्चा में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुआ कहा कि संगठन के सामने बहुत से पड़ाव हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए सुझावों और उठाए गए मुद्दों को रिपोर्ट में शामिल करते हुए, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने का भरोसा दिलाया।

सम्मलेन में सचिव की रिपोर्ट के अलावा 7 प्रस्ताव भी स्वीकार किए गएः एमएसपी की गारन्टी का कानून, किसानों की कर्जा माफी, मनरेगा में बजट बढोतरी, पशुपालकों की समस्याओं का समाधान और दूध के भाव में सब्सीडी, सिंचाई, आदिवासियों को वनाधिकार कानून के तहत जंगल की जमीन के पट्टे देना, आदि।

सम्मलेन के आखिर में 15 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया, जिसमें तीन स्थान बाद में भरे जाने के लिए खाली रखे गये हैं। राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में डायाभाई गजेरा, राज्य सचिव के रूप में पुरुषोतम परमार, कोषाध्यक्ष के रूप में दिनेशभाई परमार और उपाध्यक्ष के रुप में मलाभाई खांट, अरुण महेता व काराभाई बारैया को चुना गया। अखिल भारतीय किसान सभा के दिसम्बर में होने वाले अधिवेशन के लिए 12प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया गया।

सम्मेलन के अपने समापन भाषण में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले ने रेखांकित किया की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंद रही है, जो लोकतंत्र के लिये सबसे बड़ा खतरा है। हमारे देश के संविधान द्वारा सबको दिए गए बराबरी के अधिकार को पांवों तले रौंदा जा रहा है। इन लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए, किसान संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा।

अंत में दिनेशभाई कटारिया ने अधिवेशन को सफल बनाने के लिए, पूरे जोश के साथ काम करने के लिए, राजकोट जिले के साथियों का और स्वागत समिति के साथियों का आभार व्यक्त किया। □

कश्मीर 7वां क्षेत्रीय सम्मेलन

– गुलाम नबी मलिक

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध जम्मू–कश्मीर किसान तहरीक का सातवां कश्मीर क्षेत्रीय सम्मेलन 3 नवंबर को श्रीनगर में संपन्न हुआ। कश्मीर क्षेत्र के सभी 10 जिलों के 130 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष जम्मू–कश्मीर में सदस्यता 25,000 है। कश्मीर की गंभीर राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर यह सदस्यता सराहनीय है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

जहूर अहमद द्वारा झंडा फहराए जाने के साथ सम्मेलन शुरू हुआ। गुलाम मोहियुद्दीन लोन ने शोक प्रस्ताव पेश किया। जहूर अहमद, गुलाम रसूल तथा गुलाम कादिर हरफू के अध्यक्षमंडल ने सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन किया।

पूर्व विधायक मोहम्मद युसुफ तारीगामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि आज किसान जिस असली मुद्दे से दो–चार हैं, वह है उत्पादन लागत से 50 फीसद ज्यादा कीमत पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने जरिए, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की मांग और यह मांग वे लंबे अरसे से उठाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार–बार के आश्वासनों के बावजूद, इस जायज मांग को आज तक नहीं माना गया है।

उन्होंने कहा कि सेब भारत में और खासतौर से कश्मीर के तकरीबन 9 लाख परिवारों की आय का स्रोत है और उनके जीवनयापन का साधन है। भारत तकरीबन 24 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन करता है और वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा सेब उत्पादक है। इस उत्पादन में कश्मीर का हिस्सा 77 फीसद है और सेब का उत्पादन जम्मू–कश्मीर की जीडीपी के 8 फीसद के बराबर है। इस उत्पादित सेब के करीब 95 फीसद का उपभोग फल के तौर पर होता है। अभी सेब उत्पादकों को प्रोसेसिंग तथा मूल्य संवर्द्धन का बेहद कम हिस्सा प्राप्त होता है।

राज्य महासचिव की रिपोर्ट पेश करते हुए गुलाम नबी मलिक ने इस क्षेत्र के किसान समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के समक्ष उपस्थित समस्याओं के लिए, सरकार द्वारा प्रस्तावित समाधान नुकसानदेह ही साबित हो रहे हैं और ये खासतौर पर गरीब तथा सीमांत किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने जम्मू–कश्मीर में किसान आंदोलन के महत्व को रेखांकित किया और समाज के चौतरफा बदलाव में छोटे तथा सीमांत किसानों की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा छेड़े गए जुझारू संघर्ष के चलते, भाजपा सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने पर मजबूर हुई है। यह किसानों की भारी जीत है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भूमि कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं, उनके जरिए हमारे भूमि तथा संपत्ति के अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ''हमारी जमीन पर हमारा अधिकार'' के नारे के साथ, किसान संगठन को मजबूत बनाएं।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा और एआइकेएससीसी और बाद में एसकेएम द्वारा किए गए हर आह्वान को लागू किए जाने के साथ ही साथ सिंचाई, बिजली की आपूर्ति, मनरेगा, बागान उत्पादों के लिए एमएसपी, कम कीमत पर विकसित तकनीक की उपलब्धता और कृषि तथा शोध व विकास (आरएंडडी) के लिए समुचित फंड आवंटन जैसे मुद्दों–जिनका सामना जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों के किसानों को करना पड़ रहा है–की खातिर लडने के लिए, तमाम उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल

किया गया है।

धारा 370 और 35ए के दुर्भाग्यपूर्ण तथा असंवैधानिक खात्मे और राज्य का दर्जा खत्म कर जम्मू–कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में रूपांतरित किए जाने, इन दोनों क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों को सेना के हवाले कर दिए जाने, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए जाने और प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट तथा टेलीफोन सेवाओं पर अंकुश लगाए जाने के बाद, पूरी आबादी को घरों में रहने को मजबूर कर दिया गया। जनतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश तो अभी तक जारी हैं। सच्चाई यह है कि कश्मीर किसी भी तरह से तिहाड़ जेल से कम नहीं है।

इन हालात में राज्य के संविधान को खत्म करने के साथ ही साथ भूमि अधिकारों पर भी हमले किए गए। वर्ष 1950 के ऐतिहासिक भूमि सुधार कानून को संशोधित कर दिया गया। अब बाहरी लोगों को जम्मू–कश्मीर में खेती की जमीन खरीदने तक की इजाजत मिल गयी है। दिसंबर 2020 में सी पी आइ (एम) ने नए भूमि कानूनों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

बिक्री के लिए एक भूमि बैंक बनाने के नाम पर हजारों एकड़ जमीन, जिसमें ज्यादातर खेती योग्य जमीन है, से किसानों को बेदखल किया जा रहा है। वन भूमि से हजारों फलदार पेड़ों को बिना किसी मुआवजे के काट डाला गया है। जम्मू–कश्मीर में वनाधिकार कानून को लागू किए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, इस तरह के 99. 9 फीसद लोगों को अभी संपत्ति के अधिकार नहीं मिले हैं। नवंबर 2019 में, जब शुरूआत में ही भारी बर्फबारी हुयी थी तो अखिल भारतीय किसान सभा के साथ एआइकेएससीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का दौरा किया था।

इस प्रतिनिधिमंडल ने अनेक प्रभावित बागानों का दौरा किया था और इस अवसर पर किसानों की मीटिंगों का आयोजन किया गया था। बाद केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया और दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया था। पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था। जम्मू–कश्मीर तहरीक ने उन तीन किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान चलाया था और जम्मू तथा श्रीनगर में प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिन्हें अंततः मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया था। महंगाई तथा बिजली संशोधन कानून के खिलाफ जम्मू तथा श्रीनगर, दोनों ही जगह प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था।

इसी वर्ष, जब मोदी किसानों की आय को दुगना करने का वादा कर रहे थे, जबर्दस्त फसल आने के बावजूद सरकार की गलत नीतियों के चलते सेब उत्पादकों नुकसान उठाना पड़ा था। फलों से भरे ट्रकों को हफ्तों तक जान–बूझकर नेशनल हाईवे पर रोके रखा गया, जिसके चलते फल उत्पादकों नुकसान उठाना पड़ा। इस अवधि के दौरान बड़े व्यापारियों ने मिट्टी के मोल सेब खरीदे और उन्हें बाद में भारी मुनाफे के साथ बेचने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इसी अवधि में किसान तहरीक ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए और संबंधित जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए।

10 प्रतिनिधियों द्वारा बहस में भाग लिए जाने के बाद, रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी। सम्मेलन ने एक नयी कमेटी का चुनाव किया, जिसमें गुलाम मोहम्मद शाह अध्यक्ष, जहूर अहमद राठर महासचिव और गुलाम हसन गनी, कोषाध्यक्ष चुने गए। किसान सभा के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए छः प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया गया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले ने यह कहते हुए भाजपा तथा केंद्र सरकार की नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना की ये नीतियां किसानों तथा दूसरे शोषित–पीड़ित तबकों की कीमत पर, कार्पोरेट क्षेत्र और बड़े व्यापारिक घरानों की हिमायत के लिए बनायी गयी हैं। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा सरकार की नीतियों से, छोटे तथा सीमांत किसान कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर पर जघन्य, तानाशाहीपूर्ण तथा सांप्रदायिक राजनीतिक हमला किए जाने की कड़ी निंदा की और घोषणा की कि किसान सभा हमेशा जम्मू–कश्मीर के किसानों तथा यहां की आम जनता के साथ एकजुटता में मजबूती से खड़ी रहेगी।

अपने समापन संबोधन में मोहम्मद युसुफ तारीगामी ने जम्मू–कश्मीर में एक मजबूत किसान आंदोलन का निर्माण करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक जबर्दस्त किसान आंदोलन, इस क्षेत्र में एक सही मायनों में लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा।

सम्मेलन के समापन के अवसर पर एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अंग्रेजी में एक पुस्तक 'एपल इज अवर लाइवलीहुड' (सेब हमारी रोजी–रोटी है) का लोकार्पण भी किया गया था। इस पुस्तक को सुंदरैया मेमोरियल ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। □

उत्तराखंड 8वां राज्य सम्मेलन

– गंगाधर नौटियाल

उत्तराखंड किसान सभा का दो दिवसीय सम्मेलन, मजदूर–किसानों की व्यापक एकता निर्मित करने के संकल्प के साथ, उधमसिंह नगर में 5–6 नवंबर को संपन्न हुआ ।

पहले दिन, 5 नवम्बर 022 को एक जनसभा के साथ सम्मेलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभा के मुख्य वक्ता, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, वीजू कृष्णन ने विस्तार से भाजपा की किसान व मजदूर विरोधी नीतियों और इन नीतियों से निजात पाने के लिए देश के मजदूरों, किसानों व मेहनतकश जनता की व्यापक गोलबन्दी तथा संयुक्त संघर्षों को आगे बढ़ाने पर अपने विचार रखे।

इस अवसर पर किसान सभा केंद्र से मनोज, किसान सभा राज्य अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण, महामंत्री गंगाधर नौटियाल और शिवप्रसाद देवली, जागीर सिंह आदि ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया ।

बाद में जाने–माने किसान नेता, स्वर्गीय अवतार सिंह की पत्नी हरभजन कौर द्वारा झंडारोहण किए जाने और प्रदेशभर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किए जाने के साथ, सम्मेलन का प्रतिनिधि सत्र शुरू हुआ।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र को संबोधित करते हुए वीजू कृष्णन ने उत्तराखंड में किसान के विस्तार की संभावनाओं पर अपने विचार रखे तथा सफल सम्मेलन के लिए राज्य परिषद को बधाई दी ।

सांगठनिक सत्र में राज्य महामंत्री गंगाधर नौटियाल ने पिछले एवं इस सम्मेलन के मध्य की प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और किसान सभा की राजनीतिक–सांगठनिक स्थिति एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर दो दिन हुई बहस में 14 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।महामंत्री ने रिपोर्ट पर बहस का जवाब देते हुए उत्तराखंड में संगठन, सदस्यता की स्थिति तथा संगठन के काम–काज की जनतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दिया। बहस के जवाब के बाद, सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी।

सम्मेलन में राज्य के आठ जिलों के 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। सम्मेलन को बिरादाराना प्रतिनिधियों अपने संगठनों की ओर से शुभकामनाएं दी जिनमें, सीटू राज्य अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह नेगी तथा महामंत्री, महेंद्र जखमोला प्रमुख थे।

सुरेंद्र सिंह सजवाण, जागीर सिंह ,मोहन सिंह रावत एवं कमरुद्दीन के चार सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की । गंगाधर नौटियाल ने शोक प्रस्ताव रखा और दिवंगत साथियों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। सम्मेलन में राज्य कोषाध्यक्ष शिवपप्रसाद देवली ने आय व्यय का विवरण पेश किया।

सम्मेलन में साम्प्रदायिकता, महंगाई, बेरोजगारी , एमएसपी की गारन्टी का कानून लागू करने, जंगली जानवरों से निजात दिलाने, मनरेगा में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति , मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम तथा 600 रु0 दिहाड़ी व इसके साथ ही इस कार्यक्रम का शहरों तक विस्तार करने, देश व प्रदेश बिगड़ती कानून व्यवस्था ठीक करने, मजदूर–किसानों की व्यापक एकता कायम करने संबंधित प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये।

सम्मेलन के अंत में 29 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव हुआ और सुरेन्द्र सिंह सजवाण अध्यक्ष, गंगाधर नौटियाल महामंत्री, शिवप्रसाद देवली कोषाध्यक्ष और भूपाल सिंह रावत, माला गुरगा, भगवान सिंह राणा, राजाराम सेमवाल व जागीर सिंह उपाध्यक्ष तथा कमरुद्दीन, सतकुमार, पुरुषोत्तम बडोनी, विक्रम सिंह पंवार संयुक्त मंत्री चुने गये।

इसके अलावा 13 से 16 दिसम्बर 2022 में केरल के त्रिशूर में होने वाले अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए, पांच प्रतिनिधियों तथा एक वैकल्पिक प्रतिनिधि का भी चुनाव किया गया।

अंत में विपरीत परिस्थितियों में और बहुत ही कम समय में सम्मेलन के सुचारु तरीके से आयोजन की व्यवस्था करने के लिए, उद्यम सिंह नगर कमेटी को किसान सभा राज्य काउंसिल की ओर से धन्यवाद देते हुए, सुरेंद्र सजवाण ने सम्मेलन का समापन किया। □

बिहार 37वां राज्य सम्मेलन

– विनोद कुमार

11–13 नवंबर 2022 को नवादा में बिहार किसान सभा 37वें राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ, जिस में केंद्र की आरएसएस–भाजपा सरकार की जनविरोधी, कॉर्पोरेट परस्त और सांप्रदायिक नीतियों मुकाबला करने के उद्देश्य से ज्वलंत किसान मुद्दों पर संघर्ष तेज करने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया ।

यह सम्मेलन कॉमरेड गणेश शंकर विद्यार्थी नगर (महान स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित वामपंथी व किसान नेता के नाम पर रखा गया था, जो इस ही जिले सम्बन्ध रखते थे) में आयोजित किया गया था।

सम्मलेन की शुरुआत एक बड़ी जनसभा से हुई, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष ललन चौधरी ने की। वक्ताओं में किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष डॉ अशोक ढ़वले, संयुक्त सचिव विजू कृष्णन, राज्य सचिव विनोद कुमार, राज्य के नेता अवधेश कुमार, विधायक अजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रामजतन सिंह, खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव भोला प्रसाद दिवाकर तथा नरेश चंद्र शर्मा थे।

प्रतिनिधि सत्र में 33 जिलों से 14 महिलाओं सहित 308 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ध्वजारोहण और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सम्मेलन का उद्घाटन हन्नान मौल्ला ने किया।

राज्य सचिव विनोद कुमार द्वारा रिपोर्ट रखी गई। बिहार में किसान सभा ने जमीन और कई अन्य मुद्दों पर लगातार संघर्षों का नेतृत्व किया है। इसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष के समर्थन में बिहार में भी अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार किसान सभा की इस साल की सदस्यता 2,64,910 रही। दूसरे दिन रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिसमें 35 प्रतिनिधियों ने अपने सुझावों और संघर्ष के अनुभवों से इसे समृद्ध किया। महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकल्प पारित किए गए। किसान सभा संयुक्त सचिव विजू कृष्णन ने सम्मेलन को संबोधित किया।तीसरे दिन, चर्चा पर सचिव के उत्तर के बाद सचिव द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट और वित्त रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपनाया गया। परिचय पत्र समिति की रिपोर्ट भी रखी गई।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 85 सदस्यीय नई राज्य कौंसिल का चुनाव किया गया, जिसमें 15 राज्य पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह अध्यक्ष, विनोद कुमार सचिव, सोनेलाल प्रसाद कोषाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और 6 संयुक्त सचिव चुने गए। सम्मेलन ने अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 30 प्रतिनिधियों और 2 पर्यवेक्षकों का चुनाव भी किया गया।

15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया; 26 नवंबर को पटना में एसकेएम के राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में भागेदारी करने का निर्णय लिया गया। जोरदार नारों के साथ किसान सभा अध्यक्ष डॉ. अशोक ढ़वले के समापन भाषण के बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। □

पंजाब 40वां राज्य सम्मेलन

किसान सभा पंजाब का 40वां राज्य सम्मेलन 28 अगस्त, 2022 को तरनतारन में एक उत्साहजनक खुले सत्र के साथ हुआ, जिसमें 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। मंच के एक तरफ खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा मारे गए दीपक धवन सहित जिले के 14 शहीदों के नाम वाला एक पोस्टर लगा था। सम्मेलन स्थल का नाम ग़दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना के नाम पर रखा गया था और हॉल का नाम किसान सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कई बार विधायक दलीप सिंह तपियाला के नाम पर रखा गया था।

ध्वजारोहण और शहीदों को पुष्पांजलि देने के बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष मेजर सिंह भिखीविंड ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। खुले सत्र को किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष डॉ अशोक ढ़वले, वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद, पंजाब राज्य के उपाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सेखों और राज्य महासचिव मेजर सिंह पुनावल ने संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख किया, किसानों और देश के सामने मौजूदा चुनौतियों से निपटा और मोदी की नव–उदारवादी, सांप्रदायिक और अधिनायकवादी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ৮ उन्होंने एकता और संघर्ष के माध्यम से किसान सभा को कई गुना मजबूत करने का आह्वान किया और दिल्ली में 5 सितंबर के मजदूर किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेने का भीआह्वान किया।

सम्मेलन में 53 सदस्यीय नई राज्य कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें रूपबसंत बराच को अध्यक्ष, बलजीत सिंह ग्रेवाल को राज्य सचिव और देवेंद्रजीत ढिल्लो को कोषाध्यक्ष बनाया गया। □

असम 25वां राज्य सम्मेलन

असम किसान सभा का 25वां राज्य सम्मेलन 29–31 अक्टूबर को उत्साह के बीच नलबाड़ी जिले के नलबाड़ी शहर में आयोजित किया गया।

रैली के बाद गोर्डन स्कूल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष गजन बर्मन ने की और राज्य सचिव टिकेन दास ने संचालन , किसान सभा महासचिव हन्नान मौल्ला, संयुक्त सचिव विजू कृष्णन, पूर्व विधायक और पूर्व राज्य सचिव हेमेन दास और पूर्व राज्य सचिव उद्धव बर्मन जनसभा को संबोधित किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद मनोरंजन तालुकदार विधायक डॉ. कृष्ण चंद्र गौड़ ने भी जनसभा को संबोधित किया।

प्रतिनिधि सत्र में राज्य सचिव टिकेन दास द्वारा रिपोर्ट चर्चा के लिए राखी। चर्चा में लगभग 24 जिलों के 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 24 जिलों से कुल 331 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा के बाद, कुछ परिवर्धन और परिवर्तनों के साथ रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

सम्मेलन ने 85 सदस्यीय नई राज्य नई परिषद तथा 38 सदस्यीय राज्य कार्यकारी समिति चुनी गई। जिसमें टिकेन दास को राज्य अध्यक्ष और गजेन बर्मन राज्य सचिव चुना गया। किसान सभा संयुक्त सचिव विजू कृष्णन द्वारा समापन भाषण दिया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल की ओर से उद्धव बर्मन ने संबोधन के बाद सम्मेलन के समापन की घोषणा की। □

केरल 27वां राज्य सम्मेलन

19–21 अक्टूबर 2022 को कोट्टायम में 27वें केरल राज्य सम्मेलन आयोजितकिया गया सम्मलेन। का समापन एक विशाल रैली और जनसभा के साथ हुआ, जिसे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला और अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवले ने संबोधित किया। पिनाराई विजयन ने राज्य और देश में राजनीतिक चुनौतियों और एलडीएफ राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित किया।

सम्मेलन में 128 महिलाओं सहित 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महिलाओं और युवाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व रहा। प्रतिनिधियों ने 57 लाख के राज्य में अब तक की सबसे अधिक एआईकेएस सदस्यता का प्रतिनिधित्व किया।

किसान सभा के राज्य महासचिव वलसन पैनोली ने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने गहन चर्चा की। जवाब के बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

समापन के दिन, एक नई 122–मजबूत एआईकेएस राज्य समिति को सर्वसम्मति से चुना गया, जिसने एम विजयकुमार को अध्यक्ष, वलसन पानोली को महासचिव, गोपी कोट्टामुरिकल को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना।

सम्मेलन के समापन दिवस पर किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक ढ़वले, केरल के वित्त मंत्री और किसान सभा सीकेसी के सदस्य के एन बालगोपाल, किसान सभा के संयुक्त सचिव ई पी जयराजन, विजू कृष्णन और केके रागेश ने बधाई दी। किसान सभा के वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद भी शामिल रहे। □

तमिलनाडु 30वां राज्य सम्मेलन

किसान सभा का 30वां तमिलनाडु राज्य सम्मेलन 17–19 सितंबर को नागापट्टिनम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की शुरुआत हजारों किसानों की विशाल रैली और जनसभा से हुई। नागपट्टिनम अपने लगभग 80 साल के इतिहास में पहली बार किसान सभा राज्य सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। रैली 3 किमी तक चली और सीटू, एआईएडब्ल्यूयू, एडवा, डीवाईएफआई, एसएफआई और भाकपा के नेतृत्व वाली किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर इसका स्वागत किया।

जनसभा की अध्यक्षता किसान सभा के राज्य अध्यक्ष वी सुब्रमण्यन ने की, और इसे किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष डॉ अशोक ढ़वले, उपाध्यक्ष के बालकृष्णन, राज्य महासचिव पी शनमुघम और स्थानीय सीपीआई (एम) विधायक नागई माली ने संबोधित किया। किसान सभा के संयुक्त सचिव विजू कृष्णन और वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद मंच पर मौजूद थे।

सम्मेलन के अंतिम दिन एक नई 87 सदस्यीय एआईकेएस राज्य समिति को सर्वसम्मति से चुना गया, जिसने पी शनमुघम को अध्यक्ष, स्वामी नटराजन को महासचिव, केपी पेरुमल को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना। □

कर्नाटक 17वां राज्य सम्मेलन

कर्नाटक प्रांत रायता संघ (किसान सभा से सम्बंधित) का 17वां राज्य सम्मेलन रायचूर में एक रैली के साथ शुरू हुआ, जिसमें हजारों किसानों ने भीषण गर्मी को मात देते हुए भाग लिया। रैली का समापन एक जनसभा में हुआ, जिसे किसान सभा महासचिव हन्नान मौल्ला, संयुक्त सचिव विजू कृष्णन, राज्य सचिव यू बसवराज, राज्य अध्यक्ष जीसी बयारेड्डी,और अन्य लोगों ने संबोधित किया। बाद में सम्मेलन का प्रतिनिधि सत्र ध्वजारोहण और शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। केपीआरएस के वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष वेंकटचलैया ने ध्वजारोहण किया।

सम्मेलन में पूरे कर्नाटक से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 43 सदस्यीय राज्य कमेटी चुनी गई जिसमें 7 पद रिक्त रखे गए। नई समिति ने जी सी बय्या रेड्डी को अध्यक्ष, टी यशवंता को सचिव और नवीन कुमार को वित्त सचिव चुना।

अंडमान और निकोबार 5वां राज्य सम्मेलन

किसान सभा अंडमान और निकोबार का 5वां राज्य सम्मेलन उत्तरी अंडमान के कॉमरेड तपन बेपारी नगर (दिगलीपुर) में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की शुरुआत अध्यक्ष रामजीवन सरकार द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का झंडा फहराकर और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हुई। सम्मेलन का उद्घाटन किसान सभा के संयुक्त सचिव विजू कृष्णन ने किया। सम्मेलन में लगभग 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सचिव गौरांग मांझी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सम्मेलन ने 11 पदाधिकारियों के साथ एक नई 25 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया। गौरांग मांझी को अध्यक्ष और सुखरंजन मिर्धा को सचिव चुना गया।

मणिपुर 24वां राज्य सम्मेलन

मणिपुर लौमी मारुप (सम्बंधित किसान सभा) का 24वां सम्मेलन 1 नवंबर, 2022 को कॉमरेड लामबाम इबोटोम्बी, मणिपुर हिंदी परिषद हॉल, इम्फाल में हुआ। सम्मेलन का मार्गदर्शन किसान सभा के संयुक्त सचिव विजू कृष्णन ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन क्षेत्रीमयुम संता ने किया। प्रतिनिधि सत्र को विजू कृष्णन ने संबोधित किया। सम्मेलन ने एन थोइबा को अध्यक्ष, शरत सलाम को सचिव, लोकतोंगबम सनतोम्बा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। युमनाम सरत और थंगजाम बिनॉय उपाध्यक्ष चुने गए, एच. संगम, थ. जितेन और शेख अब्दुल्ला संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया। सम्मेलन ने त्रिशूर, केरल में होने वाले एआईकेएस के 35वें सम्मेलन के लिए 3 प्रतिनिधियों और एक वैकल्पिक प्रतिनिधि का भी चुनाव किया।

किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं

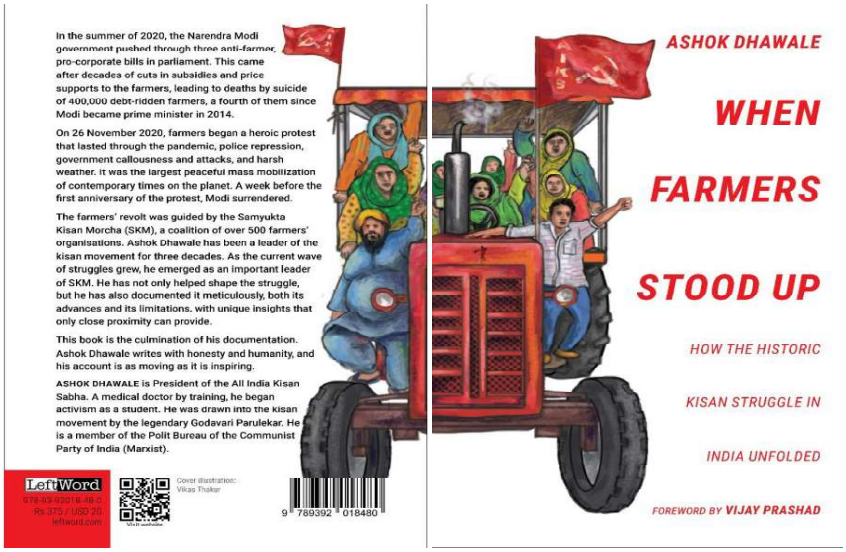

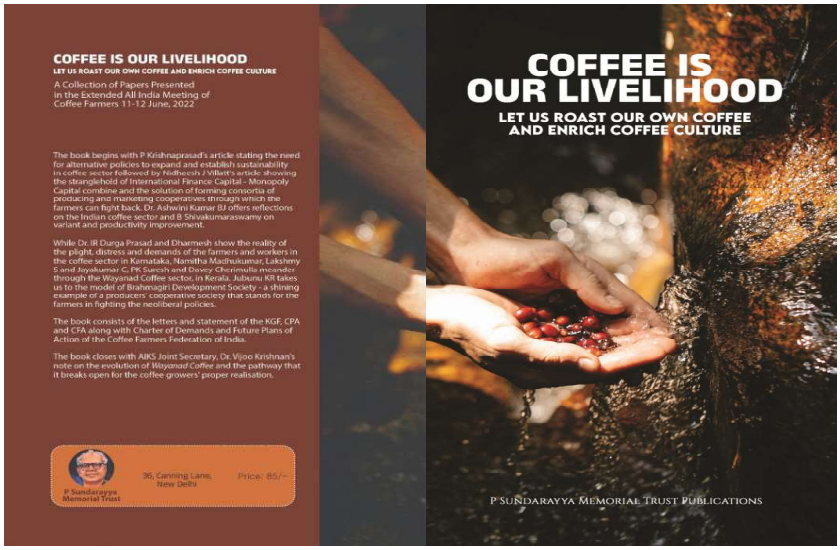

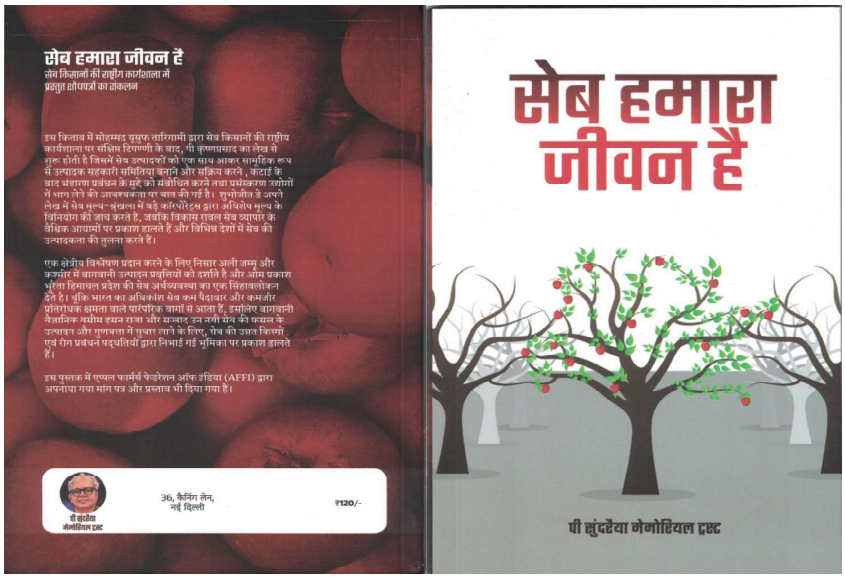

मजदूर–किसान अधिकार महाधिवेशन

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन), नई दिल्ली–11000 1

फोन व फैक्स : 011–23782890 ई–मेल : kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095